

लोक-सभा वाद-विवाद

**Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'**

तृतीय माला

खण्ड १३, १९६३ / १८८४ (शक)

१८ नवम्बर से २ मार्च, १९६३ / २६ मार्च से ११ फाल्गुन, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha



Chamber Fumigated 18.10.73

चौथा सत्र, १९६३/१८८४ (शक)

(खण्ड १३ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

तृतीय माला, खण्ड १३—अंक १ से १०—१८ फरवरी से २ मार्च, १९६३/२६ माघ से
११ फाल्गुन, १८८४ (शक)

अंक १—सोमवार, १८ फरवरी, १९६३/२६ माघ, १८८४ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय बाधा डालना तथा सदन से बाहर चले जाना १-३

राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा पटल पर रखा गया ४-६

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १०

सभा पटल पर रखे गये पत्र १०-११

बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक—

प्रवर समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के लिये नियत
समय का बढ़ाया जाना १२

संविधान संशोधन विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के लिये नियत
समय का बढ़ाया जाना १२-१३

दैनिक संक्षेपिका १४-१६

अंक २—मंगलवार, १९ फरवरी, १९६३ / ३० माघ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ६, और ६ से १२ १७-४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७, ८, १३ से २७ और ३० ४२-५१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५० ५१-७२

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हुई घटना के बारे में अखिलम्बनीय
लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ७२

जमुना कोयला खान में हुई दुर्घटना ७२-७४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७४-७७

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे), १९६२-६३ ७७

अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९६०-६१ ७७

कार्य मंत्रणा समिति	७७
बारहवां प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति	७८
बाईसवां और तेईसवां प्रतिवेदन	
केंद्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	७८
रेलवे आय-व्ययक, १९६३-६४—उपस्थापित	
श्री स्वर्ण सिंह	७८-१००
राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों द्वारा किये गये	
व्यवहार की जांच के लिये समिति	१००-०१
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक	१०१
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१०१-०४
खंड २ और १	१०४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१०४
कृषि पुनर्वित्त निगम विधेयक	१०५-११६
विचार करने का प्रस्ताव	
अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के बारे में प्रस्ताव	११६-२८
दैनिक संक्षेपिका	१२६-३६

अंक ३—बुधवार, २० फरवरी, १९६३/१ फाल्गुन, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३१ से ४२ १३६-६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ५५ १६२-७०

आतारांकित प्रश्न संख्या ५१ से ८६, ८८, ८९, ९१ और ९२ १७०-८६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कारिगरी और स्वर्णकारों में कथित बेकारी १८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र

१८७

प्राक्कलन समिति

१८७-८८

चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन

सभापति तालिका

१८८

कार्य मंत्रणा समिति

१८८

बारहवां प्रतिवेदन

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

१८९-२३४

दैनिक संक्षेपिका

२३५-३८

अंक ४—शुक्रवार २१ फरवरी १९६३ / २ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२३६—६४
तारांकित प्रश्न संख्या ५६ से ७०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८२	२६५—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या ६४ से १०० और १०२ से १२४	२७२—८५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	२८५—८७
अमरीका तथा राष्ट्रमंडल के संयुक्त वायु सेना के शिष्टमंडल का भारत आगमन	
अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य), १९६२-६३	२८७
लोक लेखा समिति	२८७
छठा प्रतिवेदन	
सोना नियंत्रण सम्बन्धी भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियमों के बारे में याचिका	२८७
संघ राज्य क्षेत्रों का शासन विधेयक—पुरस्थापित	२८७
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	२८८—३१५
दैनिक संक्षेपिका	३१६—१९

अंक ५—शुक्रवार २२ फरवरी, १९६३ / ३ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९४, ९६ से ९९ और १०१ से १०४	३२१—५२
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ९५ और १००	३५२—५३
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५ से १२९, १३१, १३३ से १४८ और १५०	३५३—६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३६४—६५
प्रस्तावित मलयेशिया संघ	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३६५—६७
हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक	
राज्य सभा पटल पर रखी गई	३६८

प्राक्कलन समिति

बारहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन	३६८
सभा का कार्य	३६८
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	३६९—८६
विधेयक पुरस्थापित —	३८६—८७
(१) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा १३ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का]	
(२) नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक, (धारा २ का संशोधन) [श्री च० का० भट्टाचार्य का]	
(३) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबंध (संशोधन) विधेयक (नई धारा ७क का रखा जाना) [श्री च० का० भट्टाचार्य का]	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, (धारा ४ और ६ का संशोधन)	३८७—९८
[श्री श्याम लाल सराफ का]	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	
सिनेमा फिल्मों की (अधिकतम) लम्बाई विधेयक [श्री रामेश्वर टांटिया का]	३९८—४०८
विचार करने का प्रस्ताव	
बाल-विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३ का संशोधन)	४०८
[श्री दी० चं० शर्मा का]	
परिचालित करने का प्रस्ताव	४०८
कार्य मंत्रणा समिति	४०८
तेरहवां प्रतिवेदन	
दैनिक संक्षेपिका	४०९—१४

अंक ६—सोमवार २५ फरवरी १९६३ / ६ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १०५ से ११४	४१५—४०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ११५ से १३२	४४०—५३
अतारांकित प्रश्न संख्या १५१ से १७६ और १७८ से १९५	४५३—७१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४७१—७२
(१) मिलिटरी लाइन्स, सागर में पानी की एक टंकी का फट जाना	
(२) बर्मा में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और वहां के भारतीय बैंकों पर उसके प्रभाव	

सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७२
कार्य मंत्रणा समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन	४७३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	४७३—५३१
दैनिक संक्षेपिका	५३२—३६
अंक ७—बुधवार २७ फरवरी १९६४ / ८ फाल्गु १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १३४, १४८ और १३५ से १४३	५३७—६१
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४४ से १४७ और १४६ से १५२	५६२—६५
अतारांकित प्रश्न संख्या १६६ से २३३	५६५—८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	५८०—८४
(१) १८ फरवरी को गंगा नदी के पानी के भारतीय भाग में पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र पुलिस का कथित अनधिकृत प्रवेश	
(२) बर्मा में बैंकों के राष्ट्रीय करण के बारे में वक्तव्य	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५८४—८५
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन	५८५
निर्यात के लिये भेजे जाने वाले सामान पर भाड़े की रायायत के बारे में वक्तव्य	५८६
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	५८७—६३४
दैनिक संक्षेपिका	६३५—३६
अंक ८—गुरुवार २८ फरवरी १९६३ / ९ फाल्गुन १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५३ से १६६	६४१—६६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १	६६७—६९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६७ से १७० और १७२	६६९—७१
अतारांकित प्रश्न संख्या २३४ से २३६ और २४१ से २६०	६७१—८३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	६८३—८४
समुद्रीय बीमा विधेयक	६८५
संयुक्त समिकिता प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति	६८५
तेरहवां और बीसवां प्रतिवेदन	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२-६३	६८६—९८
कृषि पुर्दावित निगम विधेयक	६९८—७२४
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २ से ४७ और १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
सामान्य आय-व्ययक, १९६३-६४—उपस्थापित	७२४—४७
विधेयक पुरस्थापित	७४८—४९
(१) वित्त विधेयक, १९६३	
(२) अर्धलाभ कर विधेयक, १९६३	
(३) अनिवार्या जमा योजना विधेयक, १९६३	
दैनिक संक्षेपिका	७५०—५४
शुक्रवार, १ मार्च, १९६३/१० फाल्गुन, १८८४ (शक)	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	
डा० राजेन्द्र प्रसाद का निधन	७५५—५९
दैनिक संक्षेपिका	७६०
अंक १०—शनिवार २ मार्च १९६३ / ११ फाल्गुन १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से २०६ और २०९	७६१—८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३ से १९३, २०७, २०८ और २१० से २२२	७८७—८०२
अतारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६२, २६४, २६६, २६७, २६९ से ३७० और	८०२—५९
३७२ से ३९०	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
मनीपुर के रास्ते भारत में जगुगा विद्रोहियों का कथित प्रवेश	८५९—६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र	८६१—६३
राष्ट्रपति का संदेश	८६३
राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण की जांच करने वाली समिति	८६४
प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	८६४
राज्य सभा से संदेश	८६४
सभा का कार्य	८६४—६५
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६३—पुरस्थापित	८६५—६६
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	८६६—८६
दैनिक संक्षेपिका	

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुहवार, २१ फरवरी, १९६३

२ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष सहोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मशीनों से इंटें तैयार करने का कारखाना

+

†*५६. { श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली में मशीनों से इंटें तैयार करने का कारखाना (मैकेनाइज्ड ब्रिक प्लांट) स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ; और

(ग) उस में कुल कितना व्यय होगा ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प० शे० नारकर) : (क) जी, हां। उसकी स्थापना राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा की जायेगी जोकि पूर्णतः सरकार के स्वामित्व की कम्पनी है।

(ख) आवश्यक मशीनों के आयात के लिये बातचीत चल रही है।

(ग) लगभग १८.६५ लाख रुपये—१६.६५ लाख रुपये पूंजी लागत पर और २ लाख रुपये कार्यकारी पूंजी पर।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : मैं यह पूछना चाहता था कि जो ये मशीन से इंटें बनायी जायेंगी इनका सारा काम इलेक्ट्रिकल होगा या उसमें हैंड वर्क भी रहेगा, क्योंकि ऐसा इम्प्रेसन है कि अगर यहां यह फैक्टरी लगी तो उसका नतीजा यह हो सकता है कि सारे देश में जो बहुत से

†मूल अंग्रेजी में

आदमी ईंट बनाने के काम में लगे हैं वे बेकार हो जायेंगे और यह काम मिकेनाइज्ड हो जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : यह फैक्टरी अभी तो सिर्फ देहली में लगेगी और तकरीबन चार करोड़ ईंटें हर साल निकालेगी। सारे देश पर इसका असर पड़ने वाला नहीं है।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : यह तो मैं भी समझ रहा हूँ मगर यह एक एग्जाम्पल बन रही है इसलिये मैं जानना चाहता था कि इसमें कितने आदमियों का वर्क रहेगा और कितने आदमियों पर इसका असर पड़ेगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह तफसील तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं यह जानता हूँ कि इस से ईंटें सस्ते दामों पर मिला करेंगी।

† श्री सुबोध हंसदा : यह संयंत्र वाणिज्यिक प्रकृति का होगा अथवा वह अग्रिम संयंत्र होगा ?

† श्री पू० शे० नास्कर : जैसा मैं ने बताया, यह प्रत्यक्षतः सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है वरन् राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है और वह उसे वाणिज्यिक रूप ही देगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बात का अन्दाजा लगाया गया है कि दिल्ली में जो निर्माण कार्य चल रहा है उस की आवश्यकता के कितने पर सेंटेज की पूर्ति इस से हो सकेगी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह कहना तो बड़ा मुश्किल है। दिल्ली में जिस तेजी से मकान बन रहे हैं उसको देखते हुए यह अन्दाजा लगाना बड़ा मुश्किल है।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि इस फैक्टरी के स्थापित होने से दिल्ली के दो हजार कुम्हार बेकार हो जायेंगे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जब तक यहां पर अनआथोराइज्ड स्क्वैटिंग चल रहा है और मकान बन रहे हैं तब तक इस बात की कोई चिन्ता नहीं कि कोई आदमी बगैर काम के रह जायेगा।

सुनारों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

- +
- †*५७. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ब० कु० दास :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री कोया :
श्री कजरोलकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सुनारों को १४ कॅरेट के सोने के गहने बनाने का

†मूल अंग्रेजी में

प्रशिक्षण देने का विचार कर रही है और उन को कुछ वित्तीय सहायता भी दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितने केन्द्र खोले जायेंगे ; और

(ग) किन स्थानों में ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). सुनारों द्वारा १४ कैरेट तक की शुद्धता वाले मिश्रित सोने का प्रयोग किये जाने की सुविधा का प्रश्न विचाराधीन है और इस अवस्था में यह बताना संभव नहीं है कि क्या कदम उठाये जायेंगे ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच है कि १४ कैरेट के गहने बनाने की लागत बहुत अधिक है और क्या सरकार ने इन गहनों के निर्माण की लागत का अनुमान तैयार किया है ?

†श्री ब० रा० भगत : यदि लागत से माननीय सदस्य का तात्पर्य मजूरी है तो यह ठीक है कि १४ कैरेट के सोने का काम ज्यादा कठिन है और उस की मजूरी ज्यादा होगी । परन्तु उस से सुनारों को लाभ होगा क्योंकि १४ कैरेट के सोने की प्रत्येक वस्तु पर उन को अधिक मजूरी मिलेगी और अधिक लोगों को काम मिलेगा ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में नियमित चर्चा होने जा रही है । सत्रह सदस्यों ने नोटिस दिये हैं और मैं इस चर्चा के लिये समय देने वाला हूँ । इसलिये इस सम्बन्ध में अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें ।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि ये बेरोजगार सुनार बहुत कठिनाई में हैं विशेषकर दिल्ली में जहां कि १०,००० सुनार बेकार हो गये हैं । उन लोगों को क्या तुरन्त सहायता दी जाने वाली है ?

†अध्यक्ष महोदय : सहायता का प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री ब० कु० दास : क्या इस बात की जांच की गई है कि अभी जो औजार काम में लाये जाते हैं क्या वही १४ कैरेट के गहने बनाने के काम में भी आ सकते हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल प्रशिक्षण से है ।

†डा० सा० श्री अणे : क्या सरकार उन सुनारों को कोई आर्थिक सहायता देगी जो इस संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उन में से अधिकांश बेरोजगार हैं तथा वे अपना घर छोड़ कर अन्यत्र जाने की स्थिति में नहीं हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या प्रशिक्षणार्थियों के लिये कोई छात्रवृत्तियां रखी गई हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : जो लोग इस से प्रभावित होंगे उन को सहायता देने के मामले पर स्वर्ण बोर्ड और सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

श्री गु० सि० मुसाफिर : जब तक १४ कैरेट का काम करने की लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिल जाती तब तक क्या छोटे सुनारों को अपनी गुजर करने के लिए अपना काम पुराने तरीके से जारी रखने की इजाजत दी जा सकती है ?

†मूस प्रश्नेची में

श्री ब० रा० भगत : अभी इस तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार ने राज्य सरकारों से मिल कर कोई ऐसी लिस्ट बनायी है जिस से मालूम हो सके कि कुल कितने सुनारों को ट्रेनिंग दी जायेगी और डिस्ट्रिक्ट-वाइज इस काम पर कितना खर्चा होगा ?

श्री ब० रा० भगत : मामला जेरे गीर है ।

†श्री कोया : क्या सरकार को इस आशय के कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि तामिलनाडु और बेरल के नाजुक गहने १४ कैरेट के सोने के नहीं बनाये जा सकते हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : इन समस्त प्रश्नों पर स्वर्ण बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा । श. घ. ही स्वर्ण बोर्ड के साथ एक प्रविधिक समिति भी संबद्ध की जा रही है ।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

क्षय रोग रुजालय^१

+

†*५८. { श्री रा० गि० दुबे :
श्री बिनचन्द्र सेठ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री अ० ना० विशालंकार :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री दलजीत सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तैयारी योजना काल में कितने सुसज्जित क्षय रोग रुजालय बनाने का विचार है ;

(ख) कितने रुजालय खुल गये हैं और कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) ऐसे रुजालय खोलने की इच्छा व्यक्त करने वाली राज्य सरकारों या गैर-राज्यकारी संस्थाओं को क्या सहायता दी जाती है ?

†स्वास्थ्य मंत्रालय में उप मंत्री (डा० व० स० राजू) : (क) २०० ।

(ख) सूचना एहत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा संचालित टी० बी० क्लिनिकों के शब्द में इमारत पर होने वाले अनावर्तक व्यय के ७५ प्रतिशत और वार्षिक आवर्तक व्यय के अतिरिक्त एक्स-रे और प्रयोगशाला उपकरण, गाड़ियों, एक्स-रे फिल्मों और आई० एन० एच० की मीलियों (दो वर्ष तक के लिये) का संभरण किया जाता है । राज्य सरकारों द्वारा

†मूल अंग्रेजी में

†T. B. Clinics

सिफारिश किये गये ऐच्छिक संगठनों द्वारा संचालित टी० बी० क्लिनिकों के सन्दर्भ में भी यही बात लागू होती है ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या अनुदान और राजसहायता के रूप में कोई सहायता दी जाती है ?

डा० द० स० राजू : किस को ?

श्री रा० गि० दुबे : गैर सरकारी संस्थाओं तथा राज्य सरकारों को ।

डा० द० स० राजू : इस का उत्तर मैं दे चुका हूँ ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या यह सच है कि देश के भोजनालयों में इस के रोगी काम करते हैं और क्या इस का कोई संज्ञग किया गया है और इस के बचाव के लिये क्या कदम उठाये जाते हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : टी० बी० के रोगी प्रायः हर क्षेत्र में पाये जाते हैं । टी० बी० के रोगियों का कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं हुआ है । परन्तु सामान्यतः स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिकायें और राज्य सरकारें भोजनालयों में काम करने वाले व्यक्तियों की डाक्टरों की परीक्षा कर सलाह देते हैं । परन्तु खेद है कि प्रत्येक मामले में वस्ता नहीं किया जाता है ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या नगरपालिकाओं के वर्तमान नियमों के अन्तर्गत, उदाहरण के लिये दिल्ली में, रोगी व्यक्तियों को ऐसे संस्थापनों में काम करने से रोकने के लिये कोई निर्दिष्ट उपबन्ध है ?

डा० सुशीला नायर : म्युनिसिपल मैनुअल में ऐसे नियम हैं जिनमें भोजनालयों के लिये स्वास्थ्य नियमों की व्यवस्था है जैसे कि स्वच्छता और स्वस्थ व्यक्तियों का नियोजित करना । वैसे कि बता चुकी हूँ, समाज इसके प्रति अधिक जागरूक नहीं है इसलिये अधिकांश मामलों में इन लोगों को डाक्टरों की परीक्षा पर जोर नहीं दिया जाता है ।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कितने क्लिनिक खोलने का इरादा है और कहाँ कहाँ ?

डा० सुशीला नायर : मध्य प्रदेश में तीन खोले हैं, जबलपुर में, रायपुर में और भोपाल में ।

श्री सरजू पाण्डेय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इधर टी० बी० के रोगियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्या वहाँ तीसरी पंचवर्षीय योजना में अधिक टी० बी० क्लिनिक खोलने का विचार है ?

डा० सुशीला नायर : मैंने अर्ज किया कि २०० टी० बी० क्लिनिक खोलने का प्रावजन रखा गया है तीसरी प्लान में । यह तो स्टेट गवर्नमेंट पर मुनहसिर है कि वह कहाँ पर खोलेगी और कितने खोलेगी ।

श्रीमती अकम्मादेवी : चूंकि बहुत से गरीब टी० बी० के रोगी पूर्ण इलाज के बाद अस्पताल से बाहर आकर उचित भोजन न मिलने और अस्वस्थ वातावरण के कारण फिर इस रोग के शिकार हो जाते हैं इसलिये मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आवश्यकता वाले गरीब रोगियों के लिये बाद की देखभाल के केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ?

†डा० सुशीला नायर : टी० बी० के रोगियों की बाद की देखभाल बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और अनेक स्थानों में इन रोगियों को बाद की देखभाल के उपाय के रूप में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिये कुछ संस्थायें हैं। परन्तु इस समस्या का वास्तविक हल एक विस्तृत पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करना है जिसके अन्तर्गत उद्योग इन लोगों को सरकार की सलाह के अनुसार उपयुक्त विभागों में रोजगार देने को तैयार हों।

†डा० रानेन सेन : चूँकि स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों में टी० बी० के रोगियों की संख्या बहुत है क्या इन स्कूल तथा कालेज के विद्यार्थियों के लिये टी० बी० क्लिनिक खोलने का कोई विशेष कार्यक्रम है ?

†डा० सुशीला नायर : स्कूल और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये पृथक् टी० बी० क्लिनिक बनाना आवश्यक नहीं समझा जाता है। टी० बी० क्लिनिक प्रादेशिक आधार पर बनाये गये हैं क्योंकि सामान्यतः परिवार भर की देखभाल करनी होती है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूँ कि जब इन टी० बी० क्लिनिकों में किसी टी० बी० के मामले का विश्लेषण किया जाता है तो समस्त परिवार की, बच्चों को मिला कर, डाक्टरी जांच की जाती है।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने यह सन्तोष कर लिया है कि आपत्ति के कारण तीसरी योजना के कार्यक्रमों में कोई कटौती नहीं की जायेगी ?

†डा० सुशीला नायर : इस सम्बन्ध में हम कोई आश्वासन कैसे दे सकते हैं ? मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हम इसका भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि आवश्यक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कटौती न की जाये परन्तु आपत्ति के कारण समस्त कार्यक्रमों में कुछ कटौती आवश्यक हो गई है।

†श्री बड़े : चूँकि एलोपैथिक इलाज बहुत खर्चीला है, क्या सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में आयुर्वेदिक इलाज और आयुर्वेदिक क्लिनिक चालू करने का प्रयत्न कर रही है ?

†अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न के अन्तर्गत इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

†श्री बड़े : तीसरी योजना में टी० बी० क्लिनिकों का उल्लेख है।

†अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्न समझ लिया है।

श्री बड़े : टी० बी० क्लिनिक थर्ड फाइव इयर प्लान में हैं।

अध्यक्ष महोदय : थर्ड फाइव इयर प्लान में तो हैं लेकिन इस सवाल में नहीं हैं यह मैं आप से कह रहा हूँ।

†श्री अ० सि० सहगल : कितने क्लिनिकों में टी० बी० के रोगियों के बच्चों को अलग रखा जाता है ?

†डा० सुशीला नायर : मैं नहीं समझती कि क्लिनिक टी० बी० के रोगियों के बच्चों को कैसे अलग कर सकते हैं।

†श्री श्यामलाल सराफ : क्या इन टी० बी० क्लिनिकों में 'घर पर रह कर इलाज कराने वाले रोगी' भी सम्मिलित हैं जिनको क्लिनिकों में जगह नहीं मिल जाती है ?

†मूल अंग्रेजी में

†डा० व०स० राजू : सम्भवतः माननीय सदस्य का तात्पर्य उन रोगियों से है जो घर पर रह कर ही इलाज कराते हैं। वे इन क्लिनिकों में आते हैं तथा उनको सलाह दी जाती है और आई० एन० एच० तथा पी० ए० एस० की गोलियां दी जाती हैं जिनका वे अपने घर ले जाकर सेवन करते हैं।

†श्री बड़े : चूंकि टी० बी० की एलोपैथिक दवाइयां और एलोपैथिक इलाज बहुत महंगा है, इसलिये क्या तीसरी योजना में देश के विभिन्न भागों में आयुर्वेदिक इलाज अथवा आयुर्वेदिक क्लिनिकों के लिये कोई उपबन्ध है ?

†डा० सुशीला नायर : राज्य सरकारों द्वारा अनेक आयुर्वेदिक क्लिनिक आदि खोले जा रहे हैं परन्तु मैं यह कहूंगी कि मुझे आयुर्वेदिक के अन्तर्गत टी० बी० के किसी अच्छे इलाज की जानकारी नहीं है और यही कारण है कि आयुर्वेदिक क्लिनिकों और अस्पतालों से टी० बी० के रोगी टी० बी० क्लिनिकों में ही जात हैं।

गण्डक परियोजना

†*५६ { श्री डा० ना० तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री विभूति मिश्र :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या बिहार में गण्डक परियोजना को कार्यान्वित करने में कोई प्रगति हुई है ; और
(ख) क्या नेपाल सरकार द्वारा उठाई गई आपत्ति या रुकावट दूर कर दी गई है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसन्धान केन्द्र, पूना द्वारा किए गए नमूना अध्ययन के आधार पर बांध का मार्गरेखण कर लिया गया है। नहर की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है तथा तिरहुत नहर पर लगभग १८ करोड़ हंडरवेट, डान ब्रांच नहर पर ५.२५ करोड़ हंडरवेट तथा सरन नहर पर ४.२५ करोड़ हंडरवेट मिट्टी जनवरी १९६३ के अन्त तक उठाई गई है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम गंडक नहर के भाग का सर्वेक्षण पूरा हो गया है तथा शीघ्र ही खुदाई का काम आरम्भ होगा।

कैम्प भवन बनाने के काम, जमीन, टेलीफोन लाइन आदि का आरम्भिक काम लगभग पूरा होने को है। बगहा के रेल हैड से भैसालोटन के कैम्प स्थान तक सड़क बना ली गई है। बिजली के सम्भरण के लिए बांध स्थान तक बिजली घर के निर्माण का काम हो रहा है। बांध के पूर्वी गाइड किनारे का निर्माण आरम्भ हो गया है।

(ख) नेपाल सरकार ने गंडक परियोजना करार की क्रियान्विति में कोई आपत्ति नहीं की है यद्यपि प्रशासनिक व्यौरे तय करने में कुछ विलम्ब हुआ था।

†श्री डा० ना० तिवारी : बांध का काम कब आरम्भ किया जा रहा है और कब पूरा हो जायेगा ?

†श्री अलगेशन : इस मौसम में वह गाइड बांध का निर्माण आरम्भ कर रहे हैं। अगले मौसम में बांध का कार्य आरम्भ हो जायेगा।

†श्री डा० ना० तिवारी : इसके पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†श्री अलगेशन : १९६६ तक इसके पूरा होने की आशा है।

†श्री विश्वनाथ राय : उत्तर प्रदेश की ओर से परियोजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में धीमी गति क्यों है ?

†श्री अलगेशन : उत्तर प्रदेश अपनी ओर की नहर के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा है।

†श्री विभूति मिश्र : नहर का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

†श्री अलगेशन : आशा है कि नहर पद्धति १९६८ तक पूरी हो जायेगी।

†श्री हेम बरुग्रा : क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने गंडक परियोजना के अधीन नरवणी बांध के निर्माण के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया है ? यदि हां, तो ठीक स्थिति क्या है ?

†श्री अलगेशन : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य नेपाल बांध का जिक्र कर रहे हैं।

†श्री हेम बरुग्रा : उत्तर प्रदेश में नरवणी बांध। उत्तर प्रदेश विधान सभा में विचार किया गया है।

†अध्यक्ष सहोदय : क्या इसका सम्बन्ध इससे है।

†श्री हेम बरुग्रा : जी हां। यह गंडक परियोजना के अधीन है।

†श्री अलगेशन : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

'प्रीमियम' इनामी बांध

+
†*६० { श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये "प्रीमियम" इनामी बांधों में अभी तक कितना धन लगाया गया है; और

(ख) इस योजना को देश भर में समान रूप से लोक प्रिय बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) ३१ जनवरी, १९६३ तक अनुमानतः १ ¼ करोड़ रुपये।

(ख) साधारण साधनों अर्थात् समाचारपत्रों में विज्ञापनों, इशतहारों, फोल्डरों और सिनेमा स्लाइडों द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा है। स्थानीय प्रचार राष्ट्रीय बचत संगठन तथा राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है जिस के लिये विशेष नियतन करना स्वीकार कर लिया गया है। एक चलचित्र भी बनाया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

† श्री प्र० चं० बरुआ : इन की मुख्य बातें क्या हैं और ये ब्याज युक्त बांडों से मोटे तौर पर कैसे भिन्न है ?

† श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मुख्य रूपरेखा ये हैं कि इन बांडों पर पारितोषिकों के अतिरिक्त २ प्रतिशत का प्रीमियम (ब्याज) भी है। पारितोषिक को मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है। पहला इनाम ५०,००० रुपये का १ करोड़ ६० के बिक्रे बांडों पर होगा। ५ लाख रुपये पारितोषिकों में जायेंगे, इन में से १०० रुपये वाले बांडों के लिये पारितोषिकों की संख्या २४३ होगी तथा ५ रुपये वाले बांडों के पारितोषिकों की संख्या ५६८ होगी, यदि ये सब बांड प्रति १ करोड़ रुपये की लागत के बिके जायेंगे।

† श्री प्र० चं० बरुआ : न बिके बांड नंबरों के लिये निकले इनामों का क्या किया जायेगा ?

† श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : पारितोषिकों में बिन बिका कोई बांड नहीं होगा। उनको निकाल दिया जायेगा।

† वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : वहां हो सकते हैं।

† श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : पारितोषिकों में नहीं होंगे। हम पारितोषिक देते समय उनको नहीं गिनेंगे।

† श्री मोरारजी देसाई : प्रगल्भी यह होंगे कि यदि कोई पारितोषिक बिन बिके बांडों पर आएगा तो उस से अगले बिके नम्बर को वह पारितोषिक प्राप्त होगा।

† श्री सोनावने : प्रीमियम बांड योजना का एक बात यह है कि बांड को १९६४ में दो बार पारितोषिक निकालने का हक होगा। उस के बाद क्या होगा ? क्या उस पर इनाम मिलने बन्द हो जायेंगे ?

† श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जी हां, उस माला के लिये, यह दो अवसरों पर है।

श्री बेरवा कोटा : यह प्रीमियम प्राइज बांड्स कब तक पकेंगे अर्थात् कब तक इन की लिमिट खत्म हो जायेगी ? और उस वक्त उन की कितनी निकासी हो जायेगी ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उन की मियाद पांच वर्ष है जिस में २ परसेंट उन को प्रीमियम मिलेगा। जिस ने १०० रुपये के बांड खरीदे हैं उन को पांच वर्ष के बाद ११० रुपये मिलेंगे।

देश में चेचक

+

{ श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसवा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री पें० वैकटामुख्या :
श्री सोनावने :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

†*६१. { श्री यशपाल सिंह :

† मूल अंग्रेजी में

श्री प्र० चं० बहगवा :
 श्री ब्रिशनचन्द्र सेठ :
 श्री रामेश्वर टांटिया :
 श्री वी० चं० शर्मा :
 श्री रघुनाथ सिंह :
 श्री मुहम्मद इलियास :
 श्री भागवत झा आजाद :
 श्री भक्त वंशन :
 श्री रिशांग किशिंग :
 श्री माते :
 श्री जं० ब० सि० विष्ट :
 श्री गौरी शंकर कक्कड़ :
 श्री प० कुन्हन :
 श्री मरणडी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

- (क) क्या चेचक देश में व्यापक रूप से फैल गई है;
 (ख) यदि हां, तो जनवरी और फरवरी, १९६३ में इस रोग के कारण कितनी मृत्यु हुई;

और

- (ग) इस महामारी को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उप मंत्री (डा० ब० स० राजू) : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों से चेचक के भारी प्रकोप की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं ।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।
 [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ८११/६३]

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हम विवरण से देखते हैं कि देश के २३ जिलों में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है । क्या इस कार्यक्रम की कार्यान्विति के पश्चात् उन जिलों में कोई मृत्यु हुई है या नहीं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : विवरण में इन मृत्युओं के होने का उल्लेख है । कई जिलों में मृत्यु हुई है । इस का कारण यह है कि यद्यपि चेचक उन्मूलन कार्यक्रम काफी पहले मंजूर किया गया था, राज्य कई कारणों से इसे काफी पहले आरम्भ नहीं कर सके थे । तीन राज्यों ने इसे जल्दी आरम्भ किया और उचित ढंग से कार्यान्वित किया । पंजाब, गुजरात और एक अन्य राज्य में बहुत कम चेचक का प्रकोप है । उन राज्यों में भी, जहाँ चेचक है, उन जिलों में कोई चेचक का रोगी नहीं है । जहाँ कार्यक्रम अच्छी तरह कार्यान्वित किया गया है, परन्तु जहाँ यह कार्यक्रम नहीं किया गया वहाँ चेचक है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकतर यूरोपीय देशों ने चेचक का उन्मूलन करने में पूर्णतः सफलता प्राप्त की है क्या हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन के द्वारा उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अपनाये जाने वाले तरीकों का गहरा अध्ययन किया है ताकि उन को अपनाया जा सके ?

मूल अंग्रेजी में

†डा० द० स० राजू : जी हां। हम यही करते हैं। उत्तर भजी भांति विदित है। पूर्ण उन्मूलन का इलाज ठीक ही है और हमें आशा है कि और दो तीन वर्षों में यह पूरा हो जायेगा।

†श्रीमती सावित्री निगम : बुन्देलखंड क्षेत्र में अकेले बांदा में १००० से अधिक व्यक्ति मर गये हैं। सरकार ने उन राज्यों की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाई की है, जहां चेचक महामारी के रूप में है ?

†डा० सुशीला नायर : : भारत सरकार ने सब राज्य सरकारों को पूर्ण सहायता दी है। यह फैसला करना उत्तर प्रदेश का काम है कि क्या वे बांदा में कार्यक्रम को करना चाहते हैं या अन्यत्र।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या वहां १००० व्यक्ति मर गये हैं ?

†प्रव्यक्त महोदय : यह राज्य विधान सभा में पूछा जाय।

†श्री प० बेंकटामुब्बया : भारत सरकार द्वारा १९५८ में बनाई गई विशेष समिति ने कुछ सिफारिशों की हैं। क्या वे सिफारिशें इस बीमारी का उन्मूलन करने के लिये यथोचित रूप से कार्यान्वित की गई हैं ?

†डा० द० स० राजू : जी, हां वे कार्यान्वित की गई हैं।

†श्री म० ला० द्विवेदी : इस बयान में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल ४६६ मौतें हुई हैं, लेकिन जैसा कि अखबारों से मालूम हुआ है, उत्तर प्रदेश के केवल बांदा जिले में एक हजार

क माननीय सदस्य : १५०० ।

श्री म० ला० द्विवेदी : . . . १५०० मौतें हुई हैं और दूसरे जिलों में और ज्यादा मौतें हुई होंगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय को सभी सूचनायें नहीं मिलती हैं। इस के अलावा इस बयान में बताया गया है कि १४८ जिलों में स्मालपाक्स के एरिडिकेशन का कार्य चल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के सारे जिलों में यह स्कीम कब तक पहुंचेगी और कब तक इस में कामयाबी मिलेगी।

डा० सुशीला नायर : यह जो सूचना दी गई है, वह जनवरी तक की सूचना है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे पास जो सूचना आती है, वह स्टेट गवर्नमेंट से आती है। स्टेट गवर्नमेंट ने जितने केसिज हमारे पास रिपोर्ट किये हैं, वे हम ने आप के सामने रख दिये हैं। जहां तक इस कार्यक्रम का देश के सारे जिलों में पहुंचाने का ताल्लुक है, उस की हद तीन साल की रखी गई है। हम आशा करते हैं कि कई स्टेट्स उस काम को दो साल में ही पूरा कर देंगी।

श्री डा० ना० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है कि वैक्सिनेशन के बाद कितने लोगों को स्मालपाक्स का एटैक होता है और कितने लोग उस से मरते हैं ?

डा० सुशीला नायर : स्मालपाक्स का वैक्सिनेशन ठीक ढंग से हो जाने के बाद बहुत कभी कभी, हजारों केसिज में से किसी एक को, स्मालपाक्स होते सुना गया है और उस का एविडेंस मौजूद है। लेकिन अगर अभी एटैक हो भी जाता है, तो वह बिल्कुल हल्का होता है और उस का नुकसान बहुत कम होता है।

† श्री स० चं० सामन्त : विवरण से मैं देखता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जनवरी में २९६ लोग मरे थे, किन्तु समाचार पत्रों में कहा गया है कि नवम्बर ३ से फरवरी, १६ तक अकेले कलकत्ता में ५५४ लोग मरे थे। कलकत्ता में स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी ?

† डा० महोदय : सूचना राज्य सरकारों से प्राप्त की गई थी। प्रबन्ध करना उन का काम था।

श्री वासुदेववत नायर : मा० मंत्री ने हाल में बताया है कि टीका अनिवार्य किया जा सकता था। क्या सरकार इस के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

† डा० सुशीला नायर : इस समय पर्याप्त प्रबन्ध है। राज्य सरकारों और नगरपालिकाओं को महामारी बीमारी अधिनियम को लागू करने का पूर्व अधिकार है। उस के अधीन उन को शक्ति है कि वे प्रत्येक व्यक्ति के लिये टीका अनिवार्य कर सकते हैं। इस विषय पर कोई नई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है।

डा० गोविन्द दास : अभी मंत्रिणी जी ने कहा है कि जिन स्थानों पर इस सम्बन्ध में कार्य अच्छी तरह से शुरू किया गया, वहाँ पर यह महामारी नहीं बढ़ने पाई। लेकिन कुछ स्थानों पर ठीक प्रबन्ध नहीं किया गया। मैं आप के सामने जबलपुर का दृष्टान्त दूंगा, जहाँ उचित प्रबन्ध नहीं हो पाया और सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है। आगे ऐसी बेपरवाही न हो, इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : हम उन सब जगहों पर जा कर, जहाँ इस प्रकार का उपद्रव होता है, वहाँ के अधिकारियों के साथ बैठ कर इस कार्य चर्चा करते हैं कि किस तरह से काम करने से स्मालपावस का सुचारु रूप से कंट्रोल हो सकता है। ये सब बातें हम आफिशर्स के साथ बैठ कर बर्क आउट करते हैं। मैं नहीं समझती कि इस के अलावा और कोई नाकेबन्दी करने का रास्ता अपने पास है।

† श्री श० न० चतुर्वेदी : क्या सरकार ने चेचक को रोकने के लिये किसी होम्योपैथी औषध का प्रभाव देखने का प्रयत्न किया है ?

† डा० द० स० राजू : जहाँ तक मुझे मालूम है और कोई औषध चेचक को रोकने में सफल नहीं है।

† श्री अ० ना० विद्याजंकार : दिल्ली में क्या स्थिति है ? क्या यहाँ टीका अनिवार्य है ? दिल्ली में कितने लोगों को चेचक हुआ है ?

† डा० सुशीला नायर : दिल्ली में टीका काफी अच्छी तरह किया गया है। कुछ श्रमिक बतियों में कुछ लोगों को चेचक हुआ है, जहाँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य क्षेत्रों से श्रमिक आये हैं और इन झुग्गियों तथा झोंपड़ियों और गंदी बतियों में उन लोगों को चेचक हुई है जिनको टीका नहीं जगे है।

सिचाई क्षमता के उपयोग

+

†*६२. { श्री पं० बंरुटसुब्बया :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ों तथा मध्यम सिचाई परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न सिचाई क्षमता का देश में वास्तविक उपयोग उसकी तुलना में बहुत कम हो रहा है; और

(ख) इस कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

† सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). पैदा की गई क्षमता की तुलना में उपयोगिता के प्रतिशत में १९५५-५६ में ४७ प्रतिशत से १९६१-६२ में ७१ प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। राज्य सरकार पर जोर डाला गया है कि राष्ट्रीय आपतकाल को देखते हुए, उत्पादित सिचाई क्षमता एवं इस के उपयोग के बीच के अन्तर को और कम करने के लिये अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। मुख्य कठिनाई यह रही है कि लाभ प्राप्त करने वाले लोगों के नाले बनाने में झिझकते रहे। अब अधिकतर राज्य सरकारों ने अधिनियम बना लिये हैं जिनके द्वारा सरकारों को, लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की लागत पर, खेतों के नाले बनवाने की शक्ति दी गई है, जहाँ लोग ऐसे नाले नहीं बनवाते।

† श्री पं० बंरुटसुब्बया : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान योजना मंत्रियों के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित कर सकता हूँ कि केन्द्र और राज्यों के बीच उचित सम्बन्ध न होने के कारण, सिचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है ? क्या इन कार्रवाइयों का सम्बन्ध करने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ताकि इसका शीघ्रतापूर्वक उपयोग किया जा सके ?

† सिचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : कारण यह नहीं है जो माननीय मित्र ने बताया है। १९५४ से, केन्द्र ने बार-बार राज्यों को अधिक उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और इस उद्देश्य के लिये कुछ ठोस कदम उठाये गये हैं। किन्तु राज्य सरकारों को स्मरण पत्र भेजे जाने तथा अफसर भेजने के बावजूद भी वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। ये सब काम किये गये हैं। यह बढ़ रहा है और अधिक बढ़ेगा।

श्री पं० बंरुटसुब्बया : क्या वे लोग आगे नहीं आ रहे हैं जिनके द्वारा सिचाई क्षमता का उपयोग किये जाने की अपेक्षा है ? माननीय मंत्री ने अभी यह बात कही है। क्या इस का कारण यह है कि उन लोगों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं दी जाती, जो इस का वास्तव में उपयोग करना चाहते हैं कि वे अपने खेतों के नाले खोद सकें और भूमि को खेतों में ला सकें ?

† हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : इस सम्बन्ध में ऐसे प्रबन्धों का सुझाव दिया गया था। राज्य स्वयं व्यवस्था कर सकते हैं और बाद में धन वसूल कर सकते हैं।

श्री यशपाल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि जो पानी हमारे देश के तालाबों और झीलों में है वह बहुत है और अगर उसके इस्तेमाल के लिए लिफ्ट इरिगेशन का इंतजाम कर दिया जाये तो हमारी सिचाई की ७५ परसेंट डिमांड पूर्य हो सकती है ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : बिल्कुल सही है। अभी पिछले सेशन से पहले हम ने पार्लिमेंट के मेम्बर्स की मीटिंग करके उनसे दरखास्त की थी कि वे अपने अपने यहां मीकों की तलाश करके हम को और साथ ही साथ स्टेट्स को भी इत्तिला दें और उस में जो कुछ हम कर सकते हैं करेंगे।

श्री पु० र० पटेल : गुजरात में ५० प्रतिशत से कम सिंचाई क्षमता का उपयोग विद्यमान है। इतनी कम क्षमता का उपयोग होने का क्या कारण है? क्या वहां अन्य राज्यों की अपेक्षा जल प्रभार अधिक है?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : जी नहीं। इस का एक भाग कारण यह है कि स्वयं विज्ञान वह नहीं करते जो उनको करना चाहिये। एक विशिष्ट स्थान से नाले बनाने की आवश्यकता है।

श्री पु० र० पटेल : क्या वहां प्रभार अधिक है?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : पूर्व सूचना चाहिये।

श्री काश वीर शास्त्री : क्या सरकार के पास कुछ इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि सिंचाई के लिए जो कैनल्स और ट्यूबवैल्स आपके हैं, समय पर वे किसानों को पानी नहीं देते हैं और इसकी वजह से उनकी फसलों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। अगर आई हैं तो इन शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : जनरली तो ऐसा है नहीं। कहीं कहीं ऐसा इतिहास हो सकता है। उसके लिए हमेशा इस बात की जरूरत है कि फौरन वहां की स्टेट गवर्नमेंट के नोटिस में उस बात को लाया जाये और अगर किसी तरह की कोई जरूरत समझी जाये तो सेंटर को भी बताया जाये और हम खिदमत अंजाम देंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी : क्या सरकार ने पता लगाया है कि उपयोगिता तथा सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करने में किसानों की ढील के बीच का यह अन्तर इस बात के कारण है कि अधिकतर राज्यों में जल प्रभार सामान्यतया उस से अधिक है जितने वे होने चाहिये?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैं बता चुका हूँ कि एक ही कारण है कि सिंचाई के लिये एक किनारे से दूसरे किनारे तक माल ले जाने के लिये जिन बातों की जरूरत होती है, किसान उन को नहीं बनाते।

श्री श्यामलाल शर्मा : क्या यह स्थिति समूचे देश में है या क्या देश के कुछ क्षेत्र हैं जहां बहुत ही कम सिंचाई क्षमता उपलब्ध है?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : यह सच है; प्रत्येक स्थान पर सिंचाई की सुविधाएं होने में कुछ और समय लगेगा।

श्री सरजू पाण्डेय : क्या माननीय मंत्री जी के पास उत्तर प्रदेश से खास तौर से ऐसी शिकायतें आई हैं कि ऐसी जगहों पर ट्यूबवैल्स लगाये गये हैं जहां उनकी जरूरत नहीं है और अगर आई हैं तो उस सिलसिले में क्या कार्रवाई हुई है?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : जुबान से मुझे कुछ साहिबान ने इस के बारे में जरूर कहा है। मैंने उन से अज्ञ किया था कि आप जरा इसके मुतालिक मुझ को लिख कर भेजे तो मैं कुछ वहां की गवर्नमेंट को अज्ञ करूं। मेरे पास अब तक कुछ लिख कर नहीं भेजा गया है।

होशंगाबाद में नोट आदि का कागज तैयार करने का कारखाना

†*६३. श्री हरि विष्णु कामत क्या वित्त मंत्री: यह बताने की: कृपा करेंगे कि :

(क) होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में नोट आदि का कागज तैयार करने का कारखाना (सिक्क्युरिटी पेपर मिल) स्थापित करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उसके द्वारा उत्पादन प्रारम्भ होने की कौन सी तिथि निश्चित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (जी ब० रा० भगत) : (क) मिल स्थापित करने में हुई प्रगति को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

होशंगाबाद में नोट आदि का कागज छापने के कारखाने (सिक्क्युरिटी पेपर मिल) को स्थापित करने में अब जो प्रगति हुई है वह निम्नलिखित है :—

(क) अतिरिक्त कार्यों के कुल ३ करोड़ ३४ लाख रुपये के अनुमानित व्यय के विरुद्ध लगभग २ करोड़ ५७ लाख रुपये की लागत के अतिरिक्त कार्यों के लिए स्वीकृति दे दी गई है ।

(ख) आवासिक उपनगर के १७६ क्वार्टर्स का निर्माण कार्य सुचारु रूप से चल रहा है तथा उनमें से अधिकांश की जून, १९६३ तक तैयार हो जाने की आशा है ।

(ग) यंत्रों के लिए कुल २ करोड़ २७ लाख रुपये की अनुमानित लागत के विरुद्ध लगभग १ करोड़ ६४ लाख रुपये के मूल्य के यंत्रों तथा उपकरणों के क्रय के लिए स्वीकृति दे दी गई है ।

(घ) १ करोड़ ३१ लाख रुपये के मूल्य के यंत्रों के लिए महानिदेशक, भारतिय संग्रहागार विभाग, लन्दन को वस्तु-आदेश दे दिये गये हैं तथा उन्होंने सम्भरणकर्तारियों को ६० लाख रुपये के मूल्य के यंत्रों के लिए दृढ़ क्रयादेश दे दिये हैं; शेष भाग के लिए मार्च, १९६३ के अन्त तक क्रयादेश दिये जाने की आशा है ।

(ङ) होशंगाबाद रेलवे स्टेशन से कारखाने के स्थल तक रेलवे साइडिंग बनाने के लिए अपेक्षित भूमि अर्जित कर ली गई है तथा केन्द्रिय रेलवे प्रशासन ने सर्वेक्षण तथा रेलवे साइडिंग बनाने के कार्य आरम्भ कर दिये हैं ।

(च) अगस्त, १९६२ से इंग्लैंड के पोर्टाल्स कारखाने में इस कारखाने के २० प्रशिक्षणार्थियों का एक दल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है । इस दल के प्रशिक्षण कार्य की जुलाई, १९६३ के अन्त तक समाप्त हो जाने की आशा है ।

(छ) इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले २० प्रशिक्षणार्थियों के द्वितीय दल का मार्च, १९६३ में चुने जाने की आशा है ।

(ख) सितम्बर, १९६४ तक मिल उत्पादन आरंभ कर देगी ।

† श्री हरि विष्णु कामत : नोट आदि के कागज तथा अन्य प्रकार के ऐसे ही कागज की देश की वर्तमान आवश्यकता क्या है और क्या होशंगाबाद का कारखाना सारी आवश्यकता को पूरा करेगा और यदि नहीं, तो कितना आयात किया जाता रहेगा तथा कितना होशंगाबाद बनाया करेगा ?

† जे. ए. सी. में

† Director General, India Stores Department.

† श्री ब० रा० भगत : हम आजकल १.६० करोड़ रुपये का ऐसा कागज विदेश से मंगवा रहे हैं तथा अन्य कागज लगभग २५ लाख रुपये का। वर्तमान क्षमता में मिल २,०३२ टन नोट और बैंक नोट कागज बनाएगी। यह हमारे वर्तमान अनुमानों की आवश्यकता पूरी करेगी, किन्तु चौथे मिल का भी उपबंध है।

यह भावी मांगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, तो उत्पादन २७०० टन तक बढ़ जाएगा। हमने दीर्घकालीन आधार पर भी उपबंध किया है, यदि मांग अधिक होगी, तो एक और मिल स्थापित किया जा सकता है, तभी, यदि समय पर यह मिल बैंक और नोटों के कागज की मांग का ध्यान रख सके। मिल की व्यवस्था इस ढंग से की गई है।

† श्री ह. विष्णु कान्त : विवरण में कहा गया है कि लगभग २ करोड़ रुपये की लागत के असैनिक कामों की मंजूरी दी गयी है और आवास बस्ती में कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण चल रहा है। क्या यह इमारतें विभागीय स्तर पर बनाई जा रही हैं या ठेकेदारों के द्वारा और यदि हां, तो क्या इस के लिये टेंडर मंगवाये जाते हैं ?

† श्री ब० रा० भगत : यह सी० पी० डब्ल्यू डी० द्वारा बनाये जाते हैं, किन्तु मुझे पता नहीं कि क्या उन्होंने ठेकेदार रखे हैं। यह विस्तार का मामला है, मैं सूचना प्राप्त करके आपको दे दूंगा।

श्री कश्यप : मैं जानना चाहता हूँ कि देश के किसी अन्य स्थान पर भी ऐसा कारखाना खोलने की कोई योजना है क्या ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री बड़े : होशंगाबाद मिल के बारे में या किसी अन्य के बारे में फारेन कंट्रीज से कोलेबोरेशन लिया गया है क्या ?

† श्री ब० रा० भगत : इसके बारे में कोलेबोरेशन है और कोलेबोरेटर्स हैं मैसर्स पोर्टलैंड लिमिटेड।

† श्री विद्यावरण शुक्ल : क्या इस का कोई विशिष्ट कारण है कि इस मिल को देश के नोटों के कागज की पूरी आवश्यकता को पूरा करने के योग्य नहीं बनाया गया ?

† श्री ब० रा० भगत : जैसा मैंने बताया है यह न केवल वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिये अपितु भविष्य में भी कुछ जोड़ बदल के साथ बढ़ी हुई भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिये बनाया गया है।

राजस्थान नहर

†*६४. { श्री यशपाल सिंह :
श्री बितानचन्द्र सेठ :

क्या त्रिवाड़ी और विद्युत मंत्री २४ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और राजस्थान के मुख्य सचिवों के मध्य चल रही चर्चा समाप्त हो गई है ;

†मू. मंत्रीजी में

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिये गए ; और

(ग) क्या राजस्थान नहर की बस्ती बसाने की नीति को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

†सिन्धु और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या एमरजेंसी की वजह से इस काम में कोई देरी तो नहीं होने जा रही है ?

†श्री अलगेशन : बैठक जनवरी के अन्त तक होनी थी । किन्तु पंजाब के मुख्य सचिव की दुर्घटना हो गई और बैठक नहीं हो सकी । आगामी बैठकें होंगी और मामलों का अन्तिम फैसला किया जाएगा । कई बातों पर समझौता हो चुका है । कुछ बातें अवशिष्ट हैं ।

श्री यशपाल सिंह : कालोनाइजेशन के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई नियम बनाये हैं कि वहां स्टर्डी परसंज बसाये जायेंगे या सिर्फ राजस्थान और पंजाब के लोग बसायें जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या स्टर्डी पीपल पंजाब और राजस्थान में नहीं मिलते हैं ?

श्री यशपाल सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये कोई नियम बनाये हैं कि कौन लोग वहां बसाये जायेंगे ? मान लीजिये दस लाख दरख्वास्तें आ गयीं । इन दस लाख में से कितने और कौन लोग बसाये जायेंगे, इसके बारे में क्या कोई नियम बना लिये गये हैं ? किस क्राइटीरियन के मातहत आप वहां कालोनाइजेशन करने जा रहे हैं ?

†श्री अलगेशन : मैं हिन्दी का प्रश्न नहीं समझता ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या वहां बसाये जाने वाले लोग राजस्थान से होंगे या पंजाब से या क्या वहां बसाने के लिये कोई और कसौटी निर्धारित की जायेगी ?

†श्री अलगेशन : निम्न परियोजनाओं से विस्थापित लोगों को राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाया जायेगा राजस्थान फीडर पोंग बांध, ब्यास-सतलज सम्पर्क और हरी के परियोजना ।

कुष्ठ रोगियों की गृह चिकित्सा

+

†*६५. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा पृथक शिविरों में न करके उन के अपने घरों में ही की जाने की नई प्रणाली को चालू करने का विचार कर रही है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कुष्ठ रोग की चिकित्सा के लिये बनाया गया वास्तविक कार्यक्रम जो एस० ई० टी० के नाम से ज्ञात है, क्या है ;

(ग) क्या सरकार को एशिया के लिए जापानी कुष्ठ मिशन के विशेषज्ञों से जापान से कुष्ठ रोग के उन्मूलन के विषय में परामर्श मिला है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार जापान द्वारा अपनाये गये उपचारों का यहां पर परीक्षण के रूप में प्रयोग करने का विचार कर रही है ?

†स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) सरकार ने अपने कुष्ठ रोग नियन्त्रण प्रोग्रामों में काफी समय से घर पर ही रोगियों की चिकित्सा करने की प्रणाली बना ली है ।

(ख) इन सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्रों में प्रशिक्षित सहायक चिकित्सा कर्मचारी घर घर जा कर ऐसे कुष्ठ रोगियों का पता लगाते हैं जिनका रोग प्रारम्भिक अवस्था में हो, और 'सल्धान' चिकित्सा प्रणाली से घर ही चिकित्सा करते हैं । इसके अतिरिक्त वे बच्चों को इस रोग से बचाने तथा इस रोग के विरुद्ध फैली दुर्भावना को मिटाने के लिये स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा भी देते हैं । वे ग्रामीण चिकित्सालयों या प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों या अन्य चिकित्सा संस्थाओं में बड़े हुए रोग के रोगी भेजते हैं ।

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या जापानी विशेषज्ञों की सलाह से कोई अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है ?

डा० द० स० राजू : जापानी कुष्ठ रोग मिशन भारत में हाल में आया है और वे उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर कुष्ठ रोग अस्पताल बनाने के इच्छुक हैं ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : अपने घरों पर चिकित्सा कराते हुए, क्या रोगियों को कुछ प्रासंगिक व्यय दिया जाता है ।

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : जी नहीं । घर पर चिकित्सा लेने के समय उन्हें कोई व्यय देने का विचार नहीं है । विचार यह है कि हम व्यक्ति को उस के घर, परिवार, भूमि से अलग नहीं करते । वह काम करता तथा जीविका कमाता रहता है । उसके साथ ही चिकित्सा कराता है ताकि बाद में इन लोगों को पुनः रोजगार देने की समस्या पैदा नहीं होती ।

†श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या घर पर चिकित्सा कराने वाले व्यक्तियों के संबंधियों के लिये कोई रोग रोधक उपाय बताये जाते हैं ?

†डा० द० स० राजू : हां, कुछ रोग रोधक उपाय बताये जाते हैं ।

†श्रीमती सावित्री निगम : इन ग्रह चिकित्सा योजनाओं के लिए कितनी राशि प्रथक रखी गई है और इन योजनाओं से लाभ उठाने की इच्छा किन राज्यों ने व्यक्त की है ?

†डा० सुशीलानायर : इन योजनाओं के लिए पृथक राशि रखने का कोई प्रश्न नहीं है । ये योजनायें कुष्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रम का अभिन्न अंग हैं । जिन राज्यों में इस रोग का भारी प्रकोप है, उन्होंने इन योजनाओं से अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक लाभ उठाया है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो हम केन्द्र की, जहां वे खोले गए हैं, पूर्ण सूची दे सकते हैं ।

श्री रामेश्वर टांडिया : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि बिहार के संथाल परगना में संथाल पहाड़ियां सेवा मंडल के द्वारा कुष्ठ रोगियों की बड़े पैमाने पर उपचार की व्यवस्था है, और क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था दूसरे प्रान्तों में भी करने का विचार कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : बहुत सी वालेंटरी संस्थाओं को सरकार सहायता दे रही है। लेप्रोसी कंट्रोल का काम करने के लिये, और मेरा ख्याल है कि जिस संस्था का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, उसे भी सरकार सहायता दे रही है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस विषय के एक ब्रिटिश विशेषज्ञ के हाल के इस भाषण या मत की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित हुआ है कि कुष्ठ रोग केवल सांसर्गिक ही रोग नहीं है, जैसा कि पहिले समझा जाता था, परन्तु यह खाद्य तथा जल से भी फैल सकता है, और यदि हां, तो भारत में कुष्ठ रोग की चिकित्सा प्रणाली पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

डा० सुशीला नायर : जहां तक भारत का सम्बन्ध है, कुष्ठ रोग के उपचार तथा रोकथाम के लिए वह ही प्रणाली व्यवहृत है जिसे वे अपना चुके हैं। इस नये सिद्धान्त के बारे में जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, कुष्ठ रोग कर्मचारियों ने कुछ प्रयोग किये हैं। इस सिद्धान्त की सार्थकता या निरर्थकता सिद्ध करने में काफी समय लगेगा मैं नहीं जानती कि यह सिद्धान्त निकालने में इस सज्जन ने क्या आधार माना है। मैं समझती हूं कि उन्होंने जिस जानकारी को आधार बनाया है, वह सर्वथा निश्चित नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : क्या सरकार को कुष्ठ रोग की मिट्टी, चिकित्सा की जानकारी है और यदि हां, तो इसका प्रयोग कहां किया जा रहा है ?

डा० सुशीला नायर : मैं मानदीय सदस्य को बता दूं कि एक कुष्ठ रोगी, परचूराय शास्त्री जिस समय महात्मा गांधी के पास आया तब मैं उनके पास थी और मिट्टी-चिकित्सा से उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

श्री तुलशी दास जाधव : जापानी चिकित्सा क्या है ?

डा० द० स० राजू : हमारी और जापान की चिकित्सा पद्धति में कोई अन्तर नहीं है।

श्री विभक्ति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि इस जापानी ट्रीटमेंट में क्या गलित कुष्ठ के उपचार की भी व्यवस्था है। जहां तक मुझे मालूम है, गलित कुष्ठ अच्छा नहीं होता है। क्या सरकार गलित कुष्ठ के लिये कोई विचार कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : जापानी ट्रीटमेंट कोई अलग किस्म का ट्रीटमेंट नहीं है। जापानियों ने ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल तरीकों से अपने यहां लेप्रोसी का निराकरण किया है। हमारे यहां इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट सब के लिये सम्भव नहीं है। हमने अपने यहां नये तरीके से दवा पहुंचाने का तरीका इस्तेमाल किया है, जिसे हम 'सर्वे, एजुकेशन एण्ड ट्रीटमेंट' के नाम से पुकारते हैं, और इसमें दोनों प्रकार के रोग आ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि जिसको माननीय सदस्य गलित कुष्ठ कहते हैं वह लेप्रो-मेट्स केसेज हैं। तो लेप्रोमेट्स और न्यूरल दोनों तरह के केसेज के लिये ट्रीटमेंट एक ही दवा से होता है और दोनों को फायदा होता है। हां, १०० फी सदी रेजल्ट तो किसी भी इलाज में नहीं निकलता।

स्वर्ण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन

+

श्री रामेश्वर टांटिया
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

मूल अंग्रेजी में

†*६६. { श्री विज्ञान चन्द्र सेठ :
 श्री यशपाल सिंह :
 श्री स० मो० बनर्जी :
 श्री बूटा सिंह :
 श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) अब तक स्वर्ण नियन्त्रण नियमों के उल्लंघन के कुल कितने मामलों का पता लगा है ;
 (ख) वह उल्लंघन किस प्रकार के हैं; और
 (ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र पटल पर रख दी जायेगी ।

†श्रीरामेश्वर टांडिया : क्या सोने का तस्कर स्वर्ण नियन्त्रण नियमों के फलस्वरूप बढ़ा है या घटा है और क्या सरकार सोने के तस्कर के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी ?

†श्री ब० रा० भगत : आजकल हमारा यह पूर्वानुमान है कि सोने का तस्कर बहुत कम हो गया है ।

†श्री रामेश्वर टांडिया : क्या सरकार सोने की उद्घोषणा से सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सोने के आभूषणों की उद्घोषणा पर भी विचार कर रही है ताकि इस सोने से बाद में आभूषण न बन सकें ?

†श्री ब० रा० भगत : आभूषणातिरिक्त सोने की उद्घोषणा करने की अन्तिम तारीख फरवरी के अन्त तक बढ़ा दी गई है । उसके परिणामों में अभी कोई आंकन उसके बाद ही किया जा सकता है ।

श्री मा० ल० द्विवेदी : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि गोल्ड कण्ट्रोल रूल्स के लागू होने के पश्चात् महीने डेढ़ महीने तक बम्बई, कलकत्ता और दूसरे बड़े बड़े शहरों में शत प्रतिशत सोने के जेवरात बनाने जाते रहे, और उनका दाम २०० रु० तोले तक रहा ? यदि हां, तो मन्त्री महोदय ने उसकी रोक-थाम के लिये क्या इन्तजाम किया ?

†श्री ब० रा० भगत : हमें यह बात मालूम है, और यह बात उस समय हुई थी जबकि इसकी छूट थी क्योंकि यह उस अवधि में हुआ जो कि दी गई थी । उस समय हमने लोगों से अपील की थी कि वे जेवर न बनवायें, लेकिन फिर भी जेवर बने । उस समय हम इसके लिये कोई रोक थाम नहीं कर सकते थे । रोकथाम का समय तो अब आया है । हां, यह मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि उस समय जेवर ज्यादा बने नहीं, बिके ज्यादा थे ।

†श्रीमती सावित्री त्रिगम : क्या माननीय मन्त्री को विदित है कि यह अधिक समय देने के कारण सोने के आभूषण अति अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : परन्तु अब इसकी अनुमति नहीं है ।

†श्री जसवंत मेहता : स्वर्ण नियन्त्रण नियमों के लागू होने के बाद सोने का मूल्य कम न होने के कारण, सरकार इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करेगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस प्रकार समय समय पर इन मामलों में कार्यवाही करने के प्रत्येक ढंग को बताना होगा। हम इस सब पर विचार कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ।

†श्री राम नाथन चेट्टियार : क्या स्वर्ण नियन्त्रण नियमों की उद्घोषणा का प्रभाव सिंगापुर और हांगकांग में विदेशी मुद्रा की दर पर पड़ा है ?

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल स्वर्ण नियन्त्रण नियमों के उल्लंघन के बारे में है।

†श्री मोरारजी देसाई : स्वर्ण नियन्त्रण नियमों से सोने का तस्कर व्यापार रुक जाने का विचार था, इस कारण वह यह पूछना चाहते हैं कि क्या सिंगापुर और हांगकांग में दरों में परिवर्तन होने के रूप में कोई प्रभाव पड़ा है। हाँ, यह ठीक है कि दर बढ़ गई है।

†श्री बड़े : यह बात ध्यान में रख कर कि स्वर्ण नियन्त्रण नियमों में अनेक कठिनाइयाँ हैं, अनेक स्वर्ण-सर्तियों ने सरकार से नियमों में अस्पष्टता का स्पष्टीकरण मांगा है। इन्दौर में, जहाँ लोगों को कठिनाई हुई है, ऐसे अनेक मामले हुए हैं क्योंकि नियमों में स्पष्टता नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : बहुत ही सामान्य प्रश्न है। धनज्ञा प्रदाता।

स्वर्ण बांड

+

- †*६७. { श्री हेम राज :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विभूति मिश्र :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री बाजी :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री बड़े।
श्री अ० क० गोपालन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) अब तक, राज्य-वार, स्वर्ण बांड में सोने की कितनी मात्रा लगाई गई है ;
(ख) क्या उनके प्रति उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया है ; और
(ग) यदि नहीं, तो उनको अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) १८ फरवरी, १९६३ तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार स्वर्ण बांडों में लगाये गये सोने के राज्यवार आंकड़े देने वाला विवरण पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या ८१२/६३]

(ख) पिछले सप्ताहों में जनता की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक है परन्तु अन्तिम मत इस मास के अन्त में विक्रय बन्द होने पर बनाया जा सकता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

†श्री हेम राज : स्वर्ण नियन्त्रण नियमों के अधीन अब तक कितना सोना घोषित किया गया है ? क्या वह स्वर्ण बांडों में लगा दिया गया है।

†श्री ब० रा० भगत : दोनों का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है, अर्थात्, घोषित करने में और सोना लगाने में। दोनों ही अलग अलग बातें हैं। हमने अचल स्वर्ण बांडों में लगाये गये सोने का ब्यौरा देने वाला विवरण दे दिया है।

†श्री हेम राज : जमा किये हुए सोने के बारे में सरकार का क्या अनुमान है और अब तक कितना प्रतिशत स्वर्ण बाण्डों में लगाया गया है ?

†श्री ब० रा० भगत : सरकार ने ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया है ?

श्री म० ला० द्विवेदी : मंत्री महोदय ने जो बयान दिया है उस में बतलाया गया है कि कोई ६ करोड़ ७० लाख रुपये के स्वर्ण बांड खरीदे गए। मैं जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने कितने के स्वर्ण बांड खरीदे जाने का अनुमान लगाया था ? यदि अनुमान के अनुसार नहीं खरीदे गए तो आइन्दा ज्यादा खरीदे जायें इसके लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो कहते हैं कि कोई अनुमान लगाया ही नहीं गया।

श्री म० ला० द्विवेदी : उन्होंने प्रतिशत का अनुमान नहीं लगाया। मैं जानना चाहता था कि ६ करोड़ ७० लाख के ही बांड खरीदे गए अधिक नहीं खरीदे गए क्या इसका यह अर्थ है कि स्कीम फेल हो गई और अगर नहीं तो इस के कितने दिनों में सफल होने की आशा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने यही समझा था कि आप ने कहा कि गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया था। इसलिये आप का सवाल नहीं उठता।

†श्री हरि विष्णु कामत : पटल पर रखे गये विवरण में उल्लेख है कि पंजाब राज्य ने, जिस के बारे में हम ने काफी सराहनीय बातें सुनी हैं, केवल लगभग ५०,००० ग्राम का अंशदान दिया है जब कि महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में ६० लाख ग्राम का गुजरात ने लगभग २० लाख ग्राम सोना दिया है। यहां तक कि मध्य प्रदेश का भी अंशदान पंजाब के अंशदान से अधिक है।

†अध्यक्ष महोदय : संभव है कि उन राज्यों में सोने की मात्रा अधिक हो।

†श्री हरि विष्णु कामत : इस में सन्देह है। जब पंजाब को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष में चन्दा देने में सब से आगे रहने का गौरव प्राप्त है, तो केवल इसी मामले में वह छोटे राज्यों से पीछे क्यों रहा ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : माननीय सदस्य का पीछे रहने का निष्कर्ष सर्वथा अनुचित है। यह कहना कठिन है कि कौन पीछे है और कौन पीछे नहीं है। परन्तु पंजाब में बम्बई नगर या अहमदाबाद नहीं है।

†श्री हरि विष्णु कामत : यहां तक कि मध्य प्रदेश में, जो पिछड़ा और निर्धन प्रदेश है . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशबीर शास्त्री।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मंत्री का दिल सोने का है; वह प्रश्न का सीधा उत्तर दे सकते हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : उनका दिल सोने का है और श्री कामत का रूप सोने का है । श्री प्रकाश वीर शास्त्री ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार को इस प्रकार के भी सुझाव प्राप्त हुए हैं कि स्वर्ण बाण्डों की बिक्री में जो उदासीनता दिखाई गई है वह दूर हो सकती है यदि सरकार की ओर से यह आश्वासन दिलाया जाय कि १५ वर्ष बाद जब स्वर्ण बाण्ड वापस दिये जायेंगे तो उन के बदले में सोना दिया जायेगा, और ऐसा होने के अधिक बाण्ड बिक सकते हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†श्री मोरारजी देसाई : इस तरीके से हम सोना नहीं लेना चाहते ।

†श्री प० बेंकटसुब्बया : क्या सरकार को बताया गया है कि स्वर्ण बाण्डों में चोर बाजारी हो रही है ? जिन लोगों के पास चोर बाजार का रुपया है, वे उसे स्वर्ण बाण्डों में लगा रहे हैं

†श्री मोरारजी देसाई : स्वर्ण बाण्डों में कोई चोर बाजार नहीं है, परन्तु हो सकता है कि स्वर्ण बाण्डों की खरीद के लिए चोर बाजार का धन उपलब्ध हो । उसे रोकने की कोई इच्छा नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने धनी लोगों, राजा महाराजाओं और सेठ साहूकारों का सोना निकालवाने का कोई कांस्ट्रक्टिव रास्ता निकाला है जिस से ये लोग स्वर्ण बाण्ड खरीदें । जो सोना है वह ज्यादातर बड़े-बड़े धनी लोगों, राजा महाराजाओं या औरतों के पास है । क्या इनके पास से सोना निकालने का सरकार ने कोई कांस्ट्रक्टिव रास्ता निकाला है ।

श्री मोरारजी देसाई : हम ने ऐसी बात नहीं सोची है कि किसी से जबरदस्ती सोना लिया जाय ।

श्री विभूति मिश्र : मैं ने तो पूछा क्या सरकार ने कोई कांस्ट्रक्टिव रास्ता निकाला है ।

अध्यक्ष महोदय : कांस्ट्रक्टिव रास्ता तो यही हो सकता है कि मेम्बर साहब औरतों से लें और यह राजाओं से लें ।

पश्चिम पाकिस्तान को लिमिटेड कम्पनियों की छास्त्रिया

†*१८. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री मंत्री :

क्या निर्माण, आवस तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या पश्चिम पाकिस्तान की लिमिटेड कम्पनियों में भारतीय राष्ट्रजनों के अंशों (शेयरों) के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सफलता मिली है और भारतीय अंशधारियों (शेयर होल्डर्स) को धन कब तक दिया जायेगा ?

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण आवास और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० श० नारकर): (क) और (ख) विनिमय नियंत्रण विनियमों के अधीन पाकिस्तान से अंशों का स्थानान्तरण करने की अनुमति नहीं है। फिर भी, पाकिस्तान से न आई फर्मों के अंशों के बारे में, जो बैंकों में जमा है, अपवाद है और उन का हस्तान्तरण भारत पाकिस्तान चल सम्पत्ति करार के अन्तर्गत होता है। अर्ब-निष्कान्त संयुक्त स्टाक कम्पनियों की आसक्तियों की पुनः प्राप्ति का प्रश्न अनिश्चित पड़े रहने के कारण ऐसे अंशों का वस्तुतः कोई हस्तान्तरण नहीं हुआ है।

†श्री रामेश्वर टांटिया: क्या सरकार को विदित है कि लाभांश के रूप में भारतीय राष्ट्रजनों की पर्याप्त धनराशि पाकिस्तान में है, और यदि हां, तो वह राशि प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

†निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्नी): जहाँ तक अंशों पर लाभांश का प्रश्न है, मेरा ख्याल है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच एक करार है। हमें धन राशियाँ मिल रही हैं मुद्रा विनिमय नियंत्रण आदि के बारे में कुछ कठिनाई है।

†अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

इडुकी जल विद्युत परियोजना

†*६६. { श्री कोया :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री भगवत झा आजाद :
श्री भक्त बर्शन :
श्री मणियंगाडन

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई संबंधी सलाहकार समिति ने केरल में इडुकी जल विद्युत् परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कब तक काम आरम्भ हो जाने की आशा है?

†सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां।

(ख) परियोजना का प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो चुका है।

†श्री कोया : सरकार को कब तक परियोजना के समाप्त होने की आशा है?

†श्री अलगेशन : यह चौथी योजना काल में पूरी होगी।

†श्री कोया : क्या संकट का ध्यान रख कर सरकार का विचार इसे तीसरी योजना में पूरा करने का है?

†अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि यह चौथी योजना में पूरी होगी।

†श्री कुन्हन : क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस परियोजना के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने की प्रार्थना की थी?

†मूल संप्रेषण में

†श्री अलगेशन : जी नहीं। यह पूर्णतया केरल राज्य की परियोजना है। हम विदेशी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

†श्री वासुदेवन नायर : इस योजना के बहुत बड़े होने के कारण, क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस परियोजना की शीघ्र पूर्ति के लिए कुछ ऋण दे कर केरल सरकार की सहायता करने का है ?

†श्री अलगेशन : : यह बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। केरल सरकार को सहायता के रूप में जो जी चाहे, हम देने को तैयार हैं।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

दामोदर घाटी निगम

+

†*७०. { श्री सुबोध हंसवा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० सु० बास :
डा० लक्ष्मीमहल सिधवी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९६३ में कलकत्ता में दामोदर घाटी निगम के कार्यों का पुनरीक्षण करने के लिए संघ सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में क्या निर्णय किये गए;

(ख) सिंचाई सुविधाओं का पूरा पूरा उपयोग करने के लिये क्या उपाय सुझाये गये;

(ग) क्या पानी का ठीक तथा पर्याप्त बहाव बनाये रखने के लिये पानी भंडार क्षमता बढ़ाने का विचार है; और

(घ) जल विद्युत् बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सम्मेलन में दामोदर घाटी निगम के कार्य का साधारण पुनरीक्षण किया गया था और इस संबंध में दिये गये कुछ मोटे सुझाव पश्चिमी बंगाल सरकार के लिए स्वीकार्य थे। अन्तिम निश्चय पर आने से पहिले प्रस्ताव पर बिहार सरकार की अनुमति लेनी होगी।

(ख) उत्पन्न सिंचाई संभाव्यता और उस के प्रयोग के बीच अन्तर होने का मुख्य कारण यह है कि पानी के लिए पर्याप्त मार्ग और खेतों में नालियां नहीं हैं। पानी के मार्गों के लिए दामोदर घाटी निगम उत्तरदायी है और पश्चिम बंगाल सरकार खेतों में नालियां बनाने के लिए जिम्मेदार है। इन दोनों से कहा गया है कि वे अपना कार्य शीघ्र पूरा करें।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) ४० मेगावाट का यूनिट पंचेत में और २० मेगावाट का यूनिट कौताव में लगाने का प्रस्ताव दामोदर घाटी निगम के विचाराधीन है।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या सम्मेलन में इस पर विचार विमर्श हुआ है कि दामोदर घाटी निगम की स्टोर क्षमता डांवाडोल है और यदि हां तो सरकार इस के लिए क्या कार्यवाही करेगी कि स्टोर-क्षमता डांवाडोल न हो ?

†श्री अल्लगेशन : हम ने चार बान्ध बनाये हैं। मैं नहीं जानता कि स्टोर-क्षमता के डांवाडोल होने से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है। यदि उन का अभिप्राय है कि जलाशयों का तल मिट्टी जमा होने से ऊंचा हो रहा है, तो ऊपरी क्षेत्रों में वनरोपण करने का दामोदर घाटी निगम का प्रोग्राम है।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार को यह भी बताया गया है कि पश्चिमी बंगाल में "पैकेज प्रोग्राम" क्षेत्र को पौदा लगाने के समय जल नहीं दिया गया ? यदि हां, तो उस समय पर्याप्त जल न देने का क्या कारण है ?

†श्री अल्लगेशन : दामोदर घाटी निगम और पश्चिमी बंगाल सरकार आपस में गूढ़ परामर्श कर रही हैं और जितने जल की आवश्यकता होती है दिया जाता है। परन्तु, अधिक प्रयोग की कठिनाई इस कारण है कि जल-मार्ग और खेतों में नालियां नहीं हैं। अब वे अपने प्रयासों का समन्वय कर रहे हैं और दोनों का निर्माण कर रहे हैं।

†श्री श्याम लाल सराफ : योजना बनाते समय जल विद्युत् बनाने का विचार था। उस के होते हुए भी अधिकाधिक तापीय विद्युत् बनाई जा रही है। इस के क्या कारण हैं ?

†श्री अल्लगेशन : हम बनाये हुए बान्धों में जल-विद्युत् अवश्य बनाते हैं। क्योंकि उस क्षेत्र में विद्युत् की अधिक मांग है, इस कारण हम ने तापीय बिजली घर भी बनाये हैं।

†श्री ह० प० चटर्जी : क्या यह सच है कि डा० एम० गौरी ने, जोकि दामोदर घाटी निगम में भूमि संरक्षण का प्रभारी अधिकारी था, वनरोपण की योजना पेश की है—माननीय मंत्री ने अभी वनरोपण का उल्लेख किया है—और कहा है कि यदि वह काम नहीं किया गया, तो तीस वर्ष में जलाशय मिट्टी से भर जायेंगे ?

†श्री अल्लगेशन : मैं इस प्रश्न विशेष का उत्तर देने में असमर्थ हूँ परन्तु मैं कह सकता हूँ कि दामोदर घाटी निगम वनरोपण कर रहा है।

†डा० रानेन सेन : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा है कि दामोदर घाटी निगम समूचे रूप में साधारणतया असफल रहा है और, यदि हां, तो निगम के कार्य में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : आजकल यह बात विचाराधीन है, परन्तु विशेषकर इस समय मैं कोई निश्चित विचार व्यक्त नहीं कर सकता। परन्तु हम इस पर विचार कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तृतीय पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के लिये पश्चिम जर्मनी की सहायता

†*७१. { श्री मुरारका :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार ने पश्चिम जर्मनी सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख) ४७ करोड़ डी० एम० (५५.९ करोड़ रु०) के ऋण के बारे में १२ दिसम्बर, १९६२ को पश्चिमी जर्मनी सरकार के साथ एक करार हुआ था। इसमें से १८.९ करोड़ डी० एम० (२२.५ करोड़ रु०) उन परियोजनाओं के लिए निर्धारित कर दिए हैं जिनपर दोनों में पारस्परिक सहमति होगी। कुछ विद्युत्, परिवहन, खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए इस राशि में से वित्त-व्यवस्था करने और रूरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए ऋण के लिए आजकल वार्ता हो रही है। आशा है कि जर्मन प्राधिकारियों के साथ निकट भविष्य में ये करार हो जायेंगे।

बड़े नगरों तथा कसबों के लिये बृहद् योजना

†*७२. श्री शिवचरण गुप्त : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों को बड़े नगरों तथा कसबों के लिए बृहद् योजना बनाने के लिए सहायता दी गई है ; और

(ख) इन राज्यों में कौन-कौन से नगरों तथा कसबों के लिए बृहद् योजना बनाई जा रही है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जिन राज्यों को बृहद् योजनाएं तैयार करने के लिए आवंटन किए गए हैं उन के नाम निम्न-लिखित हैं :—

१. आंध्र प्रदेश
२. आसाम
३. बिहार
४. गुजरात
५. जम्मू तथा काश्मीर
६. केरल
७. मध्य प्रदेश

- ८. मद्रास
- ९. महाराष्ट्र
- १०. मैसूर
- ११. उड़ीसा
- १२. पंजाब
- १३. राजस्थान
- १४. उत्तर प्रदेश
- १५. पश्चिम बंगाल

(ख) जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

महू में राय साहेब रामचन्द्र बैंक

†*७३. श्री बाजी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९६३ में मध्य प्रदेश के महू में राय साहेब रामचन्द्र बैंक का परिसमापन हो गया था ;

(ख) इस बैंक के खातेदारी की क्या संख्या थी तथा उन का कितना धन जमा था ;

(ग) क्या सरकार जानती है कि इस बैंक के अधिकांश खातेदार सैनिक थे ; और

(घ) खातेदारों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ). विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) केन्द्रीय सरकार की उपलब्ध सूचना के अनुसार, २१ जनवरी, १९६३ को बैंक के मालिक ने इन्दौर के अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपने दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए एक प्रार्थनापत्र दिया था ।

(ख) क्योंकि न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए रिसीवर को अभी तक पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं हो सके हैं इसलिए इस स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है कि इसका कितने खातेदारों पर प्रभाव पड़ेगा अथवा उन्हें कितनी धनराशि दी जानी है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस बैंक का मालिक एक साहूकार था जो कि साहूकारी से सम्बन्धित स्थानीय विधियों के उपबन्धों के अनुसार अपना साहूकारी कार्य कर रहा था । अधिकोष^१ समवाय अधिनियम उस पर अथवा उसके सम्बन्ध में किसी विषय पर लागू नहीं होता । यह रिसीवर का उत्तरदायित्व है, जिसे कि न्यायालय ने नियुक्त किया है, कि वह ऐसी कार्यवाही करे जोकि खातेदारों के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक हो ।

†मूल अंग्रेजी में

^१Banking companies Act.

दुर्गापुर में विद्युत् संभरण

†*७४. श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों का सम्मेलन दुर्गापुर में विद्युत् संभरण पर चर्चा करने के लिए ३० जनवरी, १९६३ को कलकत्ता में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या संघ सरकार को विदेशी मुद्रा देने तथा दुर्गापुर में प्रस्तावित अतिरिक्त विद्युत् जनन क्षमता की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में प्रतिवेदन दे दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३० जनवरी, १९६३ को जो सम्मेलन हुआ था उसमें दुर्गापुर में विद्युत् संभरण के प्रश्न पर चर्चा नहीं हुई थी ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

सोने तथा अंशों (शेयर्स) पर बैंकों द्वारा पेशगी

†*७५. श्री प्र० चं० बहम्रा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री केप्पन :
श्री फजरोलकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय अनुसूचित बैंकों को आदेश दिए हैं कि सोने अथवा अंशों (शेयर्स) पर पेशगी न दें ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे आदेश देने के क्या कारण हैं ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० रं० भगत) : (क) और (ख). विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मार्च, १९६० में भारत के रक्षित बैंकने अनुसूचित बैंकों को एक परिपत्र भेजा था जिसमें बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९, की धारा २१ के अंतर्गत उन्हें यह निदेश दिया गया था कि वे अंशों (शेयर्स)

पर ५० प्रतिशत से अधिक पेशगी धन न दें। जनवरी, १९६२ में यह सीमा ४० प्रतिशत तक घटा दी गई थी। जनवरी, १९६३ में, स्वर्ण नियंत्रण नियमों की उद्घोषणा के पश्चात्, रक्षित बैंक ने अनुसूचित बैंकों का ध्यान नियमों के उन उपबन्धों की ओर दिलाया जिनमें कि आभूषणोत्तर स्वर्ण की जमानत पर उधार देना प्रतिषिद्ध किया गया है, जिसकी कि नियमों के अन्तर्गत घोषणा नहीं की गई है, और उन्हें यह भी मन्त्रणा दी कि वे उधार धन देने के लिए स्वर्ण का निर्धारित सरकारी दर पर मूल्यांकन करे। परन्तु रक्षित बैंक ने बैंकों को यह निदेश नहीं दिया कि वे स्वर्ण अथवा अंशों (शेयर्स) पर दिये गये पेशगी धन को वापस ले लें।

(ख) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

सरकारी कार्यालयों का बाहर ले जाया जाना

†*७६. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० ब्रह्मरा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिधवी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री मरण्डी :
श्री ज० ब० सिंह विष्ट :
श्री कर्णो सिंह जी :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री २४ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूची 'ख' में अन्य कौन से कार्यालयों को शामिल किया गया है जिनके बाहर भेजे जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा था;

(ख) इन कार्यालयों को बाहर ले जाने पर राजधानी में कार्यालय स्थान की कमी किस हद तक दूर हो जायगी; और

(ग) राजधानी में नये भवनों का निर्माण करके तथा वर्तमान भवनों का और अधिक प्रयोग करके, कार्यालय स्थान की मांग किस हद तक पूरी हो जाने की आशा है ?

†निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) २४ जनवरी, १९६३ को संसद् में प्रश्न संख्या ४६५ का उत्तर दिये जाने के पश्चात् अब तक यह निश्चय किया गया है कि केन्द्रीय भाण्डागार निगम तथा भारत के समाचारपत्रों के पंजीकार^१ के कार्यालय यथा समय देहली से थोड़े थोड़े करके बाहर भेजे जायेंगे। यह भी निश्चय किया गया है कि सूची 'ख' में सम्मिलित कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्यालय को इस समय देहली से बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

†Registrar.

(ख) अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि इन दो कार्यालयों द्वारा कितना स्थान रिक्त किये जाने की संभावना है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि इनका कितना भाग बाहर भेजा जाता है।

(ग) विद्यमान भवनों का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, नये भवनों का निर्माण करना होगा।

विदेशी सट्टा बाजारों में प्रतिरक्षा प्रमाणपत्रों की बिक्री

†*७७. { श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष पहली जनवरी को भारत सरकार ने विदेशी सट्टा बाजारों में प्रतिरक्षा प्रमाणपत्रों की बिक्री की योजना चालू की थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई है; और

(ग) इन प्रमाणपत्रों में विदेशियों द्वारा अब तक कितना धन लगाया गया है ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) २० दिसम्बर, १९६२ से ब्रिटेन तथा अमेरिका स्थित भारतीय दूतावासों में दस-वर्षीय प्रतिरक्षा प्रमाणपत्र विक्रय के लिए रख दिये गये हैं। १ मार्च, १९६३ से हांग कांग में स्थित भारत के आयुक्तावास के द्वारा भी इनके विक्रय की व्यवस्था की जा रही है।

(ख) इतनी शीघ्र योजना के प्रति प्रतिक्रिया नहीं आंकी जा सकती।

(ग) ६ फरवरी, १९६३ तक कुल विक्रय १,४०,००० रुपये का हुआ है। विदेशियों द्वारा विनियोजित राशि पृथक रूप से ज्ञात नहीं है।

विश्वविद्यालयों का चिकित्सा विज्ञान पाठ्यक्रम

†*७८. { श्री पं० बंकेटासुब्बया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० वास :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री भागवत झा धाखाव :
श्री भवत दर्शन :
श्री सि० श्वर प्रसाद सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति के कारण उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा

†मल अंग्रेजी में

करने के लिए विश्वविद्यालयों के चिकित्सा विज्ञान पाठ्यक्रम को छोटा करने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ख) क्या इस मामले में विश्वविद्यालयों का परामर्श ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों से सिफारिश की है कि वे चिकित्सा परिषद् द्वारा उसकी २७ मई, १९६२ को हुई बैठक में ग्रहीत पुनरीक्षित अवर-स्नातक चिकित्सा^१ पाठ-चारिका को कार्यान्वित करे । इस पुनरीक्षित पाठ-चारिका के अनुसार चिकित्सा पाठ्यक्रम केवल ४^१/_२ वर्ष का ही होगा । इसके पश्चात् १२ महीने तक अनिवार्य रूप से हाउस सर्जन रहना होगा । यह चिकित्सा परिषद् की एक सामान्य सिफारिश है और राष्ट्रीय आपात के कारण किया गया कार्य नहीं । चिकित्सा परिषद् में विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भी हैं तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित संस्थाओं के प्रधानों की एक सभा में भी इस कार्य की चर्चा हुई है । छुट्टियों तथा दीर्घावकाशों को कम करके तथा यह निर्धारित करके कि वर्ष में पूर्ण कार्यकारी दिवसों की कुल संख्या २५० से कम नहीं होगी, पाठ्यक्रम की अवधि में कमी कर दी गई है । सामान्यतः विश्वविद्यालयों द्वारा चिकित्सा परिषद् की सिफारिशों को ग्रहण किये जाने की सम्भावना है यद्यपि अभी तक उनके औप-चारिक निर्णयों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

दिल्ली में बिजली का संकट

†*७६. { श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री गोकर्ण प्रसाद :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २४ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामले समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कब तक मिल जाने की आशा है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया बेखिए संख्या एल० टी० ८१३/६३]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†मूल चंग्रेजी में

†Curriculum.

आसंचित सोना

†*८०. { श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
डा० लक्ष्मीमल सिंघवी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुमानतः कितना सोना निजी तौर पर आसंचित है;

(ख) क्या सरकार सोना नियंत्रण आदेश के अतिरिक्त और कोई कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है जिस से आसंचित सोना देश की प्रतिरक्षा तथा विकास के लिए बाहर निकाला जा सके; और

(ग) यदि हां, तो वह क्या हैं ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) कोई निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग). इस स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है कि सरकार आगे यदि कोई कार्यवाही करेगी तो वह क्या होगी ।

फरीदाबाद उपनगर

†*८१. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार फरीदाबाद में छोटा सचिवालय उपनगर बनाने के लिये भूमि के बड़े क्षेत्र का विकास करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगने की आशा है तथा परियोजना की कुल लागत क्या होगी ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). दिल्ली की वृहद् योजना में फरीदाबाद का दिल्ली के छोटे उपनगर के रूप में विकास करने की व्यवस्था है । सरकार ने उपनगर में १ लाख वर्ग फीट स्थान वाले कार्यालयों के भवनों और साथ ही अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए ११५० आवासिक भवनों के निर्माण का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन किया है । आरम्भ में ५८,१०,००० लाख रुपये की लागत पर २२९.३ एकड़ भूमि के विकास की स्वीकृति दी गई है । इस विकास कार्य में लगभग दो वर्ष लग जायेंगे । कार्यालय के तथा आवासिक भवनों के निर्माण की योजनायें तथा प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं ।

गोदावरी तथा कृष्णा नदियां

†*८२. { श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द सेठ :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को मिलाने के बारे में २४

†मूल अंग्रेजी में

जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस प्रस्थापना की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अल्लशेन) : (क) गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को मिलाने के प्रस्ताव की अभी जांच की जा रही है।

(ख) ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं।

भारत को अमरीकी सहायता

६४. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) गत वर्ष में कुल कितनी अमरीकी सहायता प्राप्त हुई; और

(ख) किस रूप में और किन परियोजनाओं तथा प्रयोजनों के लिए इस सहायता का उपयोग किया गया ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पत्री वर्ष १९६२ में कुल मिलाकर ५,८८१ लाख ३० हजार डालर के मूल्य की अमरीकी सहायता अधिकृत हुई थी।

(ख) विवरण संलग्न हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० ८१४/६३]

रामकृष्णपुरम् में दुकानें

६५. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामकृष्णपुरम् में जो दुकानें बनायी जायेंगी उनको अलौट करने के लिये कौनसा तरीका बरता जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : इस विषय में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है। यह सोचा गया है कि जब दुकानें बन कर तैयार होने वाली हों, तब इसके सम्बन्ध में निश्चय किया जाये।

कोसी की पश्चिमी नहर

†६६. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री योगेन्द्र झा :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में कोसी की पश्चिमी नहर के निर्माण से सम्बन्धित कार्य निलम्बित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अल्लशेन) : (क) और (ख). जी नहीं। राष्ट्रीय अग्रता के कारण कार्य की गति केवल मन्द कर दी गई है।

बरोनी तापीय विद्युत् स्टेशन

†६७. श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ फरवरी, १९६३ तक बिहार के बरोनी तापीय विद्युत् स्टेशन के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसे चालू करने में विलम्ब होगा ;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) अब तक इस पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन): (क) १५ फरवरी, १९६३ को जो स्थिति थी उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसे राज्य सरकार से प्राप्त किया जा रहा है। फिर भी, बरोनी में स्थापित की जाने वाली विभिन्न यूनिट्स की जनवरी, १९६३ के मध्य के समय की प्रगति निम्नलिखित है :—

चल रही योजना	प्रगति
२×१५ MW यूनिट्स	वाष्पित्र ^१ तथा टरबाइन सन्यन्त्र लगाए जा चुके हैं। विद्युतीय उपकरणों का एक भाग स्थल पर पहुंच चुका है तथा लगाया जा रहा है। शेष उपकरण अभी यूगोस्लाविया से नौवहित किए जाने हैं।
नई योजना	
प्रथम अवस्था १×१५ MW	प्रथम अवस्था का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। विद्युत् गृह के भवन के विस्तार का व्यवहारिक कार्य प्रगति कर रहा है। अधिकांश उपकरणों के मंगाने के आदेश दे दिए गए हैं। कुछ उपकरण यूगोस्लाविया से नौवहित किए जाने के लिए तैयार पड़े हैं। शेष उपकरणों तथा लाल ईंटों आदि के लिए निविदायें ^२ प्राप्त हो चुकी हैं तथा फरवरी, १९६३ के अन्त तक क्रयादेश दिए जाने की आशा है।
द्वितीय अवस्था २×५०	

(ख) जी हां। जो योजना चल रही है उसमें कुछ विलम्ब होगा। वर्तमान सूचनाओं के अनुसार जिन तिथियों को इन योजनाओं के चालू किए जाने की आशा है वह निम्नलिखित है :—

प्रथम यूनिट—जून, १९६३।

द्वितीय यूनिट—दिसम्बर, १९६३।

प्रारम्भ में इन्हें मार्च, १९६३ में चालू करने का कार्यक्रम बनाया गया था।

(ग) कुछ विद्युतीय उपकरणों के यूगोस्लाविया से नौवहन में विलम्ब के कारण।

(घ) राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है।

†मूल अंग्रेजी में

^१Boiler.

^२Tenders.

दामोदर घाटी निगम

†६८. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल की सरकार से पानी का कुल कितना मूल्य लेना शेष रह गया है ;

(ख) क्या इस विषय में पश्चिम बंगाल की सरकार और निगम के बीच कुछ निरन्तर मतभेद चल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अन्तिम समझौता होने के समय तक कोई अस्थायी सूत्र (फारमूला) ढूंढ़ लिया गया है, उसे मान लिया गया है और उस पर कार्यवाही की गई है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० ८१५/६३]

दामोदर घाटी निगम

†६९. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सहायक उद्देश्यों' के शीर्ष के अन्तर्गत दिखाये गये व्यय को दामोदर घाटी निगम तथा भाग लेने वाली सरकारों के बीच आवंटन करने का प्रश्न तय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या शर्तें हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री(श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं । इस विषय पर अभी मध्यस्थ निर्णय किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई परियोजनाओं का रूपभेद

†१००. श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह मन्त्रणा दी है कि वे दूसरी अथवा अतिरिक्त फसलें उगाने के हेतु सुविधायें प्रदान करने के लिए विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं का रूपभेद करें ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के रूपभेद का सुझाव दिया गया है ;

(ग) क्या इसमें कुछ अतिरिक्त व्यय भी होगा ; और

(घ) यदि हां, तो वह कहां से किया जायेगा ।

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को मन्त्रणा दी है कि वे दूसरी अथवा अतिरिक्त फसलें उगाने के हेतु विद्यमान परियोजनाओं में जहां भी सम्भव हो रूपभेद करके सिंचाई सुविधायें प्रदान करने की सम्भावनाओं की खोज करें । अभी तक राज्य सरकारों से ऐसे रूपभेदों के कोई प्रस्ताव नहीं आये हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) ये व्यय राज्य सरकारों द्वारा उनकी योजनाओं के लिए स्वीकृत उच्चतम राशि में से किया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

कोसी की पूर्वी नहर

१०२. श्री योगेश्वर झा : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि इस वर्ष से 'कोसी की पूर्वी नहर' में पानी दिया जायेगा ;
 (ख) 'कोसी की पूर्वी नहर' के पूर्ण उपयोग के लिये कितने मील 'फील्ड चैनल' की जरूरत है और अब तक यह कितना बना है ; और
 (ग) क्या यह सच है कि आगामी कुछ वर्षों तक सिंचाई इसलिये नहीं हो सकेगी कि 'फील्ड चैनल' नहीं बना है ?

†सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) लगभग ५८०० मील 'फील्ड चैनल' बनाए जाने की जरूरत होगी ।

(ग) नहीं, १९६४ में कुछ सिंचाई आरम्भ करने का विचार है ।

सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ के अन्तर्गत नियम तथा अधिसूचनायें

†१०३. श्री हरिविष्णु कामत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ में निर्दिष्ट नियम और/अथवा अधिसूचनायें बना लिए गए हैं और/अथवा दे दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे सभा के सम्मुख कब रखे/रखी जायेंगे/जायेंगी ; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उनके कब तक बनाये जाने और/अथवा दिए जाने की आशा है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ में निर्दिष्ट नियमों और अधिसूचनाओं में से अधिकांश पहिले ही बना लिए गए हैं और १ फरवरी, १९६३ को अथवा इससे पूर्व लागू कर दिए गए हैं अथवा इस अधिनियम की धारा १६० (३) के उप-बन्धों के अनुसार अभी प्रभावशाली हैं ।

(ख) सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ के अन्तर्गत लागू किए गए २८ नियम और अधिसूचनायें लोकसभा के समक्ष १९ फरवरी, १९६३ को रख दी गई हैं और दूसरों की प्रतिलिपियां भी यथासम्भव शीघ्र सभा के सम्मुख रख दी जायेंगी ।

(ग) कुछ नियम तथा अधिसूचनायें अब भी सीमा शुल्क गृहों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य मन्त्रालयों के परामर्श से तैयार की जा रही हैं तथा उन्हें यथासम्भव शीघ्र ही दे दिया जायेगा ।

आयकर का निर्धारित करना तथा एकत्रित करना

†१०४ { श्री हरिविष्णु कामत :
 श्री स० मो० बनर्जी :
 श्री हेमराज :
 श्री दलजीत सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचवर्षीय अवधि अप्रैल, १९५७ से लेकर मार्च, १९६२ तक के प्रत्येक वर्ष में कितना आयकर निर्धारित किया गया तथा एकत्रित किया गया ;

- (ख) १ जनवरी, १९६३ को बिना एकत्रित की हुई कुल अवशिष्ट राशि कितनी थी ;
 (ग) क्या ऐसी अवशिष्ट राशि को शीघ्रतापूर्वक एकत्रित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ; और
 (घ) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त चित्रण क्या है ?

† वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क)

(करोड़ रुपयों में आंकड़े)

वर्ष	कुल निर्धारित आयकर	वास्तव में एकत्रित कुल कर वेतन में से की गई कटौती तथा कर की अग्रिम अदा- यगी को मिलाकर
	₹०	₹०
१९५७-५८	२०३.८४	२२०.२७
१९५८-५९	२३१.२०	२२६.३०
१९५९-६०	२०७.२५	२५४.७२
१९६०-६१	२०८.४९	२७८.४३
१९६१-६२	२६०.४८	३२१.८५

(ख) १ जनवरी, १९६३ को आयकर की अवशिष्ट रकम जो वसूल की जा सकती है १८१ करोड़ ३३ लाख रुपये थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) आयकर एकत्रित करने के लिए आयकर न चुकाने वालों के विरुद्ध निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं, जैसे कि आय-कर अधिनियम, १९६१, में निर्धारित किए गए हैं :—

- (१) समय पर कर न चुकाने के लिए धारा २२१(१) के अन्तर्गत जुर्माना करना ;
- (२) धारा २२२(१) के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी को प्रमाणपत्र भेजना जो इसकी प्राप्ति पर कर की अवशिष्ट राशि को वसूल करने के लिए कार्यवाही करता है;
- (३) यदि कर न चुकाने वाला एक वेतन भोगी कर्मचारी है तो धारा २२६(२) के अन्तर्गत संवितरण अधिकारी को एक लिखित सूचना भेजना जिसमें उससे कहा जाता है कि वह कर न चुकाने वाले के वेतन में से उसे वेतन देते समय कर की अवशिष्ट राशि काट ले ; और

† मूल अंग्रेजी में

- (४) धारा २२६(३) के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को लिखित सूचना देना जिसे कि कर न चुकाने वाले को कुछ रुपया देना हो अथवा देना पड़ सकता हो तथा उससे कहना कि वह नोटिस में उल्लिखित अवशिष्ट कर को तुरन्त ही आय-कर अधिकारी को अदा कर दे।

राज्य सरकारों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

†१०५. श्री हरिविष्णु कामत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को मन्त्रणा दी है, अथवा देने का विचार है, कि जहां तक राज्य सरकारों के कर्मचारियों के भत्ते का सम्बन्ध है वह तुलनात्मक पदों पर कार्य करने वाले तथा तुलनात्मक मूल वेतन लेने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते के समान ही होना चाहिए ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को मन्त्रणा नहीं दी है; और न ऐसा करने का विचार ही है।

(ख) यह राज्य सरकारों द्वारा स्वयं ही विचार किए जाने वाला विषय है।

तावा बहुप्रयोजनीय परियोजना

†१०६. श्री हरि विष्णु कामत : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तावा बहुप्रयोजनीय परियोजना, जिला हीशगाबाद, मध्य प्रदेश, के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या कार्य कार्यक्रम से पिछड़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री(श्री अलगेशन) : बांध स्थल पर बांध से मिलने वाली सड़कों तथा भवनों का निर्माण कार्य और अनुसन्धान कार्य प्रगति कर रहे हैं। सीधी और की मुख्य नहर की खुदाई तथा सीधी और बाई और की दोनों नहरों के अन्तिम मार्ग बनाने के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय आपात के परिणामस्वरूप कार्य की गति मन्द हो गई है।

राज्यों में भूमि का अर्जन

†१०७. श्री विभूति मिश्र : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को बड़े बड़े नगरों में बड़े पैमाने पर भूमि का अर्जन करने और भूमि के मूल्यों का जड़ीकरण करने का परामर्श दिया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री(श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). अक्टूबर १९६२ में देहली में हुए आवास मंत्रियों के सातें सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकारों को उन नगरों में, जहां भूमि के मूल्य तेजी से बढ़ रहे ह, भूमि अर्जन को सब से अधिक पूर्ववर्तिता देनी चाहिए, भूमि के मूल्यों का जड़ीकरण करने के लिए उचित विधान बनाना चाहिये जैसा कि महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों द्वारा किया गया था तथा अगले दस व र्षों की आवश्यकता के अनुसार भूमि अर्जित करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिए ।

राज्य सरकारों को यह सिफारिश क्रियान्विति के लिए भेज दी गई है । अभी तक उन में से किसी ने भी की गई कार्यवाही के बारे में सूचना नहीं भेजी ।

कुष्ठ

†१०८. { श्री श्यामलाल सराफ :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या डा० एस० नासू के नेतृत्व में जापानी कुष्ठ मंडल के शिष्यमंडल ने, जो कि आजकल इस देश के दौरे पर आया हुआ है, भारत में कोढ़ के विस्तार का अध्ययन किया है;

(ख) जापानियों ने इस देश में एक कोढ़ हस्पताल खोलने का जो प्रस्ताव रखा था क्या उस पर कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसे कहां स्थापित किया जायेगा ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) जापानी जनता की सद्भावना के रूप में शिष्टमंडल ने उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर ऐसा केन्द्र खोलने और चलाते का जो प्रस्ताव रखा था उसे राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों ने सिद्धान्त रूप में मान लिया है ।

(ग) अभी अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है।

बन्धकग्रस्त निष्क्रान्त भूमि की नीलामी

†१०९. श्री गुलशन : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान चले जाने वाले मुसलमानों द्वारा बन्धक रखी गई निष्क्रान्त भूमि को सरकार नीलाम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार उन लोगों से भूमि कैसे प्राप्त करती है जिनके पास कि उसे बन्धक रखा गया था; और

(ग) क्या नीलामी से पहले या बाद में उन्हें उनका भाग दिया जाता है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री(श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). मुसलमानों द्वारा बन्धक रखी गई सम्पत्ति मिली जुली है। ऐसी सम्पत्ति का निपटारा निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम, १९५१ के उपबन्धों और उसके नियमों के अनुसार किया जाता है ।

(ग) सम्पत्ति का विक्रय हो जाने के बाद सक्षम अधिकारी की आज्ञानुसार अनिष्क्रान्त व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है ।

पंजाब में निष्क्रांत कृषि-भूमि

†११०. श्री गुशलन: क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से आने वाले आप्रवासियों के दावों का भुगतान करने के बाद पंजाब में कितनी निष्क्रान्त कृषि भूमि बच गई थी;

(ख) उसमें से कितनी भूमि पंजाब सरकार को बेच दी गई है और प्रति एकड़ कितनी दर पर; और

(ग) क्या हरिजन खेतिहरों को यह भूमि रियायती दरों पर बेचने का कोई उपबन्ध किया गया है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). पंजाब में निष्क्रान्त कृषि भूमि अभी तक असन्तुष्ट दावेदारों में आवंटित की जा रही है। इसलिये दावेदारों की मांगों को पूरा करने के बाद कितनी भूमि बच रहेगी इसके बारे में कुछ ठीक ठीक बताना कठिन है। तथापि, ऐसी संभावना थी कि इन दावेदारों की मांगों को पूरा करने के बाद कुछ भूमि बच रहेगी। शेष बची यह भूमि पंजाब सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। मूल्य और दरों के बारे में जानकारी २२ अगस्त, १९६२ को अतारांकित प्रश्न संख्या १४७२ के उत्तर के सभा-पटल पर रख दी गई थी।

(ग) नहीं।

अंशों में वायदा व्यापार

†१११. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टॉक एक्सचेंजों में अंशों के वायदा व्यापार पर लगाया गया प्रतिबन्ध सफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अवांछित सट्टेबाजी को रोकने में इससे कहां तक सफलता मिली है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने के बाद व्यापार केवल नकद लेन-देन और अपरिशोधित सौदा-वचनों^१ के परिसमापन तक ही सीमित है। अतः अवांछित सट्टेबाजी के लिए अधिक गुंजायश ही नहीं है।

घड़ियों का तस्कर व्यापार

†११२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २६ दिसम्बर, १९६२ को पालम, नई दिल्ली, पर सीमा-शुल्क विभाग वालों ने बहुत सी घड़ियां पकड़ी थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई तथा ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) मामले की जांच हो रही है। ऐसे परेषणों की कठोर जांच करने के लिए हिदायतें दे दी गई हैं जिनमें ऐसी वस्तुओं के होने की संभावना हो।

†मूल अंग्रेजी में

^१Out standing Commitments.

तीसरी योजना के लिए अमरीका से परियोजना-रहित ऋण

†११३. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष के लिये दी जाने वाली ४३५० लाख डालर की सहायता के एक भाग के रूप में भारत को अमरीका से लगभग २००० लाख डालर का एक परियोजना-रहित ऋण मिलने की संभावना है;

(ख) भारत सरकार के साथ किये गये विभिन्न समझौतों के अधीन कुल कितनी सहायता मिलने वाली है; और

(ग) रुयों में लौटाये जाने वाले अमरीकी विकास ऋण कोष तथा पी० एल० ४८० के अधीन अनुदानों की राशि क्या है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने परियोजना-रहित आयातों के लिये २४०० लाख डालर का ऋण देने की इच्छा से सूचित किया है परन्तु ऋण करार पर अभी हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं ।

(ख) ३१ दिसम्बर, १९६२ को भारत सरकार के साथ हुए विभिन्न समझौतों के अधीन मिलने वाली कुल सहायता की राशि ४४,६०३ लाख डालर थी ।

(ग) रुयों में लौटाई जाने वाली अमरीकी विकास ऋण कोष की राशि ५,१३४ लाख डालर है। पी० एल० ४८० के अधीन उपलब्ध अनुदानों की राशि ७,८८१ लाख ८० हजार डालर है ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैंक्टरी

†११४. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैंक्टरी को १९६२ में कुल कितना लाभ हुआ ; और

(ख) क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा कहां तक उन्हें प्राप्त किया गया है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) १९६१-६२ में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैंक्टरी को ६.८२ लाख रुपये का लाभ हुआ था ।

(ख) ७६.२७ लाख रुपये की बिक्री का लक्ष्य सामने रखा गया था और फैंक्टरी ७५.४२ लाख रुपये तक की बिक्री करने में सफल हुई ।

खून का प्लाज्मा जमा कर शुद्धाने वाले एकक

†११५. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार भारत को चार नवीनतम प्रकार के खून का प्लाज्मा जमा कर

†मूल अंग्रेजी में

†Blood Plasma.

सुखाने वाले एकक दे रही है;

- (ख) क्या कोई एकक भारत पहुँच चुके हैं; और
(ग) चारों एककों के कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हाँ ।

(ख) अभी तक कोई नहीं ।

(ग) आशा है कि मार्च, १९६३ के अन्त तक चारों एकक दे दिये जायेंगे ।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा बांड

†११६. श्री हेम राज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा बांड्स में राज्य-वार कितना रुपया लगाया गया है;

(ख) क्या उनके प्रति प्रतिक्रिया उत्साहजनक है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बांड्स को अधिक आकर्षक बनाने के लिये सरकार और क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी बेसाई) : (क) १८ फरवरी, १९६३ तक मिली सूचना के अनुसार राज्य-वार विनियोजित राशि इस प्रकार है :—

राज्य	अभिदान की राशि
	रुपये
आन्ध्र प्रदेश	३४,७१,०००
आसाम	१,४६,७००
बिहार	१,६३,७७,२००
गुजरात	७०,३१,०००
केरल	३,६५,५००
मध्य प्रदेश	२३,६५,८००
मद्रास	७३,६६,४००
महाराष्ट्र	११,२४,२४,२००
मैसूर	१६,८२,१००
उड़ीसा	१,०३,०००
पंजाब	३०,४०,६००
राजस्थान	४,५८,८००
उत्तर प्रदेश	८,६६,६००
पश्चिम बंगाल	२,४६,७५,६००
देहली तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्र	२,३५,४६,५००
कुल	२०,४३,१७,३००

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन बांड्स के प्रति प्रतिक्रिया का अनुमान लगाते समय राष्ट्रीय रक्षा कोष तथा प्रतिरक्षा बचत प्रमाणपत्रों में दिये गए लगभग ६८ करोड़ रुपये के अंशदानों को भी ध्यान में रखना चाहिये । सब मिला कर, प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है ।

(ग) भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई में खाद्य पदार्थों में विषाक्तता

११७. { श्री हेम राज :
श्री सोनावने :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी में बम्बई में अमरीका से आयात किये गये चावल के खाने से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी जांच की गयी और उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). राज्य सरकार से सूचना भेजने के लिये अनुरोध किया गया है जिसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

व्यापारियों द्वारा सोने की घोषणा

†११८. { श्री मंत्री :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ९ फरवरी, १९६३ तक व्यापारियों द्वारा कितने सोने की घोषणा की गई है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): जिन व्यापारियों को अनुज्ञप्त किया जाना था, उन्हें १७ जनवरी, १९६३ तक घोषणायें भेजनी थीं । आभूषणों सहित सोने की कुल मात्रा, जिस की अब तक घोषणा की गई है, लगभग १५३.८० लाख ग्राम है ।

परिवार नियोजन

११९. { श्री गोकर्ण प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि रखी गयी थी ;

(ख) इसमें से कितनी धनराशि अभी तक व्यय हुई है ; और

(ग) इससे परिवार नियोजन की दिशा में कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में २,६६७.५७ लाख रुपये का (५००० लाख रुपये के कार्यक्रम सीलिंग सहित) विनिधान किया गया है।

(ख) दिसम्बर १९६२ तक का अनुमानिक व्यय ३,३०,२१,८६६ रुपये है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या ८१६/६३]

बाल पक्षाघात का टीका

†१२०. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में देश में बाल पक्षाघात का टीका बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कौन इस काम को संभालेगा और जल्दी से जल्दी कब तक ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) हां।

(ख) पेसच्योर इन्स्टीट्यूट, कुन्नूर और हाफकिन इन्स्टीट्यूट, बम्बई में टीके का उत्पादन करने का प्रस्ताव परीक्षाधीन है। उत्पादन के लिये अभी किसी निश्चित तिथि का बताना संभव नहीं है।

कारोनरी थ्रामबोसिस^१

†१२१. { श्रीमती रणु चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी }
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारोनरी थ्रामबोसिस के उपचार के लिये अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था ने देशीय पौधों से एक एंटी-कोएगुलेंट^२ तैयार किया है ;

(ख) क्या उसने शम तथा सम्मोहन^३ करने वाली भी कोई औषधि तैयार की है ;

(ग) क्या ये अभी प्रयोगात्मक स्तर पर ही है या पूरी तरह इनका परीक्षण हो चुका है; और

(घ) क्या ये उत्पादन तथा जनता को संभरित किये जाने के लिये तैयार हैं और, यदि नहीं, तो इसमें कितना समय लगेगा ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). हां।

(ग) और (घ). ये अभी प्रयोगात्मक स्तर पर हैं और जनता को संभरित करने की कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती।

†मूल अंग्रेजी में

^१Coronary Thrombosis.

^२Anti-Coagulant:

^३Tranquillising And Hypnoten sive:

स्थायी सिन्धु आयोग

†१२२. { श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्धु नदी सन्धि, १९६० के अनुसार बनाये गये स्थायी सिन्धु आयोग ने पिछली जनवरी में पाकिस्तान का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी हां । सिन्धु नदी सन्धि, १९६० के अनुच्छेद ८(४) (ग) के अधीन २२ से २८ जनवरी, १९६३ तक किये गए स्थायी सिन्धु आयोग के पन्द्रहवें पर्यवेक्षण दौरे के रिकार्ड की एक प्रति संलग्न है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० संख्या ८१७/६३]

नजफगढ़ नाला

†१२३. { श्री शिवचरण गुप्त :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहली में नजफगढ़ नाले को चौड़ा करने की योजना कब आरंभ की गई थी ;

(ख) योजना का मूल प्राक्कलन कितना था ;

(ग) योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन कितना है ;

(घ) विभिन्न भागों में क्या प्रगति की गई है ; और

(ङ) काम के कब पूरा होने की संभावना है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) योजना की दूसरी प्रावस्था को जनवरी १९६० में आरंभ किया गया था जब कि पहली प्रावस्था का काम १९५९-६० में पूरा कर लिया गया था ।

(ख) मूलतः प्राक्कलित व्यय ७९.२ लाख रुपये था ।

(ग) पुनरीक्षित प्राक्कलित व्यय का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(घ) नाले को फिर से खंडों में विभक्त करने और श्रेणीबद्ध करने के काम में लगभग ३५ प्रतिशत प्रगति हुई है । दो रेल पुल बनाने का काम पूरा हो चुका है और पांच में से चार सड़क-पुलों के काम में ४० प्रतिशत प्रगति हुई है ।

(ङ) सारा काम १९६४ के अन्त तक समाप्त हो जाने की आशा है ।

†मूल अंग्रेजी में

पलाई सेंट्रल बैंक का परिसमापन

†१२४. श्री केप्पन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलाई सेंट्रल बैंक के परिसमापन के संबंध में एडवोकेटों की फीस, कमीशन आदि के रूप में कुल कितना व्यय हुआ था ; और

(ख) परिसमापन के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ?

†वित्त मंत्री(श्री मोरारजी बेसाई) : (क) ३१ दिसम्बर, १९६२ तक कानूनी कार्यवाही पर कुल ७४,९३९ रुपये खर्च हुए थे । कानूनी कार्यवाही पर हुए व्यय के अतिरिक्त उस तिथि तक ११,६९,९३२ रुपये का अन्य परिसमापन व्यय (जिसमें परिसमापन कर्मचारियों का खर्च भी शामिल है) हुआ था ।

(ख) इस समय यह बताना संभव नहीं है कि परिसमापन के काम को पूरा करने में और कितना समय लगेगा । तथापि रुपया जमा कराने वालों को भुगतान करने तथा सामान्य रूप से परिसमापन करने के काम को तेज करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अमरीका तथा राष्ट्र मंडल के संयुक्त वायु सेना के शिष्ट मंडल का भारत आगमन

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जलौर) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूँ और उन से निवेदन करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

“भारत पर हवाई हमले से आक्रमण के बचाव की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अमरीका तथा राष्ट्रमंडल के एक संयुक्त वायु सेना के विशिष्ट मण्डल का भारत आगमन ।”

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस सम्बन्ध में संक्षेप से यह निवेदन है कि अमरीका-राष्ट्रमण्डल वायु-सेना संयुक्त मिशन यहां पर हमारे निमंत्रण पर आया है ।

गत अक्तूबर में चीन ने भारत पर आक्रमण किया । सरकार ने चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए हवाई हमले से रक्षा को सक्रिय बनाने के प्रश्न पर नवम्बर और दिसम्बर में अमरीका और ब्रिटेन जैसी मित्र सरकारों से बातचीत की है । इस में अमरीका-राष्ट्रमण्डल के विमान सेना के शिष्टमण्डल के भारत का दौरा करने का सुझाव दिया गया है ताकि वे भारतीय वायु सेना टेक्नीकल कर्मचारियों के साथ भारत की हवाई बचाव व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की समस्या का अध्ययन कर सकें और किये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये शीघ्र कार्यवाही कर सकें । इस वायु-सेना दल के दौरे के सम्बन्ध में, जो भारत सरकार के निमंत्रण पर आया है, भारत सरकार ने २३ जनवरी, १९६३ को एक प्रेस सूचना जारी की ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अमरीका-राष्ट्रमंडल वायु-सेना शिष्टमंडल भारत में लगभग तीन सप्ताह से है और वह जल्दी ही अपना अध्ययन और बातचीत समाप्त कर लेगा। अमरीका-राष्ट्रमंडल वायु-सेना दल और भारतीय वायु-सेना के विशेषज्ञों के बीच जो बातचीत हुई है उस के फलस्वरूप समाचार पत्रों में भारत में हवाई हमले से रक्षा के तौर पर विदेशी अड्डे और विदेशी विमान रखने के बारे में विभिन्न अनुमान लगाये गये हैं। वे रिपोर्ट गलत है और बड़ा चढ़ा कर कही गयी है।

अमरीका-राष्ट्रमंडल वायु-सेना शिष्टमंडल ने भारतीय वायु-सेना के विशेषज्ञों के साथ बातचीत में संभव चीनी हवाई आक्रमण संबंधी स्थिति का निर्धारण किया है और इस का मुकाबला करने के लिये भारतीय वायु-सेना के मजबूत किये जाने की आवश्यकता कितनी है इस पर ध्यान दिया है। इस बारे में जो प्राथमिक उपाय आवश्यक समझे गये हैं इन उपायों से यदि अचानक हमला होता है, तो भारतीय वायु सेना मित्र देशों से प्राप्त सहायता से अधिक कार्यकारी ढंग से काम कर सकेगी।

भारत में किसी विदेशी वायु सेना को रखने अथवा कोई विदेशी हवाई अड्डों के बनाने का कोई प्रश्न नहीं है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मिशन के भारत आने की हम सराहना करते हैं। उन्होंने अपने आप ऐसी कोई तजवीज प्रस्तुत नहीं की जिससे हमारी तटस्थता की नीति पर प्रभाव पड़ता हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि हवाई अड्डों के सुधार के अतिरिक्त वायु बल को मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं विस्तार से तो कुछ नहीं बता सकता। दो तीन बातों का मैंने उल्लेख किया है। वर्तमान हवाई पट्टी का विस्तार, भूमि पर नियंत्रण व्यवस्था में सुधार और हवाई हमले से बचाव की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संचार व्यवस्था का ठीक करना है। इस के लिए इस के अतिरिक्त विमान चाहियें और फिर विमानों का प्रयोग करने के लिए कुछ प्रशिक्षण भी चाहिए।

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या यदि अचानक चीन का हमला हो गया तो भारतीय वायु बल की इतनी शक्ति है कि वह इस का मुकाबला पूरी तरह कर सकेगा ? ईश्वर न करे इस की आवश्यकता आने वाले दो तीन महीनों में ही हो जाय ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे लिए विस्तार से कुछ कहना और यह कहना कि आने वाले वर्ष, दो वर्ष में क्या होगा, इस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इतना ही कह सकता हूँ कि हमें तैयार रहना चाहिए।

†श्री यशपाल सिंह (कैराना) : इस प्रोजेक्ट से हमारी ऐयर फोर्स की एफीशिएंसी किस हद तक मेक अप हो जायेगी और इस में कितना रुपया यू० एस० ए० का खर्च होगा और कितना हमारा खर्च होगा ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या यह क्वेश्चन है ?

श्री बड़े (खारगोन) : क्या मैं जान सकता हूँ कि जो अमरीकन ऐक्सपर्ट्स यहां आये हैं वे कितने आये हैं और वे कितने दिन तक हमारी ऐयर फोर्स को ट्रेनिंग देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इस को जान कर माननीय सदस्य को क्या फायदा होगा ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें सामान्य (१९६२-६३)

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं वर्ष १९६२-६३ के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों (सामान्य) का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ ।

लोक लेखा समिति—छटा प्रतिवेदन

†श्री त्यागी (देहरादून) : मैं वित्त लेखे (राजस्व प्राप्तियां) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक), १९६२ का अध्याय ७ के बारे में लोक लेखा समिति के छठे प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूँ ।

सोना नियंत्रण सम्बन्धी भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियमों के बारे में याचिका

†श्री त्रिविब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मैं सोना नियंत्रण सम्बन्धी भारत प्रतिरक्षा (संशोधन)नियम, १९६३ के बारे में दस याचिकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूँ ।

संघ राज्य-क्षेत्रों का शासन विधेयक

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कुछ संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए विधान सभाओं और मंत्रिपरिषदों तथा कुछ अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिये विधान सभाओं और मंत्रिपरिषदों तथा कुछ अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : आप ने इस में दिल्ली को सम्मिलित नहीं किया है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : हां, इस विधेयक में दिल्ली को सम्मिलित नहीं किया गया है । मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

राष्ट्रपति के भाषण पर प्रस्ताव

†अध्यक्ष महोदय : २० फरवरी, १९६३ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी संशोधनों पर चर्चा जारी रहेगी :—

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

‘कि इस अधिवेशन में समवेत लोक-सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति महोदय के अत्यन्त आभारी हैं, जो उन्होंने ने १८ फरवरी, १९६३ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है।’ ”

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : नये राष्ट्रपति का यह प्रथम अभिभाषण है। और यह उस में हुआ है जबकि देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जा चुकी है। सरकार की नीतियों को प्रकट करने का यत्न किया गया है। यह बताने का यत्न किया गया है कि देश में सब कुछ ठीक है। इस में सरकार की ओर से देश की समक्ष समस्याओं के लिए कोई निश्चित नीति की घोषणा नहीं की गई। कोई निश्चित कार्यवाही करने की कोई इच्छा भी प्रकट नहीं की गयी। देशवासी यह चाहते हैं कि सरकार कोई स्पष्ट घोषणा करे कि वे इस मामले में अर्थात् आक्रमणकारियों को खदेड़ बाहर करने में क्या कार्यवाही करने जा रही हैं। लगता यह है कि प्रयत्न किये जा रहे हैं कि स्थिति सामान्य ही है।

कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में आशा थी कि सरकार यह स्पष्ट कहेगी कि हम अपना कर्तव्य पूरा कर चुके हैं, अब उत्तरदायित्व कोलम्बो शक्तियों का है। परन्तु यह भी एक ठोस तथ्य है कि छः कोलम्बो शक्तियों में से ४ चीन के पक्ष में हैं। हमें अब इन प्रस्तावों को छोड़ देना चाहिए। कब तक हम प्रतीक्षा की स्थिति में रहेंगे। हमें अपनी शक्ति अपने पड़ोसी देशों से शक्ति बढ़ाने में लगानी चाहिए। पाकिस्तान और नेपाल से सम्बन्ध सुधारने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। साम्यवादी रूसी गुट के देशों को भी मित्र बनाना चाहिए।

देश में यह गलत धारणा भी बढ़ती जा रही है कि भारत पश्चिमी देशों के प्रभाव में आता जा रहा है। कुछ पदासीन दल के लोग भी ऐसी बातें कह रहे हैं। साथ ही ये लोग यह बताने का यत्न कर रहे हैं कि भारत की प्रतिरक्षा के बारे में चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। मुख्य प्रश्न तो स्पष्ट है कि चीन के साथ हमारा जो विवाद है उसे बातचीत द्वारा किस ढंग से हल किया जा रहा है। चीन का जो रवैया, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इन हालात में उचित बात यही दिखाई देती है कि हम उन मित्र देशों की सहायता से, जिन्होंने ने आक्रमण के समय सहायता करने को कहा है, अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनायें। मैं उन से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि यह प्रश्न बातचीत द्वारा हल हो सकती है। हम अपनी क्षेत्रीय अखंडता बनाये रखना चाहते हैं जबकि चीन हमारे देश पर हमला करना चाहता है। वस्तुतः हमें ऐसी परिस्थितियाँ तैयार करनी हैं कि चीन को हमारा सारा क्षेत्र हमें लौटाना पड़े तथा यह समस्या केवल सीमांत सम्बन्धी ही रह जाये। चीन ने यह रवैया बिल्कुल नहीं अपनाया है। उस पर और अधिक विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में केवल यही उचित है कि हम उन मित्र देशों की सहायता से जिन्होंने ने आक्रमण के समय सहायता करने को कहा अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनायें।

सरकार ने चीन सम्बन्धी नीति के प्रति जनता में एक द्विविधा पैदा कर दी है तथा इस प्रश्न पर लोक-सभा में जो एकता पैदा हो गई थी वह भंग हो गयी है। जनता के हृदय में यह भावना

मजबूत हो गयी है कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। इससे जनता में उत्साह ठंडा पड़ गया है। इस प्रकार हम जनता के उत्साह का फायदा नहीं उठा सके हैं इसके विपरीत हमारे प्रशासकों की अयोग्यता, हमारी व्यवस्था की समस्त बुराई का परदा फाश हो गया है।

आपातकाल में मंत्रियों को असाधारण शक्तियां दी गयी हैं तथापि उन शक्तियों के आधार पर लाभ उठाने के स्थान में मंत्री एक दूसरे को दोष दे रहे हैं तथा परस्पर दोषारोपण कर रहे हैं। उदाहरणार्थ अर्थ और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री ने यह कहा है कि वे नहीं जानते कि किसी विषय के बारे में किस विशेष मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया जाये वस्तुतः परस्पर विभागों के बीच बहुत झगड़े इत्यादि चल रहे हैं यहां तक कि वास्तविक समस्या उलझी ही रह जाती है। दुःख यह है कि समस्त प्रशासन में खोखलापन और अकार्यकुशलता फैली हुई है। आपातकाल होने पर भी अपव्यय और भ्रष्टाचार सदैव की तरह चल रहा है।

प्रतिरक्षा समिति जिस प्रकार कार्य कर रही है उससे लगता है कि कहीं वह सरकार की कठपुतली मात्र न रह जाये। रक्षा कोष के लिये धन संग्रह करने में किसी प्रकार का दबाव डालना उचित नहीं है।

सरकार ने साम्यवादियों के बारे में जो प्रतिरक्षा कार्यक्रमों में बाधा डाल रहे हैं नम्र रवैया अपनाया है।

यद्यपि सरकार यह दावा करती है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है तथापि वास्तविकता यह है कि कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—मध्य) : यद्यपि हमारे राष्ट्रपति को भाषा पर प्रकांड अधिकार है तो भी मेरे विचार से उनका अभिभाषण बिल्कुल बेजान है। यह बात सर्वविदित है कि अभी हाल के महीनों में हमें जो अनुभव हुए हैं वे अप्रत्याशित हैं तथा हम ने जिन आशाओं से अपने समस्त अधिकार राष्ट्रपति को सौंपे थे उनका उचित उपयोग किया जा रहा है। संकट के दौरान भारत का जो स्वरूप प्रकट हुआ है उससे भारत की वास्तविक एकता प्रकट हो गयी है। हमें जनता के इस उत्साह से लाभ उठाना चाहिये था और ऐसे उपाय करने चाहिये थे जो लोगों की भावनाओं के अनुकूल होते। दुःख का विषय है कि अभिभाषण में इसका निर्देश नहीं मिलता है कि ऐसे उपाय किये गये हैं।

सरकार ने कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार कर लिये हैं और सभा ने उनका समर्थन किया है। अब विश्व मत यह है कि चीन भी उन प्रस्तावों को मान ले वे। ताकि दोनों देशों के बीच बातचीत आरम्भ हो सके। उनको मानने में देरी करने से बहुत हानि होगी।

हम पाकिस्तान से हर संभव समझौता करने को तैयार हैं। परन्तु हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये कि जिससे जम्मू तथा काश्मीर की स्थिति पर प्रभाव पड़े तथा जो भारत के हित के प्रतिकूल हो। उस देश के साथ चल रही वार्ता के विषय में संसद् को जानकारी दी जानी चाहिये। जहां तक पश्चिमी प्रतिरक्षा प्रस्तावों का सम्बन्ध है यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है कुछ विशेष प्रकार के सैनिक उपकरणों के संचालन नियंत्रण का कार्य भी विदेशियों के हाथों में नहीं होगा। ये प्रस्ताव स्वतंत्र विदेशी नीति के विरुद्ध नहीं होने चाहिये हमें इस बारे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

चीनियों ने जो दुस्साहस किया है उसे दक्षिण रंधियों को सभी प्रकार के आरोप लगाने का अवसर मिल गया है। इससे न केवल हमारी विदेशी नीति को बल्कि हमारी विकास योजनाओं को भी हानि होगी। समाचार पत्र भी वर्तमान स्थिति के बारे में उत्तेजनात्मक कार्यवाही कर रहे हैं। समाचार पत्र जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वह सिद्धान्त रूप से देश के हितों के विरुद्ध है। उदाहरणार्थ आनन्द बाजार पत्रिका में हमारे प्रधान मंत्री और श्रीमती भंडारनायक के सम्बन्ध में एक ऐसा कार्टून प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक बतलाना भी अभद्र होगा। मैं यह बात गृह मंत्री को बताना चाहता था तथापि वे यहां उपस्थित नहीं हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रधान मंत्री को इसकी जानकारी हो चुकी है इससे स्पष्ट है कि न केवल पत्रकार अपितु कलाकार और लेखक भी इन बड़े समाचार पत्रों के कठपुतले हैं।

इसी प्रकार देश के समाचार पत्रों ने विद्वान बोस आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किया। अन्य पत्रों की बात जाने दीजिये, स्वतंत्र पार्टी के मुख पत्र 'स्वराज' में भी इस आयोग का कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ। जिसमें यह बताया गया था कि बड़े पूंजीपति किस प्रकार जनता का करोड़ों रुपया डकार जाते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पोठासीन हुए]

इतना ही नहीं सरकार आपातकालीन शक्तियों का लाभ उठाकर साम्यवादियों के विरुद्ध प्रतिकारात्मक कार्यवाही कर रही है। साम्यवादियों को निसंकोच जेलों में ठोंसा जा रहा है वहां उन्हें वे सुविधायें नहीं दी जा रही हैं जो कि राजनैतिक बंदियों को प्राप्त होती हैं।

वस्तुतः साम्यवादी भी प्रतिरक्षा के लिये यथाशक्ति योग देना चाहते थे तथापि उन्हें कार्य नहीं करने दिया गया। वस्तुतः सरकार को स्मरण रखना चाहिये कि आज भी प्रतिरक्षा के लिये जो कुछ किया जा रहा है उसमें जनता का ही अंश है।

१६ फरवरी, १९६३ के इकनामिक वीकली में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान देने के मामले में साधारण लोगों ने और धनी लोगों ने किस तरह व्यवहार किया है। उस में बताया गया है कि साधारण लोगों ने सब कुछ दिया है और श्रमिकों ने स्वेच्छा से अधिक समय के लिए काम किया है। किन्तु ऐसा काम करने वालों को अतिरिक्त घोषित कर दिया गया है।

सरकार सोना नियंत्रण आदेश के द्वारा भी जमा किये हुए सोने के ढेरों को हाथ नहीं लगा सकी। मेरा मतलब यह है कि सरकार ने वहां पर हाथ नहीं डाला जहां पर उसे डालना चाहिये था।

राष्ट्रपति के अभिभाषण से लोगों की संतुष्टि नहीं हुई।

[श्री पु० र० पटेल (पाटन) : अभिभाषण में कहा गया है कि कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि जब तक हमें अपना उत्पादन दुगना न कर दें, हम तीसरी योजना को पूरा नहीं कर सकेंगे। हम सदा खाद्यान्न आयात करते रहते हैं और इस समय भी कर रहे हैं। हम ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक प्रयत्न किये हैं, किन्तु वृद्धि संतोषजनक नहीं हुई। कारण यह है कि पर्याप्त प्रेरणा स्रोतों का अभाव है। उचित बात यह है कि न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये जायें और कृषकों को इसकी प्रत्याभूति दी जाये। यह अभी तक नहीं किया गया। यह आवश्यक है कि सभी कृषि उत्पादों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये जायें। इस समय न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों में बहुत अन्तर है। सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिये।

नूल अंग्रेजी में

अनाजों और दालों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस समय किसानों को उस मूल्य से अधिक नहीं मिल रहा है जो उन्हें १९५१ में मिलता था। उसके विपरीत खेती की लागत तथा निर्वाह व्यय में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। केवल खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई। कुछ राज्य सरकारों ने लगान २० प्रतिशत और कुछ ने १०० प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। कृषकों का भार बढ़ गया है, यद्यपि उन की आय में वृद्धि नहीं हुई। राज्य सरकारों ने सिंचाई और नलकूपों की दरें भी बहुत बढ़ा दी हैं। कृषि के प्रति नीति बदलनी पड़ेगी। उनके प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाये और उन की कठिनाइयों को दूर किया जाये। इसलिए सब से अधिक महत्वपूर्ण चीज इस समय यह है कि कृषि में सुधार किया जाये।

†श्री अब्दुलगनी गोनी (जम्मू और काश्मीर) : राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत संक्षिप्त है। मैं अपना भाषण काश्मीर सम्बन्धी भारत-पाकिस्तान बातचीत तक सीमित रखूंगा।

माननीय सदस्यों को यह याद रखना चाहिये कि जम्मू और काश्मीर संविधान की धारा ३ के अनुसार वह राज्य भारत का एक अभिन्न अंग बन चुका है। जम्मू और काश्मीर का संविधान भारतीय संविधान की धारा ३७० के अन्तर्गत उस का एक भाग बन जाता है। अनुच्छेद १ में जम्मू और काश्मीर को भारत संघ का पन्द्रहवां राज्य माना गया है। काश्मीर के विलय का निर्णय समूचे राज्य पर लागू होता है और उसके केवल किसी भाग पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि जम्मू और काश्मीर समूचे रूप से भारतीय संघ का एक अंग है, जैसा कि यह १५ अगस्त, १९४७ को था।

काश्मीर में हम पाकिस्तान के आक्रमण का शिकार बने और हमारे प्रधान मंत्री ने यह कहा कि हम अपनी भूमि का एक एक इंच हिस्सा उन से खाली करवायेंगे। इस बीच में, उत्तरीय सीमाओं पर, चीन द्वारा हम पर आक्रमण किया गया। चीन के आक्रमण के पश्चात् काश्मीर का प्रश्न फिर से उठाया गया है। हम पश्चिमी देशों, विशेषतया अमरीका तथा ब्रिटेन, के आभारी हैं कि उन्होंने हमारी सहायता की; परन्तु इस के परिणामस्वरूप हमें लद्दाख, नेफा अथवा काश्मीर में अपने राज्य-क्षेत्र का अध्यर्पण नहीं करना है।

काश्मीर के बंटवारे की चर्चा कुछ सदस्यों द्वारा राज्य-सभा में की गई, परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूँ कि ऐसी बातें करने वाले लोग हवा में उड़ते हैं। हम काश्मीर के बंटवारे को बिलकुल नहीं मानेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान से इस सम्बन्ध में लड़ते रहे हैं और अन्त में विजय अवश्य हमारी ही होगी। कुछ सैनिक सहायता के बदले हमें किसी विदेशी शक्ति के सामने झुकना नहीं है। काश्मीर के लोगों ने भारत के प्रति विश्वास प्रकट किया है, अतः काश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। काश्मीर के सम्बन्ध में अध्यर्पण अथवा बंटवारे की बात करना संविधान का उल्लंघन करना है।

यदि आप इतिहास को देखें तो विदित होगा कि काश्मीर के लोग, जोकि बहुधा मुस्लिम हैं, पाकिस्तान से स्वयं युद्ध करते रहे हैं। सारे देश में जिन्नाह का १९४७ में स्वागत हुआ, परन्तु काश्मीर से उन्हें निराश लौटना पड़ा था। कांग्रेस के साथ हम ने कन्धे से कन्धा मिला कर संघर्ष किया है। हमारा इतिहास काश्मीर में धर्मनिर्पेक्षता की गवाही देता है। काश्मीर का मामला, केवल राज्य-क्षेत्र का न हो कर, कुछ सिद्धान्तों पर आधारित है। काश्मीरी भारत का अभिन्न अंग होने के नाते नेफा के लिए भी उतने ही चिन्तित हैं जितने काश्मीर के लिये हैं। जनरल अयूब खां काश्मीर में जनमत की चर्चा तो करते हैं, परन्तु पाकिस्तान में जो सरकार बनी, वह जनमत द्वारा नहीं बनाई

[श्री अब्दुलगनी जोनी]

गई हैं। दूसरी ओर जम्मू तथा काश्मीर की सरकार जनमत द्वारा बनाई गई है। शेख अब्दुल्ला जिन पर अब मुकद्दमा चल रहा है, वह भी काश्मीर का सम्बन्ध पाकिस्तान से जोड़ने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं की नैतिकता में हम ने यह निश्चय किया था कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा। अन्य राज्यों से तुलनात्मक दृष्टि से काश्मीर एक पिछड़ा हुआ राज्य है, और वहां के लोग विकास की ओर अग्रसर हैं, और वह इस समय अन्तिम निश्चय किये हुए हैं कि उन्हें भारत के साथ ही रहना है।

वहां प्रत्येक क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास हो रहा है। शिक्षा के सम्बन्ध में भी हमने काफी उन्नति की है। स्कूलों तथा कालेजों की संख्या बढ़ रही है। विद्युत् उत्पादन बढ़ गया है। रेशम उद्योग में, जो हमारा मुख्य उद्योग है, हमने काफी तरक्की की है। वहां पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा हर प्रकार उन्नति हो रही है। इसलिये काश्मीर के के बंटवारे की बात करना सर्वथा अनुचित तथा सारहीन है। हम इस को सहन नहीं कर सकते।

मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले पर भारतीय राज्य-क्षेत्र की अखण्डता को मुख्य रख कर विचार करें। जो आज साम्प्रदायिक आधार पर काश्मीर की मांग कर सकते हैं वही कल इसी आधार पर असम अथवा बंगाल के बंटवारे की चर्चा भी कर सकते हैं।

जैसा कि मैंने कहा, हमारा युद्ध एक सैद्धान्तिक संघर्ष है। यदि हम आज अयूब खां को खुश करने का प्रयत्न करेंगे तो कल को पाकिस्तान में कोई अन्य नेता आ जाने पर एक नई समस्या उत्पन्न हो सकती है। उदाहरणतया, जल विवाद समाप्त हो जाने के पश्चात् भी वह चुनाव और जेहलम से और जल की मांग कर रहे हैं।

अन्त में मैं सभा से और विशेषतया सभा के नेता से यह निवेदन करूंगा कि वह हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और काश्मीर के हितों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले पर विचार करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के भाषण का अगर चन्द शब्दों में वर्णन किया जाये, तो कहा जा सकता है : "सत्यं शिवं सुन्दरम्"। चूंकि राष्ट्रपति जी के भाषण में संसार के हर एक विषय पर वार्ता हो सकती है और उस भाषण पर विचार करते समय हम लोग सब कुछ कह सकते हैं, इसलिए हम लोग उस भाषण में सब कुछ खोजते भी हैं और चाहते हैं कि उसमें सब बातों का उल्लेख किया जाये। धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो एमेंडमेंट्स इस सदन में रखे गये हैं, अगर हम उनको देखें, तो मालूम होगा कि राष्ट्रपति के भाषण में यदि उन सब बातों का समावेश किया जाये, तो वह भाषण एक कैटालाग आफ ग्रीवेंसेज हो जायेगा, वह ग्रीवेंसेज का एक पोथा मात्र बन कर रह जायेगा और अधिक महत्वपूर्ण बातें तथा वर्तमान स्थिति के बारे में सरकार की नीति तथा कार्यक्रम कहीं छिप जायेंगे। हर एक मनुष्य हर एक चीज को अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है और उसमें अपनी भावना पाना चाहता है और ढूंढता है। उसको न पाकर उस को सदमा होता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता है कि अगर राष्ट्रपति जी अपने भाषण में इन छोटी छोटी बातों का जिक्र करने लगे तो उसका स्वरूप क्या हो जायेगा और उसमें महत्वपूर्ण बातों का समावेश कैसे हो सकेगा।

राष्ट्रपति जी के भाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है, उस पर अब तक चार दलों की तरफ से स्पीचेज हुई हैं। एक स्पीच तो श्री गोपालन की हुई है, जिनकी विचार-धारा मास्को लाइन के अनुसार चलती है। दूसरी स्पीच आचार्य रंगा की हुई, जो कि इस बात के लिए बेताब है कि

हिन्दुस्तान जल्दी से जल्दी किसी गुट में शामिल हो जाए। तीसरा भाषण महापंडित श्री यू० एम० त्रिवेदी का हुआ। मैंने उनको महापंडित इसलिए कहा कि जब एक सदस्य बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि वह इग्नोरेंट हैं, मूर्ख हैं। जो व्यक्ति दूसरों को मूर्ख समझता है, वह महापंडित होगा तो? वह अपने को महापंडित समझता होगा, तभी तो वह दूसरे को मूर्ख कह सकता है।

श्री बृजराज सिंह (बरेली) : माननीय सदस्य दूसरे को महापंडित समझते हैं, तो वह क्या होंगे ?

श्री द्वा० ना० तिवारी : अपने को महापंडित समझने वा और दूसरों को मूर्ख समझने वाले को लोग क्या कहते हैं, यह माननीय सदस्य खुद सोच-समझ लें।

एक माननीय सदस्य : "मूर्ख" नहीं कहा, "इग्नोरेंट" कहा।

श्री द्वा० ना० तिवारी : 'इग्नोरेंट' के माने वही होते हैं।

चौथा भाषण हुआ सोशलिस्ट पार्टी के नेता, श्री बागड़ी, का जिनकी एक ख़ासियत यह है कि वह कभी भी, कुछ भी, कह सकते हैं और उन पर कोई भी प्रतिबन्ध या बन्धन नहीं है। न उनकी जुबान पर और न विचारों पर ही कोई नियन्त्रण है।

इन सब भाषणों का एक सारांश यह निकलता है कि उन की पहली ग्रीवेंस यह है कि इमर्जेसी की घोषणा या डिफेंस आफ इण्डिया रूल्ज़ के सम्बन्ध में है। वे समझते हैं कि ये कांग्रेस के लोगों के फ़ायदे के लिए जारी किये गए हैं और उसी के लिए इस्तैमाल किये जाते हैं और उनके द्वारा दूसरी पार्टियों को दबाया जा रहा है। गृह मन्त्री महोदय ने बताया था कि लगभग सात सौ व्यक्ति डिटेन्शन में हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उनमें से स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ के कितने लोग हैं। अगर देखा जाये, तो उनमें एक-आध तो कांग्रेस पार्टी के भी व्यक्ति हैं। जो इस हाउस में कांग्रेस पार्टी के सदस्य रह चुके हैं, वे भी इस समय डिटेन्शन में हैं। जैसी किसी की करनी होगी, वैसा ही वह भरेगा भी। अगर डीटेन किये गए व्यक्तियों में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अधिक हैं, तो उसके लीडर, श्री गोपालन, को क्यों शिकायत हुई।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : वे बग़ैर करनी के हैं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं श्री गोपालन से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह ईमानदारी से कह सकते हैं कि उनकी पार्टी के सदस्य इस बारे में एकमत हैं कि चीन के साथ लड़ाई में हिन्दुस्तान का पक्ष लिया जाए और चीन के साथ जंग की जाए। नहीं, उनकी पार्टी में विभिन्न रायें हैं और कुछ लोग चाइना-लाइन का समर्थन करने वाले हैं। क्या श्री गोपालन चाहते हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, जिससे वे देश में गड़बड़ी मचा सकें? पहले आप अपने घर को, अपनी पार्टी को अपने ग्रुप को आर्डर में लाइये, ताकि यह मौका गवर्नमेंट को न मिले कि आपके आदमियों को वह पकड़े। आप समझ लीजिये कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पकड़े गए हैं वे इसलिए नहीं पकड़े गए हैं कि वे इतने तगड़े थे या इतने बड़े थे कि कांग्रेस का नुकसान कर रहे थे या कांग्रेस उन लोगों को नीचा दिखलाना चाहती थी बल्कि इसलिए पकड़े गए हैं कि उनकी हरकतें ऐसी थीं कि अगर उनको न पकड़ा जाता तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था या अगर उनको छोड़ दिया जाए तो भी देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ लोग उनमें से छोड़े भी गए हैं और वे वे लोग हैं जिनका बाद में देखा गया कि घाचरण सही है। नम्बूदरीपाद जैसे व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है। वे पहले पकड़ लिये गये थे। अगर फिर देखा जाएगा कि छूटने के बाद भी वे कुछ इस तरह की बातें करते हैं तो फिर उनको पकड़ा

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

जा सकता है। फिर भी अगर गड़बड़ी वे करते हैं तो देखना होगा कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिये। उनको पार्टी की सेक्रेटरी शिप से हटा दिया गया है। अब वह कुछ इस तरह की बात करें या नहीं करेंगे यह भविष्य ही बतायेगा।

स्वतन्त्र पार्टी के लीडर चाहते हैं कि हम एक गुट में मिल जायें। मुझे एक प्रावर्ब याद आता है “मोर लायल दैन किंग हिमसैल्फ”। कुछ दरबारी ऐसे होते हैं जो राजभक्ति में इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि राजा जितना अपने लिए नहीं चाहता है, उससे अधिक करते हैं। अमरीका और इंग्लैण्ड तो हम से कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान की नीति ठीक है, नान-एलाइनमेंट ही भारत की नीति रहनी चाहिए। वह हिन्दुस्तान के लिए फायदेमन्द है लेकिन हमारे लोग कह रहे हैं कि हमारा बिना उनको बुलाये काम नहीं चल सकता है कि और उनकी तरफ हम नहीं जायेंगे तो हमारी हानि होगी। मेरी समझ में उनकी यह बात नहीं आई है। यह एक मोटी सी बात है। जिनकी तरफ वह चाहते हैं कि हम मिलें वे तो कहते हैं कि मिलना ठीक नहीं है, तुम्हारा इसी तरह से रहना ठीक है, लेकिन यह कहते हैं कि नहीं, हमें जरूर मिल जाना चाहिये, हमें जरूर उनकी वफादारी करनी है। जब स्वतन्त्र पार्टी के लोग इस तरह की बात करते हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनकी बात को समझना मुश्किल हो जाता है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी जी ने शिकायत की है कि हम हिन्दी की अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन वह हिन्दी की कैसी सेवा करते हैं, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जितने भी उनके भाषण होते हैं, जितने भी उनके प्रश्न होते हैं, सब अंग्रेजी भाषा में होते हैं। हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त के वह रहने वाले हैं और हिन्दी उनकी मातृभाषा है। आदमी उसी भाषा में बोलना अधिक पसन्द करता है जिसमें वह अधिक अच्छी तरह से बोल सकता है। लेकिन उनको बोलना पड़ता है अंग्रेजी में...

श्री कोया (कोजीकोड़) : वह अंग्रेजी में इस लिए भाषण देते हैं ताकि और लोग उसे समझ सकें।

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : आपनी की चान जे आमी बंगाली बोली अमार पार्टी आन्ये शड़ाशे अनादर भिशाये बोलें।

श्री द्वा० ना० तिवारी : आप बंगला बोलिये, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री कोया: मातुलावरकु मनासिलवन कॅदीतानू हिन्दीयिल सांसारिकथायू ।

हिन्दीयिल सांसारिचल एलाचारकुम मानसीलावाकुंला ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : हमें समझना चाहिये कि बहुत से लोग इस सदन के अन्दर हैं जो हिन्दी नहीं समझते हैं और उनको हिन्दी बोलने में दिक्कत होती है। अब उनको कहें कि नहीं तुम हिन्दी में ही बोलो, तो इसका क्या नतीजा होगा। इसका नतीजा यह होगा कि जो फायदा उनके विचारों से हम उठा सकते हैं, उससे हम महूरूम रह जायेंगे, उनकी बात हमारे सामने नहीं आ सकेगी। अभी भी जितने हिन्दी भाषा भाषी प्रदेश हैं, उनमें भी बहुत से काम अंग्रेजी में होते हैं। हाईकोर्ट्स के फैसले अंग्रेजी में होते हैं। हम लोग बिहार से आते हैं। वहां पर बहुत से काम अंग्रेजी में होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त भी हैं, वे भी फुलली हिन्दी में स्विच आन नहीं कर सके हैं।

मूल अंग्रेजी में

जब ऐसी बात हिन्दी भाषी प्रान्तों की है तो उन प्रान्तों की डिफिकल्टीज को भी हमें समझना चाहिये जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, जो आज तक हिन्दी में काम नहीं कर सके हैं ।

गवर्नमेंट की प्रोपोजल क्या है ? उसका प्रोपोजल है कि अंग्रेजी को सह-भाषा बनाया जाए, मेन भाषा हिन्दी रहे । सेविका या लॉडी के समान बनाया जाए, अंग्रेजी का हिन्दी की सेवा करने वाली बनाया जाए । यह उन प्रान्तों को मदद देने के लिए किया जा रहा है, जिन की भाषा हिन्दी नहीं है । क्योंकि उनको अभी दिक्कत होती है, इसलिये उनकी मदद करने के लिये अंग्रेजी कुछ समय तक रहे और उस समय तक रहे जब तक कि वे भी हिन्दी में उतनी ही सुविधा से न बोल सकें, वैसे ही आसानी से काम न कर सकें जिस तरह से दूसरे कर सकते हैं । अगर किसी पर भी भाषा को जबर्दस्ती लादा जाए तो मामला बिगड़ जाता है । यह दस बीस आदमियों का सवाल नहीं है । चार प्रान्त तो साउथ के हैं । एक बंगाल है । महाराष्ट्र और गुजरात के लोग भी अपने विचारों को बहुत फ्रीली हिन्दी में नहीं व्यक्त कर सकते हैं । इसलिए उनकी डिफिकल्टी को ध्यान में रखना जरूरी है । दूसरों की भावनाओं को भी समझा जाना चाहिये । हमें नहीं चाहिये कि हम जबर्दस्ती उन पर इसको लाद दें और आगे चल कर काम बिगड़ जाए । इसलिए मैं श्री यू० एम० त्रिवेदी जी से पूछना चाहता हूँ जो कि इस समय यहां पर नहीं हैं कि आप तो अच्छी तरह से हिन्दी बोल सकते हैं, आप तो हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त से आते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं हिन्दी में बोलते हैं । जब आप हिन्दी में नहीं बोलते हैं तो कैसे दूसरे लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि वे हिन्दी में बोलें और काम करें जबकि वे हिन्दी भाषा भाषी नहीं हैं और अभी उन्हें हिन्दी की पूरी जानकारी नहीं हो सकी है ।

इकोनोमिक उत्थान की भी बात यहां की जाती है । इसका हैलथ से बहुत गहरा सम्बन्ध है । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक लाइन दी गई है जिसको मैं पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूँ । उन्होंने कहा है :--

“देश में स्वास्थ्य अवस्था में काफी उन्नति हुई है, और जीवनावधि जो १९४० में ३२ थी अब ४७ हो गई है, और अभी यह और बढ़ रही है ।”

इस सम्बन्ध में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस देश का आर्थिक स्तर नीचा होता है उस में जीवन का माप कम होता है । हिन्दुस्तान में पहले जीवन की अवधि क्यों कम थी ? इसलिए वह कम थी कि हमारे पास खाने को कम था, हमारी इकोनोमिक कंडीशन खराब थी । लेकिन जैसे जैसे इस में सुधार होता जाता है वैसे वैसे लाइफ स्पैन भी बढ़ता जाता है । इकोनोमिक कंडीशन हमारी क्या है ? १९४७ से आज की तुलना आप करें । आपको पता चल जाएगा कि कितना उस में सुधार हुआ है । मैं मानता हूँ कि हमारी आर्थिक दशा जैसी इंग्लैंड या अमरीका या रूस की है, वैसी नहीं है । लेकिन उन लोगों को आजाद हुए कितना समय हो गया है और हमें कितना हुआ है, इसको भी आप देखें । वे लोग उतने सताये नहीं गये थे, जितने हम सताये गये थे, उनका इतना एक्सप्लायटेशन नहीं हुआ था जितना हमारा हुआ था । सारा देश जरजर कर दिया गया था, कुछ यहां था हो नहीं । हर चीज का हमें निर्माण करना था । “नहीं” से हमने शुरू किया है और इस दशा में आ गए हैं ।

कुछ लोग कहते हैं कि गरीब दिन-ब-दिन गरीब होते जाते हैं और धनी दिन-ब-दिन धनी होते जाते हैं । मैं मानता हूँ कि धनी वर्ग धनी होता जा रहा है । मुरारजी भाई के साढ़े पन्द्रह आने या पंद्रह आने रुपये में टैक्स लगाने के बाद भी ऐसा है । लेकिन आप देखें कि अगर एक

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

करोड़ रुपये का इनवैस्टमेंट है तो दो पैसे भी जब रुपये में बच जाते हैं तो भी पांच दस लाख की तो यों ही एडोशन हो जाती है। यह तो हम नहीं कर सकते हैं कि सभी नफा ले लें या सत्तरह आने ले लें। अगर हमने ऐसा किया तो कोई रोजगार ही नहीं करेगा, कोई कारखाना ही नहीं खोलेगा। यह समझ में नहीं आता है कि गरीब को दशा नाचे कैसे गिरती जा रही है। मैं मानता हूँ कि डिफ्लेस कम नहीं हो रहा है क्योंकि धनी कुछ अधिक धनी होते जाते हैं और गरीब चाहे थोड़े हो आगे बढ़ें हैं, लेकिन बढ़े जरूर हैं। लेकिन कुल मिला कर हमारा आर्थिक दशा सुधरी ही है। आप देखें कि इन पंद्रह बरसों में जहां पहले देहातों में मिट्टी के मकान अधिक मिलते थे वहां आज ईंटों के मकान अधिक मिलते हैं, जहां मिट्टी से घर लोग जोड़ते थे वहां सिमेंट लोग मांग रहे हैं। अगर उनके पास पैसा न हो तो कैसे इन चीजों की मांग करें। हमें चाहिये कि हम सजैशन्स दें, लेकिन ऐसी और नुक्ताचीनी भी करें जो समझ में आ सकें और ऐसी न हो जिन पर न अमल हो सकता हो और न संभव ही लगे। एक सर्वापिंग बात कहने से काम नहीं चल सकता है। इकोनॉमिक कंडीशन हमारा अच्छी हुई है लेकिन उस दर्जे तक नहीं हुई है जिस दर्जे तक होनी चाहिये थी। जो कमियां हैं, उनको तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

पहली बात तो यह है कि कितना ही लोग पैसा पैदा करें लेकिन जब संतति बढ़ती जाए, आबादी बढ़ती जाए तो उसका रेशीओ ठीक नहीं रह सकता है। वह मनुष्य गरीब का गरीब रह जाएगा। हेल्थ मंत्राणी साहिबा बैठी हुई हैं। उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वह फमिली प्लानिंग पर अधिक जोर दें ताकि हर घर में आठ या दस बच्चे न हो कर एक दो बच्चे ही हों नहीं तो आर्थिक उन्नति के बावजूद गरीबी छाई रहेगी।

अनएम्प्लायमेंट की बात भी मैं करना चाहता हूँ। लाखों लोग स्कूलों और कालेजों से इम्तहान पास करके हर साल निकलते हैं। उनको नौकरी कहीं नहीं मिलती है। इस ओर हमारा सब से अधिक ध्यान जाना चाहिये। आप जानते ही हैं कि आइडल मैज ब्रन इज डेवलप्ड एन्ड, जब कोई काम नहीं मिलेगा तो खुराफात करने में उनका दिमाग लगेगा, और वे कुछ ऐसी बातें सोचेंगे जो उनके तथा देश के दोनों के ही हित में नहीं हो सकती है, दोनों के ही खिलाफ हो सकती हैं। एम्प्लायमेंट पोटेंशल बढ़ाने के लिए प्रयत्न होते हैं। लेकिन अभी हम उस स्थिति पर नहीं आये हैं जिस स्तर पर हम लोग अपने सारे एजुटेड अनएम्प्लायड लोगों को काम पर लगा सकें।

तीसरी बात जिस के विरुद्ध लोगों में भावना बढ़ रही है वह है करप्शन की। करप्शन का दायरा इतना बढ़ गया है कि शायद यहां पर हम लोग उस का अनुमान नहीं लगा सकते। अभी श्री पटेल इरिगेशन की बात कह रहे थे कि उस के लिये उन्हें पैसा देना पड़ता है। लेकिन यहां केवल टैक्सेज की बात नहीं है। होता यह है कि जब तक अलग से ऐसा पैसा न दिया जाय तब तक जिस गेट से पानी आता है, वह खोला नहीं जाता है।

श्री पु० र० पटेल : पर एकड़ एडोशनल लेवी है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : लेकिन वह तो जायज लेवी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई कड़े से बड़ा आदमी कचेहरी चला जाये, पुलिस में चला जाये, स्टेशनों पर चला जाय, सब जगह लोग उस से कहेंगे कि आखिर हमारा भी पेट है। हमारे यहां जो बड़े से बड़ा आदमी है, भले ही एक दो दिन उस की मुरीबत हो जाय, लेकिन तीसरे दिन उस से कहा जायेगा कि सरकार हमें भी कुछ मिल जाय। वह भी अगर बहुत मुरीबत करे तो, नहीं तो सीधे सीधे आप का काम नहीं

करेगा। यह चांज जितनी जल्दी दूर हो उतना ही अच्छा है। इस के लिये केवल मामूली पनिशमेंट से काम नहीं चलेगा। इस के लिये जैसे पुराने जमाने में किया जाता था वैसे ही होना चाहिये। भले ही वह नृशंस तरीका था, लेकिन अगर कोई घूस लेता हुआ पकड़ा जाये तो उस का हाथ कटवा लिया जाये या फांसी पर लटका दिया जाय। जब तक आप इस तरह का ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेंगे तब तक यह इतना डीप चला गया है कि इस में सुधार नहीं हो सकता।

मैं चाहता हूँ कि सरकार जो तीन बातें मैंने कहीं हैं उन पर अधिक ध्यान दे, अर्थात् (१) फैमिली प्लैनिंग, (२) अनएम्प्लायमेंट और अन्त में (३) करप्शन का दूर करना।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के लिये मैं राष्ट्रपति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, यद्यपि मैं इस में वर्णित सभी बातों के साथ पूर्णतया सहमत नहीं हूँ।

गत वर्ष हमारे गणराज्य के इतिहास में विशेष महत्ता रखता है, क्योंकि इस काल में हम एक ऐसे देश द्वारा आक्रमण का शिकार हुए, जिस के लिये हमने सदैव शांति तथा मित्रता का हाथ बढ़ाया। निस्संदेह, इस कठिन काल में हमारी संसद् तथा संसदीय संस्थाओं की प्रतिष्ठा बढ़ी है।

जहां संसद् तथा जनता में, इस आक्रमण काल में उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, वहां, प्रशासनीय मशीनरी की गतिबद्धता में कोई अन्तर नहीं आया और प्रशासकीय ढांचे में आवश्यकतानुसार जागरूकता तथा कार्यकुशलता नहीं दिखाई पड़ी। मुझे आशा है कि सरकार प्रशासन में समयानुसार सुधार करने के लिये प्रयत्न करेगी। सरकार से हम इस समय बलिदान तथा आत्म-समर्पण की भावना की आशा रखते हैं।

चीनी आक्रमण ने हम में अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की वास्तविकताओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर दी है। जो सबक हम ने इस काल में सीखा हो, मुझे आशा है, उसे भुलाया नहीं जायेगा। वैदेशिक तथा घरेलू नीतियों में, अपने राष्ट्रीय हितों को सम्मुख रख कर, परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

हमें, अपने उद्देश्यों को सम्मुख रख कर, अपनी नीति को स्पष्ट रूप देना चाहिए। नीति को निर्धारित करते समय हमें अपनी वर्तमान स्थिति तथा आवश्यकताओं को अवश्य समक्ष रखना है। इस समय यह सोचना, कि हम अपने आंतरिक तथा देशीय साधनों से ही अपनी रक्षा कर सकते हैं, व्यर्थ है। इस लिये हमें, प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित नीति को पूर्ण रूप में न छोड़ते हुए, हर प्रकार की विदेशी सहायता स्वीकार करने के लिये तैयार रहना चाहिए। इस सहायता को प्राप्त करते समय हमें इस भय का शिकार नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में विदेशियों के अड्डे बन जायेंगे, अथवा हमें अन्य राष्ट्रों के इशारे पर चलना पड़ेगा। वह दिन अब बीत चुके हैं जब ऐसा होना सम्भव था। अपनी स्वतंत्रता के लिए सतर्क रहते हुए, और इस की हर प्रकार रक्षा करते हुए, हमें यह विचार दिलों से निकाल देना चाहिए कि किन्हीं सहायता देने वाले देशों द्वारा भारत जैसे बृहत देश को निगल लिया जायेगा। एशिया में भारत के स्थान तथा सम्मान को देखते हुए, सहायता की हमें कमी नहीं होनी चाहिए; और यदि विदेशों से सहायता न मिल सके, तो राष्ट्रीय संघ द्वारा सुरक्षा के उपाय जुटाये जा सकते हैं।

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिधवी]

प्रधान मंत्री की गूटों में शामिल न होने की नीति समर्थन योग्य नीति है। हमें बड़े पैमाने पर वैदेशिक सहायता ले कर अपनी स्वतंत्रता को खतरे में डालना अथवा किसी के पिच्छ नहीं बनना है। इसलिये दीर्घकालीन आघात पर सहायता स्वीकार करके हमें अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक बोझ के नीचे दब जाने से बचना होगा।

मुझे आशा है कि हमारे योग्य तथा सुविख्यात प्रधान मंत्री समय की गति को पहचान कर, तथा देश को भावना तथा आवश्यकताओं को समक्ष रख कर, वैदेशिक नीति में आवश्यक परिवर्तन ला सकेंगे।

रूस और चीन में जो मतभेद उत्पन्न हो गये हैं उनका प्रभाव हमारी वैदेशिक नीति के निर्धारण पर नहीं पड़ना चाहिए। चीन के विश्व साम्यवाद से एकलित होने पर सन्तोष प्राप्त करना भी व्यर्थ है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में, पाकिस्तान के साथ, काश्मीर के सम्बन्ध में, बातचीत द्वारा समझौते के लिए चिन्ता प्रकट की गई है। इस चिन्ता के पीछे जो उद्देश्य निहित हैं मैं उन की सराहना करता हूँ परन्तु इस मामले में तथ्यों की जिस प्रकार अवहेलना की गई है उस के लिए मुझे अत्यन्त खेद है। मैं स्वतंत्र दल के इस कथन से असहमत हूँ कि प्रधान मंत्री काश्मीर के मामले में जो भी निर्णय करें वह हमें मान्य होगा। मेरे विचार में, काश्मीर के सम्बन्ध में जो पुनर्विचार तथा वार्ता आरम्भ की गई है, वह त्रुटिपूर्ण विचारों पर आधारित है। जिन स्थितियों में यह वार्ता आरम्भ की गई है उन्हीं से इस के असफल होने का आभास मिल जाता है। मुझे हर्ष हुआ कि शासक वर्ग के ही एक सदस्य द्वारा, जोकि काश्मीर से आते हैं, काश्मीर की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण तथा स्पष्टीकरण किया गया। मुझे आशा है कि उन की आवाज को स्वयं काश्मीर की जनता की आवाज मान कर सरकार यह घोषित कर देगी कि भारतीय राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के बारे में, चाहे वह लद्दाख में हो, नेफा में हो, अथवा काश्मीर में, बातचीत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

भारत-पाक वार्ता की असफलता की गन्ध उसी दिन आ गई थी जबकि पाकिस्तान सरकार ने हमारे मुख्य प्रतिनिधि को, रावलपिंडी में, चीन-पाक करार की भेंट दी थी। इस वार्ता की असफलता उसी समय निश्चित हो गई थी जबकि पाकिस्तान सरकार द्वारा भारत के विरुद्ध घृणापूर्वक प्रचार करना आरम्भ किया गया। क्या बातचीत की सफलता के ऐसे ही आधार बनाये जाते हैं? सरकार को अनुभव से काम ले कर यह समझ लेना चाहिए कि बातचीत द्वारा अधिक हानि होने वाली है। यह वार्तयें असफल होंगी और दोनों देशों के बीच जो पाट है वह और भी बढ़ जायगा। वार्ता आरंभ करने का यह उचित अवसर ही नहीं था।

इसके अतिरिक्त इस वार्ता के परिणामस्वरूप जनता में नैतिक पतन आने की संभावना है। बार-बार अपनी नीति का प्रचार करके, 'हम काश्मीर की जनता को बता चुके हैं कि वह भारत के नागरिक हैं और काश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। सरकार ने शायद यह सोचा नहीं कि उन भारत में प्रतिष्ठा रखने वालों पर इस प्रकार की बातचीत का क्या असर पड़ेगा। काश्मीर केवल भारत का एक राज्य-क्षेत्र न हो कर हमारी धर्मनिर्पेक्षता की नीति का द्योतक भी है। इस कारण काश्मीर के सम्बन्ध में किसी आधार पर भी बातचीत आरम्भ करना सिद्धान्त के विरुद्ध है।

पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण भी वार्ता आरम्भ करना कूटनीति के प्रारम्भिक सिद्धान्त का अज्ञान प्रदर्शित करना होगा।

कुछ सदस्यों ने सरकार द्वारा आपात-शक्तियों के दुरुपयोग की चर्चा की है। मैं इस विवाद में न पड़ता हुआ कि यह आरोप ठीक है या नहीं, यह सुझाव दूंगा कि एक संसद्-सदस्यों की अथवा किसी और ढांचे की समिति बनाई जाये जो इस प्रकार के आरोपों और शिकायतों का अध्ययन करके समस्या का समाधान कर सके। स्कैंडिनेवियन देशों में ओम्बड्समैन नाम की एक संस्था इस लिए कार्य करती है कि सरकारों द्वारा मूल अधिकारों तथा स्वतंत्रता का उल्लंघन न किया जाये। मेरा सुझाव है कि बेशक उसी ढांचे पर यहां भी एक संस्था बना दी जाये।

आपात-काल में देश के लिए कल्याणकारी उपाय सोचना और इस उद्देश्य से कार्यवाही करना मैं अनुचित नहीं समझता। परन्तु स्वर्ण नियंत्रण उपायों से मैं किसी पहलू से भी सन्तुष्ट नहीं हुआ। सरकार इस प्रकार सोना प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि गहनों के रूप में देश का ८५ प्रतिशत सोना जनता के पास है। गहनों के अतिरिक्त केवल १५ प्रतिशत सोना रह जाता है जो उन से मिल सकता है। परन्तु केवल इस मात्रा के लिए नियंत्रण उपाय करना उचित नहीं है। चौरानियन के रोक से भी सरकार को केवल २५ से ५० करोड़ रुपये का लाभ होता है। केवल इन लाभों को देखते हुए देश में लगभग १० लाख काम करने वालों को बेकार कर देना सर्वथा अनुचित है। आप धनी लोगों से सोना निकलवाने के लिए गरीबों को बेकारी की आग में झोंक रहे हैं। एक कल्याणकारी राज्य में जनता के जीवनयापन के साधनों को उपलब्ध करना भी सरकार का धर्म है। स्वर्ण नियंत्रण सम्बन्धी कार्यवाही से न केवल वित्त मंत्री की निन्दा ही होगी वरन् जनता यह समझेगी कि सरकार बेदर्द और अविचारशील है।

इस नीति से कुछ सराफों द्वारा देश के लिये जो विदेशी मुद्रा एकत्रित की जाती थी उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इन सब बातों के साथ-साथ, सरकार का यह धर्म है कि जनता की भावनाओं का आदर करे। यदि समस्त देश में इस नीति का विरोध हो रहा है, तो इसे त्याग देना ही उचित है।

प्रशासनीय मशीनरी पर आपात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भ्रष्टाचार उसी प्रकार पनप रहा है, और इस भ्रष्टाचार की उत्पत्ति का मूल स्थान है राजनीतिक स्तर। मैंने कई बार कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की तरह राजनीतिज्ञों से भी उन की आस्तियों के विवरण देने के लिये कहा जाये, परन्तु आज तक इस मांग की अवहेलना की गई है। सरकार को राजनीतिज्ञों से उन की आस्तियों के विवरण मांग कर संसद् तथा देश को सन्तुष्ट करना चाहिए।

प्रशासनीय मशीनरी में लाल-फीता-वाद अब भी उसी तरह पाया जाता है। आपात से केवल इस में वृद्धि ही हुई है।

देश के असैनिक रक्षा संगठन में एकसूत्रता के अभाव का यह हाल है कि प्रधान मंत्री को स्वयं सार्वजनिक सभा में वायु हमले से बचाव के सिलसिले में की जाने वाली कार्यवाहियों की आलोचना करनी पड़ी। किस प्रकार प्रधान मंत्री के ज्ञान के बिना ऐसी कार्यवाहियां आरम्भ की गईं यह आश्चर्य का विषय है।

रक्षा पर होने वाले व्यय में मितव्ययिता अत्यावश्यक विषय है, अतः इस पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि रक्षा पर होने वाले व्यय की जांच पड़ताल के लिए ब्रिटेन के ढांचे की एक समिति बनाई जाये।

राजकीय क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी एक समिति बनाने का आश्वासन हमें दिया गया था। परन्तु उसे पूरा नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि ऐसी एक समिति शीघ्र बनाने की चर्चा उत्तर देते समय सरकार द्वारा की जाये।

[डा० लक्ष्मोमल्ल सिंघवी]

राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों का कहां तक पालन तथा कार्यान्वयन किया गया है इस का अध्ययन करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए ।

अन्त में मैं मेजर शैतान सिंह के प्रति, उन की वीरता के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ, यह निवेदन करूंगा कि जिस क्षेत्र से वह आते थे, उस की स्थिति बहुत खराब है, वहां जनता को पानी भी दुर्लभ है, अतः हमें उस क्षेत्र को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए । वही उन को स्मरण करने का अच्छा तरीका होगा ।

† श्री मणिगंगाडन (कोट्टयम) : मैं राष्ट्रपति के प्रति इस अभिभाषण के लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूँ ।

जिन कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा है उन को देखते हुए, हमें अपनी सफलताओं पर, जिन का कि वर्णन इस अभिभाषण में किया गया है, गर्व होना चाहिये । हमारा भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार हम वर्तमान स्थितियों का सामना करते हैं । वर्तमान काल हमारे इतिहास में विशेष महत्ता रखता है । एक ओर हम जनता के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो दूसरी ओर हमें चीनी आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है ।

राष्ट्रपति जी ने ठीक ही कहा है कि चीनी आक्रमण का सामना करने के लिए अपनी प्रतिरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना, तथा देश के समस्त साधन इस के लिए जुटाना आवश्यक है । देश की रक्षा तथा स्वतंत्रता सर्वोत्तम महत्व के विषय हैं । साथ ही साथ हमें जनता की आर्थिक अवस्था को भी क्षीण होने नहीं देना है । यदि देश सशक्त होगा तो विदेशी खतरे का सामना बखूबी किया जा सकता है ।

रक्षा के लिए साधन जुटाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करने का संकेत किया गया है परन्तु मेरे विचार से ऐसा करना घातक सिद्ध होगा । सरकार को पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यों में ढील नहीं लानी चाहिए । राष्ट्रपति ने पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यों को चालू रखने की जिस नीति की चर्चा की है उस के लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

देश की रक्षा के लिए बलिदानों की आवश्यकता होती है अतः राष्ट्रीय रक्षा कोष में धन देकर जनता ने जिस बलिदान की भावना का परिचय दिया है वह उत्साहवर्द्धक है । साम्यवादी दल के सदस्य का यह कहना सर्वथा तथ्यहीन है कि कोष के लिए धन बलपूर्वक एकत्रित किया गया है । प्रधान मंत्री ने स्वयं कई बार कहा कि कोष के लिये धन देना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं । इस प्रकार के आरोप सरकार पर लगाना अनुचित है ।

कार्मिक संघों के सदस्यों द्वारा अपने नेताओं की परवाह न करते हुए कोष में धन दिया गया है, ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूँ । यह बात जनसाधारण के भावों की द्योतक है ।

साम्यवादी दल के नेता द्वारा भी जनता से बलपूर्वक कोष के लिये धन एकत्र करने की चर्चा की गई । सरकार द्वारा युद्ध प्रयासों के लिए धन जमा करने पर यह आरोप लगाना अनुचित है और इस पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए ।

† मूल अंग्रेजी में

उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस इस अवसर से लाभ उठा कर अपना संगठन सुदृढ़ कर रही है। मेरा निवेदन है कि स्थिति सर्वथा इस के प्रतिकूल है। यदि कोई व्यक्ति किसी सभिति में सम्मिलित नहीं किया जाता तो वह यहां आ कर कहता है कि यह दल अमुक अमुक कार्यवाही कर रहा है और भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग दल को सुदृढ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का प्रचार करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये।

विभिन्न दलों ने सरकार की किसी गुट में शामिल न होने की नीति का भी उल्लेख किया था। एक दल कहता है कि वह सर्वथा असफल रही है और दूसरा दल चाहता है कि हम इस नीति के कारण पश्चिमी देशों से सहायता न लें। हमारे लिए यह बड़ी कठिन स्थिति है। यह नीति सफल रही है? यह नीति हमें किसी भी देश से सहायता लेने से नहीं रोकती और हम आवश्यकता के समय सभी देशों से सहायता ले रहे हैं।

यहां कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करने की आलोचना की गई थी। हमारी इस कार्यवाही ने संसार को दिखला दिया है कि कौन ठीक कहता है और वे देश जो भारत के कथन को सच मानने के लिए तैयार न थे अब आगे बढ़ कर कहते हैं कि भारत का कहना ठीक है। यदि चीन इन्हें स्वीकार नहीं करता है तो हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है कि इस का अर्थ प्रस्तावों को ठुकराना है। आगे क्या होगा, हम नहीं जानते। हमारा १४ नवम्बर, १९६२ का संकल्प विद्यमान है और हम शत्रु से अपना क्षेत्र वापस लेने के लिए बाध्य हैं। इस स्थिति में हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक सैनिक तैयारी करनी होगी और वह की जा रही है। हवाई संरक्षण के बारे में स्थिति यह है कि यदि भारत पर हवाई हमला होता है, तो क्या हम उस के लिए तैयारी न करेंगे? इस समय हमारी वायुसेना इसका सामना करने की स्थिति में नहीं है। अतः हमें तैयारी करनी है। शक्तिशाली देशों ने जो हमारे मित्र हैं, यह पता लगाने के लिए कहा है कि हमें स्थिति में क्या सुधार करना चाहिए। आज प्रातः प्रधान मंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी स्थिति क्या है। इस स्थिति में मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार या प्रधान मंत्री पर इस बारे में सन्देह करने का क्या कारण है। प्रधान मंत्री तथा सरकार देश को धोखा कभी नहीं देंगे। वे जनता के साथ हैं। वे देश की रक्षा करने, देश से शत्रु को खदेड़ने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं।

श्री गु० सि० मुसाफिर (अमृतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो मोशन हाउस में पेश हुआ है, मैं उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति जी का जो एक-एक लफज है उस को हमारे देश की जनता ने बड़े ध्यान से पढ़ना है और सुनना है। इसलिए इस वक्त हमारे देश के सामने जो सब से बड़ा सवाल है उस पर विचार करना बड़ा जरूरी है। राष्ट्रपति जी ने जो अपनी स्पीच में जो ३० पैराग्राफ रक्खे हैं उन में से ६ या ७ में उन्होंने जो हिन्दुस्तान और चीन की जंग है या जो चीन का मामला है उस के बारे में वजाहत की है। तरतीबवार जो आरम्भ में उन्होंने देश की पालिसी का जनरल तौर पर जिक्र किया है, हम उस के एक-एक लफज का समर्थन करते हैं। हालांकि इस में कोई शक नहीं है कि इस वक्त चीन के हमले से हमारी पालिसी पर एक चोट लगी है, मगर चीन के हमले के बाद जो वाकयात हुए हैं उन से यह बात स्पष्ट है कि जो हमारी नान-अलाइनमेंट की पालिसी है, वह ठीक ही रही है। इस वक्त जो भी हमारे देश के सोचने वाले लोग हैं वे यह कहते हैं कि इस पालिसी ने हिन्दुस्तान का सिर ऊंचा किया है। हमें इस बात का तजुर्बा है कि शुरू शुरू में हमारे राष्ट्रपिता के बाद राष्ट्रपिता के सही जानशीन हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की रहनुमाई में हिन्दुस्तान की आजादी के बाद जो पालिसी अख्तियार की गई, उसने हिन्दुस्तान का नाम रोशन किया है और उस की वजह से दुनिया के लोगों की तवज्जह हिन्दुस्तान की तरफ हो गई है। छोटे-छोटे राष्ट्रों की तो बात ही क्या है, जो बड़े-बड़े राष्ट्र हैं, वे भी उस से मुतासिर हैं, और पीस अर्थात् अमन और पंचशील की बात करने

[श्री गु० सि० मुसाफिर]

लगे हैं। अब कुछ वातावरण बदल गया है, इसमें जक नहीं है, मगर मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जो दास्तान अल-अजाइमेट को पालिसी को इस वक्त भी ठीक नहीं समझते, वे आखिर किस तरह की पालिसी चाहते हैं। खास कर जो हमारी स्वतंत्र पार्टी के भाई हैं वह खुद तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन देश के गले में जरूर एक फंदा डालना चाहते हैं। इस चीज को मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : चीनियों के हमले से आप को स्वतंत्र करना चाहते हैं।

श्री गु० सि० मुसाफिर : मैं एक देहाती आदमी हूँ इसलिए देहाती मिसाल याद आती है। एक जाट और तेली की लड़ाई हो पड़ी। तेली ने कहा जाट रे जाट, तेरे सिर पर खाट। यह बात जाट को बुरी लगी। वह कहने लगा कि तेली रे तेली तेरे सिर पर कोल्हू। तेली कहने लगा कि, इस में तो काफिया नहीं मिला। जाट कहने लगा कि काफिया भले ही न मिला हो लेकिन बोझ से तो मरेगा। यही बात इन दोस्तों पर भी लागू होती है। हमारे अपोजीशन वाले भाई किसी न किसी ढंग से हमारी पालिसी का विरोध करना चाहते हैं, स्वाह उस विरोध की कोई मुताबिकत उस बात से हो या न हो।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के ९वें पैराग्राफ में कहा है :

“आजकल कोई लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों के अनुभव से हम खबरदार और मजबूत हुए हैं और हमने पक्का इरादा किया है कि हम इस संकट से अपना बचाव करेंगे और अपनी रक्षा व्यवस्था तथा आर्थिक ढांचे को पूरी कोशिश से मजबूत बनायेंगे।”

बेशक हम इस संकट से अपना बचाव करेंगे, मगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिर्फ़ अपने बचाव तक ही हमें सीमित नहीं रहना चाहिये। जो बचाव की बात है वह तो अब्बल बात है। अब हम यह जरूर देखते हैं कि चीन का जो खतरा है वह कुछ कम है, लेकिन चीन पर कोई ऐतबार नहीं है। हो सकता है कि वह किसी अच्छे वक्त के इन्तजार में हो और फिर हिन्दुस्तान पर हमला कर दे। हमारे देश में इस समय कुछ ऐसी चर्चा चल गई है कि चीन का यह झगड़ा खत्म हुआ और जो हमारी लड़ाई की बातें हैं वह खत्म हो गई हैं। इस तरफ से हमारा ध्यान कुछ हट गया है और जो खतरा हमारे सिर पर है और जो लड़ाई की तैयारी है उस के सिलसिले में लोगों के दिलों में भी और दूसरी तरफ भी कुछ कमी आने लगी है। यह हमारे लिए बड़ी खतरनाक बात है। इसलिए हमें याद रखना होगा कि हमें खाली अपना बचाव ही नहीं करना है बल्कि अगर हमें अपनी आजादी का बचाव करना है तो हमें यकीनन यह सोचना चाहिये कि मौका मिलने पर हम को जवाबी हमला भी करना है और जो अपनी एक-एक इंच जमीन है उस को बचाना है। यहां भी मुझे एक देहाती औरत की मसाल याद आती है। उस का पति भट्टी पहलवान था। तो पति भट्टी पहलवान और जीवन पहलवान की कुश्ती हुई। जीवन ने गलत तरीका अख्तियार कर लिया। उस ने अपने सारे शरीर में तेल मल लिया। जब वह भट्टी पहलवान के साथ लड़ने लगा तो भट्टी का हाथ उस की जकड़ से अलग हो गया और भट्टी गिर गया। जीवन पहलवान ने भट्टी पहलवान की पीठ जमीन से लगा दी। अब सारे लोगों ने जीवन के लिए कहना शुरू कर दिया कि उस ने धोखा किया है भट्टी पहलवान के साथ। उस ने जो कुश्ती के उसूल हैं उन को तोड़ा है। लोगों ने उस को बहुत बुरा भला कहा।

तो इस का असर भट्टी पर भी हुआ। उस ने भी समझा कि मुझे चोबे से गिराया गया है। उस के जो चोटें लगी थीं वे उस के दिल तक पहुंच गयी थीं। लोगों ने उसे समझाया कि तुझे जीवन से समझौता कर लेना चाहिए लेकिन उस की औरत ने कहा कि जहां कोई गिरता है वहीं से उठने पर उस की साख बनती है। उस ने कहा कि अगर भट्टी बगैर जीवन को एक बार गिराये हुए उस के साथ समझौता कर लेगा तो उस के लिए यह बड़े नुकसान को बत होगी। उस ने कहा कि तू चाहे सारी दुनिया के पहलवानों को गिरा दे लेकिन जब तक तू जीवन को नहीं गिरायेगा तब तक तेरी साख नहीं बनेगी। मगर जीवन उस से लड़ने को टालता था। वह इतर उतर के लोगों को बीच में डाल कर समझौते को बातें करना चाहता था, वह लड़ना नहीं चाहता था। मगर भट्टी की औरत भट्टी से कहती थी कि जब तक दोबारा लड़ाई नहीं होगी तब तक तेरी साख नहीं बन सकती। मैं वाकया बता रहा हूँ कोई कहानी नहीं सुना रहा। तो भट्टी पहलवानों का जलूस ले कर जीवन के घर पर गया और उस को बाहर आने को कहा। जीवन भा पहलवान था, आखिर बाहर आया और उस वक्त भी उस ने अपने जिस्म पर तेल मला हुआ था। लोगों ने उसे पकड़ लिया और उस के जिस्म से तेल साफ कर दिया और फिर कहा कि लड़ो। भट्टी ने उस को गिरा दिया, तो उन्होंने ने कहा कि अब हमारी बात सफल हो गयी।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे जवान लड़े हैं उन्होंने सीने पर और माथे पर गोलियां खाई हैं। कोई मिसाल आप को नहीं मिलेगी कि हमारे किसी जवान ने पोठ में गोली खाई हो। मगर अब हमारी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि चीन वाले आगे आगे हों और हमारे जवान उन के पीछे हों और उन को पोठों में गोलियां मारें। हम चाहते हैं कि उन को हम भागते देखें। यह होगा तभी हमारी साख बन सकेगी। लोगों और दुनिया में। यह मेरी स्वाहिश है और इस वक्त मैं अपनी स्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ। और है भी यह बात ठीक। इस वक्त चाहे और किसी से बात कर लें और दोस्तों बना लें, मगर जिस ने हम को दोस्त बनकर धोखा दिया है उस से जल्दी से जल्दी दोस्तों को बात कर लेना गलत होगा और यह खाम ब्याली होगी।

तो मैं जो भट्टी और जीवन की मिसाल दे रहा था। उसी सिलसिले में आगे कहना चाहता हूँ कि उस के बाद में जीवन और भट्टी में जिन्दगी भर दोस्ती रही और वे पक्के दोस्त बन गए लेकिन यह दोस्तों तभी पक्के हुई, जब भट्टी ने जीवन को गिरा दिया। तो मैं चाहता हूँ कि हम भी एक दफा चीन को नोचा दिबा दें जिस ने हमें हथ मलिट्ट किया, हमें बदनाम किया और हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि एक दफा बैठा हो सलूक उस के साथ करने को हमारी सामर्थ्य हो जाय और हम ऐसा करें, तो फिर उस के बाद हम दोस्तों को बात कर सकते हैं, इस से पहले उस के साथ दोस्तों का सवाल पैदा नहीं होता।

एक माननीय सदस्य : क्या इस गवर्नमेंट से यह उम्मीद है।

श्री गु० सि० मुत्ताफिर : एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने बयान के बारहवें पैराग्राफ में साफ कहा है :

“हमारे सामने आज चीन के हमले की समस्या सब से बड़ी है और इस को सामने रख कर ही हमें बाकी सब बातों पर विचार करना है। किसी भी देश की आजादी और इज्जत सब से बड़ी चीज है और अगर कोई देश इन्हें नहीं बचा सकता तो दूसरे मामलों को अहमियत नहीं रह जाते। इस तरह राष्ट्र के सभी काम इसी बुनियादी मसले पर केन्द्रित हैं।”

ये जो राष्ट्रपति जी के भाषण की सतरे हैं ये गौर करने के काबिल हैं। उन्होंने कहा कि

[श्री ग० सि० मुसाफिर]

यह हमारी बुनियादी बात है कि हमको अपनी इज्जत और अहलियत को कायम रखना है । तो इस सिलसिले में मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ । पहली बात तो यह है कि यह जो चर्चा चल रही है कि हम हार गए हैं यह गलत है । हमको हार और जीत का असली मतलब समझना चाहिए । हार यह नहीं होती कि कोई गिर गया या पीछे हट गया । हारा उसको समझा जाता है जिसका दिल हार गया हो । गुरु गोविन्द सिंह ने शाहे वक्त को लिखा था कि तुम समझते हो कि गोविन्द सिंह हार गया । शायद तुम इससे अन्दाजा लगाते हो कि उसके पास कुछ नहीं रहा, उसकी जो फौज थी वह मारी गयी, उसके बच्चे मारे गए, उसके जां बाज सिपाही मारे गए । मगर मेरा हार का यह मयार नहीं है क्योंकि मैं गिनती और बिनती में कभी नहीं पड़ा । उन्होंने शाहे वक्त को लिखा :

“गुरसना चिकारे कुन्द चहल नर के दा लख बरामद बरो बेखबर”

गुरसना फारसी में भूखे को कहते हैं । उन्होंने लिखा था कि मेरे चालीस भूखे जवानों पर दूसरी तरफ से दस लाख आदमी आ पड़े और वे चालीस आदमी मारे गए, मगर यह हार नहीं है । आगे चलकर गुरुजी ने कहा :

“चिहाशुद कि चूं वच्चगां कुस्ता चार”

क्या हो गया जो मेरे चार बच्चे मारे गए ।

“कि बाकी बिमांड अस्त पेचीदा मार”

बाव यह है कि मेरा उसूल मेरे अन्दर कायम है ।

“चि मरदी कि अखगर खमोशां कुनी”

शोलों को बुझाने से क्या फायदा ।

“कि आतिश दमा रा फिरोगां कुनग”

क्योंकि जो चिनगारी सुलग रही है वह कभी भी भड़क कर आग बन सकती है ।

तो मेरा कहना यह है कि हार यह नहीं है कि कोई मारा गया या किसी को थोड़ी देर के लिए पीछे हटना पड़ा । इसको हमने हार मान लिया है । असल में यह हार नहीं है । अगर हमारा मोराल कायम है, जो कि राष्ट्रपति जी के शब्दों में हमारी बुनियादी चीज है, तो हमारी हार नहीं हुई है । दुनिया में बहार भी आती है और खिजां भी । जिस दरख्त की खिजां में जड़ उखड़ जाती है वह फिर कभी हरा भरा नहीं हो सकता, मगर जिसकी जड़ कायम है, उसकी चाहे पत्तियां सूख जाएं, चाहे उसकी डालें सूख जाएं, लेकिन बारिश आते ही वह हरा भरा हो जाएगा । जिसकी जड़ उखड़ गयी है उस पर चाहे कितनी भी बारिश आवे वह हरा नहीं हो सकता । तो मोराल बुनियादी चीज है । अगर हमारा मोराल कायम है तो ये छोटी मोटी हारें या शिकस्तें कोई चीज नहीं हैं । इस लिए हमारे लिए मोराल का कायम रखना सबसे जरूरी है और इसका कोई न कोई बन्दोबस्त करना चाहिए । अगर हमारा मोराल कायम न रहा तो जो छोटे छोटे मुल्क आज हिन्दुस्तान की तरफ भरोसे से आंख लगाए हुए हैं वे नाउम्मीद हो जावेंगे । एशिया में चीन और हिन्दुस्तान दो ही बड़े मुल्क हैं । इन दोनों की लड़ाई में छोटे मुल्क देखते हैं कि किस का मोराल कायम रहता है । आज भूटान वाले, सिक्किम वाले और नेपाल वाले हमारे बारे में सोचते हैं । अभी हाल में अफ्रीका में मोशी में एक कानफस हुई थी । इसमें हमारे यहां से भी डेलीगेट गए हुए थे । वे बताते हैं कि जो छोटे छोटे मुल्कों के डेलीगेट वहां आए हुए थे वे चीन की तरफ देखते थे, वे हिन्दुस्तान की तरफ नहीं देखते थे । मैं यह नहीं कहता कि उनकी सरकारों का क्या ख्याल है लेकिन जो उनके डिलीगेट वहां गए थे वे चीन की तरफ देखते थे । वे देखते हैं कि हिन्दुस्तान संभल सकेगा या नहीं,

वह सड़ाई के लिए तैयार है या नहीं, हिन्दुस्तान में हिम्मत है या नहीं। जब वे देखेंगे कि हिन्दुस्तान में हिम्मत है तो वे हमारी तरफ देखेंगे। हर एक को अपनी अपनी फिक्र है। हर एक को अपनी अपनी जान की, अपनी अपनी हिफाजत की, अपनी अपनी इज्जत की फिक्र है, वह किसी न किसी ढंग से अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश करता है।

इस वक्त हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि मरना जो है वह कोई शिक्स्त की बात नहीं होती है। बिगोडियर होशियारसिंह को कौन भूलेगा? भगत सिंह को कौन भूला है?

“हयाते जावेदां आई है जांबाजों के हिस्से में,
हमेशा जीने वाले हैं यह जितने मरने वाले हैं।”

मरने वाले लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए है। उनका नाम हमेशा जिंदा रहता है। हमें देश की रक्षा के लिए अपनी जानों तक की बाजी लगा देने का जोशखरोश कायम रखना चाहिए। उस को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए।

हम राष्ट्रपति जी के मशकूर हैं कि उन्होंने देश का ध्यान इस तरफ़ दिलाया है। उनके भाषण से चंद सतरें जो मैं ने पढ़ कर सुनाई, उनमें इस बात को माना है कि हमारी इज्जत और अहंमियत हमारा केन्द्र है, वह हमारी बुनियाद है। अपनी इज्जत अहंमियत, खुद्दारी और सैल्फ रिस्पैक्ट के लिए हम हर वक्त तैयार हैं और कोई भी बात हम ऐसी करने के लिए तैयार नहीं हैं जिससे कि हमारे सैल्फ रिस्पैक्ट में फर्क आये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री गु० सि० मुसाफिर : बस मैं खत्म किये देता हूं।

हमें सदा इस बड़ी बात और उसूल को अपने सामने रखना है बाक़ी बातें ठीक उसी तरह से हैं जैसे कि मुहाबिरा है कि हाथी के पांव में सब के पांव। कहने का मतलब यह है कि एक बड़े उसूल में सब बातें आ जाती हैं। हमारा वैसा ही तरीका होना चाहिए। हमें महाभारत के अर्जुन की तरह जो अपना तीर चलाना है वह उस परिन्दे के माथे पर जो बिंदी है उसी को ध्यान में रख कर चलाना है, माथे पर की बिंदी के अलावा हमें कुछ भी देखना नहीं है और अगर हमने ऐसा किया तो अर्जुन की तरह हमें भी कामयाबी हासिल होगी।

माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि महाभारत काल में जब गुरु द्रोणाचार्य ने पांचों पाण्डव राजकुमारों की अस्त्र शस्त्र परीक्षा लेनी चाही और उसके लिए उन्होंने यह इम्तिहान रक्खा कि जो भी उस परिन्दे के माथे पर लगी बिंदी में तीर का ठीक निशाना लगायेगा, वह इम्तिहान में कामयाब हुआ समझा जायेगा। जब राजकुमार लोगों ने इम्तिहान देना शुरू किया तो गुरु द्रोणाचार्य ने हर एक से पहले एक सवाल किया कि क्या उन्हें इस वक्त वह दरख्त नज़र आ रहा है। राजकुमारों ने जवाब दिया कि हां महाराज पेड़ नज़र आ रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें वह पंखी नज़र आ रहा है। तो इसका भी उन्होंने जवाब दिया कि हां महाराज पंखी नज़र आ रहा है। इस पर गुरु द्रोणाचार्य ने उन राजकुमारों से जिन्होंने कि यह जवाब दिया था कहा कि उन्हें तीर चलाने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें बाहर निकाल दिया। जब अर्जुन की बारी आई और द्रोणाचार्य ने उससे भी वही सवाल पूछा कि क्या उसे वह दरख्त और वह पंखी नज़र आ रहा है तो अर्जुन ने कहा कि महाराज मुझे तो इस वक्त बस एक बिंदी जो कि उसके माथे में है दिखाई दे रही है। इस समय मुझे केवल बिंदी ही दिखाई दे रही है और मुझे कुछ

[श्री गु० सि० मुसाफिर]

नजर नहीं आ रहा है। इस पर गुरु जी ने कहा कि अर्जुन तुम तीर चलाओ। बाकी राजकुमारों ने कहा कि उन्हें बगैर इम्तिहान लिये ही क्यों फेल कर दिया गया। इस पर गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि तुम लोगों ने क्या इम्तिहान देना था जिनकी कि तवज्जह ही कायम नहीं है। जिनका इरादा ही कायम नहीं है, जिनका निशाने की तरफ ध्यान ही नहीं है उन्हें तो फेल होना ही था और इसलिए मैं ने तुम्हें शरमिदगो से बचाने के लिए तीर चलाने को इजाजत नहीं दी। अर्जुन ने निशाने को सामने रख कर तीर चलाया और वह उसमें कामयाब हो गया। मेरे कहने का भाव यह है कि इस वक्त हमारा सारा ध्यान हमारी सारी तवज्जह जो है वह सिर्फ इस बात के ऊपर होनी चाहिए कि हम ने अपने देश की रक्षा करनी है। अपने देश की सिर्फ रक्षा ही नहीं करनी है बल्कि हमारी जो थोड़ी सी बदनामी हुई है, उसको धोने के लिए हम अपने में जरूरी ताकत पैदा करे ताकि अगर चीन की बेजा और नामुनासिब हरकतों के कारण उससे दो, चार होने का मौका आ जाय तो संसार में यह साबित हो जाय कि हमारे जवान और बहादुर सिपाही किसी तरह भी पीछे रहने वाले नहीं हैं।

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देती हूँ।

सरकार का सर्व-प्रथम कर्तव्य है कि वह देश की सीमा की रक्षा करे। हमारी सरकार इस कार्य में असफल रही है। किसी भी वास्तविक लोकतंत्र में ऐसी स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता। परन्तु सौभाग्यवश, चीनी आक्रमण के कारण समूचा देश एक हो गया और विरोधी दल वालों ने सरकार की सहायता करने का संकल्प किया। हमने एकमत हो कर भारत प्रतिरक्षा अधिनियम पारित किया और हमें विश्वास हो गया कि अब सरकार अपनी गलतियों को ठीक कर लेगी। अब युद्ध तो बन्द हो गया किन्तु शीत युद्ध आरम्भ हो गया है। इसका सरकार ने लाभ उठाया है और वे देश में अपनी गलतियों पर परदा डालने के उद्देश्य से भाषण देने के लिए निकल पड़े। उन्होंने इस भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खामोश करने का प्रयास किया। यहां तक कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निदेश दिया है कि प्रधान मंत्री के विरुद्ध बोलने वाले को देशद्रोही समझा जायेगा। मैं समझती हूँ कि यह निदेश अब उनकी पुत्री पर भी लागू कर दिया गया है। हाल ही में एक पत्रिका में किसी ने सम्पादक से प्रश्न किया, जो उस में छपा था—प्रश्न था 'श्रीमती इन्द्रा गान्धी बहुत सी समितियों की अध्यक्ष क्यों हैं?' इसका उत्तर उसमें यह दिया था कि वह प्रधान मंत्री की पुत्री हैं।" इसके पश्चात् इस सम्पादक को चेतावनी दे दी गई। मैं आप से पूछती हूँ कि क्या सरकार को ऐसा व्यवहार करना चाहिये। यदि वे संकटकालीन स्थिति का ऐसे प्रयोग करते हैं, तो इसका शीघ्र ही समाप्त होना जनता के हित में है।

इस संकट की स्थिति से केवल कांग्रेस ही लाभ नहीं उठा रही है अपितु समूचे देश में, विशेषकर गांवों में, अधिकारीगण अनुचित दबाव डाल रहे हैं। पिछले दिनों मैं ने अखबारों में गृह-कार्य मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का वक्तव्य पढ़ा था कि उन्हें यह देख कर बड़ा दुःख हुआ कि गांवों में व्यक्तियों को अधिकारीगण किस प्रकार दबा रहे हैं। श्रीमान्, मैं आप को आश्वासन दिलाती हूँ कि यह केवल एक ही मामला नहीं है। ऐसा सारे देश में हो रहा है। उदाहरणार्थ, प्रतिरक्षा निधि को लीजिये। एक माननीय सदस्य ने जयपुर में हुई एक सार्वजनिक सभा के बारे में कुछ कहा था और बताया था कि महाराजा जयपुर ने प्रतिरक्षा निधि में केवल २ लाख ६० दिये हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि यह बात सर्वथा ठीक नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पतिदेव ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि में विभिन्न रूपों में चालू वर्ष से अपनी निजी धैली की लगभग ४० प्रतिशत

श्रीमती अंबेजा में

राशि दी है। मैं जानना चाहती हूँ कि साम्यवादियों के पास जो राशि है, जो इसी देश की नहीं अपितु जो उन्हें विदेशों में गुप्त साधनों से मिली है, उससे यह कम है या अधिक है (अनाशावा)। हालांकि प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि प्रतिरक्षा निधि में अंशदान स्वेच्छा से होना चाहिये, परन्तु व्यक्तियों को इस में अंशदान करने के लिए बाध्य किया जाता है।

[श्री खाडिलकर पोठासीन हुए]

सरकार ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जब भी व्यक्ति किसी सरकारी काम के लिए सरकार के पास जायें, तब धन लिये बिना कार्य न किया जाये। धन दिये बिना उनका कार्य नहीं होता और उन्हें निराश लौटना पड़ता है। अतः मैं महसूस करती हूँ कि यदि राष्ट्रपति के नाम में एक केन्द्रीय प्रतिरक्षा निधि हो, तो व्यक्तियों को विश्वास होगा कि उनका धन ठीक स्थान पर जायेगा और वे स्वेच्छा से अंशदान देंगे।

इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि यह धन तत्काल प्रतिरक्षा मंत्रालय को दे दिया जाये क्योंकि अंशदाता समझते हैं उनका धन जवानों के लिए या अस्त्रों के लिए प्रयोग हो रहा है, जबकि उसका दुरुपयोग होता है। हमें एक प्रश्न पूछने पर बताया गया कि २७ लाख रु० जवानों के आराम के लिए प्रयोग किये जा रहे हैं और प्रत्येक मुख्य मंत्री को १२ लाख रु० अधिक धन एकत्रित करने का प्रचार करने के लिए दे दिये गये हैं। क्या हम यह धन इसलिए देते हैं। यदि नागरिक परिषद् इस निधि से धन लिए बिना नहीं चल सकती, तो उसे समाप्त कर देना चाहिए। इन समितियों के सदस्यों में बहुत कम ऐसे हैं, जो प्रतिरक्षा के बारे में जानते हैं, और उन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। यदि हमारे नेता भारत को प्रथम और अपने दल को दूसरा स्थान दें, तो वे अपनी गलतियां काफी ठीक कर सकते हैं। परन्तु वे ऐसा करने के बजाये भारत के संविधान में अपने अनुकूल संशोधन करते रहेंगे, लेकिन वे अपना चुनाव का नारा और पंचवर्षीय योजनायें नहीं छोड़ेंगे।

भारतीय लोग शताब्दियों से अपनी बचत का सोना लेकर रखते रहे हैं। अब उन्हें इस अधिकार से वंचित कर दिया गया है और कहा गया है कि वे अपनी बचत छोटी बचत योजनाओं में लगाने को कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे अपनी बचत कागजों में रखें। क्या देश के गरीब लोगों के लिए यह बात उचित है।

प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री जी ने स्वर्णकारों की परेशानियों को पूरी तरह नहीं समझा है। कम से कम सरकार यह तो कर सकती है कि वह अवधि बढ़ा दे ताकि ये लोग अपने पास की वस्तुओं को निकाल सकें। जब वित्त मंत्री कहते हैं कि स्वर्णकार अपना व्यापार १४ कैरट सोने से कर सकते हैं और यह कि सोने के आभूषण सस्ते हो जायेंगे। क्या वह यह महसूस नहीं करते कि इस देश में स्त्रियों की बहुत थोड़ी प्रतिशत सोने को आभूषण के रूप में धारण कर सकती है। वे सोने के आभूषण केवल धन लगाने के लिए बनाती हैं, वे केवल पहिनने के लिए नहीं बनातीं।

राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा था कि आजकल कोई लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन कुछ महीनों के अनुभव से हम खबरदार और मजबूत हुए हैं और हम अपनी रक्षा व्यवस्था तथा आर्थिक ढांचे को मजबूत बनायेंगे। परन्तु क्या हमारी सरकार यह काम कर रही है। चीन सड़कें तथा हवाई अड्डे बना रहा है, हमने देश की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने के लिए क्या किया है? हमें इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि हमारी सेनाओं के पास उचित प्रकार के हथियार हों। अतः, हमें सेना को आधुनिक हथियारों तथा अन्य आवश्यकताओं से सुसज्जित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये। हमें हथियारों, गाड़ियों तथा युद्ध की अन्य आवश्यक सामग्री

[श्रीमती गायत्री देवी]

के उत्पादन को प्राथमिकता देनी चाहिये। ये हथियार बनाने के लिए हमारे आयुध कारखानों को रात दिन काम करना चाहिये और जो हम देश में न बना सकें वे हमें विदेशों से अर्थात् मित्र देशों से लेने चाहियें।

पिछले दिनों में, युद्ध विराम होने के दो सप्ताह बाद अमरीका और राष्ट्रमण्डल के देशों से चीन द्वारा पुनः आक्रमण किये जाने की स्थिति में सहायता मिलने की दृष्टि वायु सेना की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए प्रार्थना की गई। इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त अध्ययन दल आया और उसने वायु संरक्षण का प्रस्ताव किया। लेकिन साम्यवादी संसत्सदस्यों आदि के प्रधान मंत्री जी से मिलने पर प्रधान मंत्री जी ने यह कहा बताया जाता है कि सरकार ने आने वाले दल के साथ वायु संरक्षण के किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श नहीं किया। फिर, तुरन्त उसी समाचारपत्र, अर्थात्, 'इण्डियन एक्सप्रेस' में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि 'श्री गालब्रेथ ने भारत सरकार से जनता को यह बताने के लिए कहा है कि अध्ययन दल वायु संरक्षण के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए भारत की आवश्यकता प्रार्थना पर भारत आया था। प्रधान मंत्री जी को यह निश्चय ही महसूस करना चाहिये कि भारत के साम्यवादियों की इस मामले में निहित दिलचस्पी है क्योंकि उन्हें इस वायु संरक्षण में इस देश में अपने अन्तिम लक्ष्य की पूर्ति में खतरा नजर आता है। अतः मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे हमारा जैसा उद्देश्य रखने वाले देशों से खुलकर सहायता लेने में मानहानि महसूस न करें।

अब जब कि हमें उत्पादन, विशेषकर कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है, मैं महसूस करती हूँ कि सरकार को किसानों के साथ अधिक दयावान होना चाहिये जिससे हमें ६० प्रतिशत देशभक्त और जवान मिलते हैं। मुझे खेद है कि उन्हें बेकार ही परेशान किया जा रहा है। उन पर उनकी क्षमता से अधिक कर लगाया जा रहा है।

अन्त में मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि वह वास्तविक दृष्टिकोण अपनाये और अपनी दल नीतियों को देश के हितों से आगे न रखें। यदि सरकार देश को, सेना को खोया सामान वापस नहीं दिला सकते, तो मैं उन से इस पर विचार करने का निवेदन करती हूँ कि क्या हमारे देश के नेतृत्व में भारी परिवर्तन होने का समय नहीं आया है। मैं नेताओं को याद दिलाती हूँ कि देश पहिले है और कोई भी ऐसा नहीं है जिसे त्यागा न जा सके।

श्री बालकृष्ण घासनिक (गोंडिया) : महारानी जी ने श्रीमती गांधी के बारे में कुछ कहा था। मैं उन्हें बता दूँ कि उनके पास जो भी सोना था, वह सब उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए दे दिया है जबकि उन्होंने और उनके बहादुर पति, महाराजा साहब, ने अपनी थैली का १४ प्रतिशत दिया है। (अन्तर्बाधा)

यह सभा स्थिति का स्पष्ट विश्लेषण और राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में स्पष्ट रूप में मानने के लिए आभारी हैं कि योजनाकाल में हमने पर्याप्त प्रगति की है, यद्यपि हम इसे सन्तुष्ट नहीं हैं। वांछित प्रगति न कर सकने के क्या कारण हैं। हमें देखना चाहिये कि क्या इसका कारण यह है कि जनता ने पूर्ण प्रयास नहीं किया या इसका कारण यह है कि देश और देश के बाहर रुचि रखने वालों की रुकावटों के कारण ऐसा हुआ। स्वतन्त्र नेता श्री रंगा ने कहा है कि वे योजना के विरुद्ध है जिसका आधार सरकार के समाजवादी आदर्श हैं, वह उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण व्यापार के समाजीकरण और कृषि के एक्यकरण के विरुद्ध है। यह विवन बोस आयोग की रिपोर्ट पढ़ें और निश्चय करें कि क्या वह उद्योग को डालमिया जैन से अष्ट व्यक्तियों के हाथ में देना चाहते हैं।

राष्ट्रपति जी ने नागरिक प्रतिरक्षा परिषद् का उल्लेख किया था जिसमें साम्यवादी दल को छोड़ कर सब के प्रतिनिधि हैं। आज भी सारे साम्यवादी चीन के आक्रमण पर एकमत नहीं हैं। उनका प्यार, मैं समझता हूँ, अपने देश की अपेक्षा चीन के लिए अधिक है। मुझे शिकायत है कि सरकार ने उनके साथ बहुत नमी दिखाई है। श्री गोपालन हमें बतायें कि साम्यवादी देशों में देश विरोधी कार्यवाही के लिए क्या दण्ड दिया जाता है और क्या भारत सरकार ने वर्तमान संकटकाल में राष्ट्र-विरोधी व्यक्तियों को ठीक करने के लिए उचित कार्यवाही की है।

फिर भारत में प्रेस के काम को देखिये। साधारणतया वे सरकार और उसकी नीति के विरुद्ध हैं। अभी महारानी जी ने वायु संरक्षण का उल्लेख किया था। हम ऐसी किसी भी सहायता के विरुद्ध हैं जो हमारी स्वतन्त्रता को कम करे। ऐसे संरक्षण का नियन्त्रण उन देशों के हाथ में होगा, जो संरक्षण देंगे? मुझे खेद है कि विरोधी दल के सदस्य विदेशियों के शब्दों पर विश्वास करते हैं और परन्तु हमारे प्यारे प्रधान मन्त्री जी के शब्दों पर विश्वास नहीं करते। मैं समझता हूँ कि वायु संरक्षण का यह समाचार किसी सरकार ने नहीं दिया। यह समाचार किसने दिया और कैसे समाचार पत्रों में आया? किन लोगों ने विरोधी दलों और भारत के समाचार पत्रों को ऐसा समाचार प्रकाशित करने को कहा?

राष्ट्रपति जी ने हमारा संकल्प बताया कि हम प्रतिरक्षा को मजबूत बनायेंगे। सभी देशों से सहायता का स्वागत है, परन्तु किसी शर्त पर मिलने वाली सहायता स्वीकार्य नहीं। कुछ लोग बहते हैं कि कांग्रेस इस संकट की स्थिति से अपना उद्देश्य पूरा कर रही है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। अपितु उनसे पूछता हूँ कि क्या देश को संकट में देखकर विरोधी दल ने अपना उद्देश्य प्राप्त करने का अधिक प्रयास नहीं किया है। क्या देश का सम्मान बढ़ाने में यह सहायक है।

आजकल सोना नियन्त्रण आदेश की बड़ी चर्चा है। राष्ट्रपति जी ने कहा था कि सोने को तस्करी से भारत में लाने से हमारी विदेशी मुद्रा पर पड़ने वाले भार को रोकने के लिए कुछ नियम बनाये गये हैं। ये नियम सोने के आभूषणों पर लागू नहीं होते और उनका मूल्य बहुत बढ़ गया। मैं समझता हूँ कि भारतीय परिस्थितियों में १४ कैरट सोने के आभूषण उचित नहीं हैं। इससे जनता को बहुत धोका दिया जायेगा। ऐसे आभूषण से तो यह अच्छा है कि सोना रखने की अधिकतम मात्रा निर्धारित कर दी जाये। यदि यह सम्भव न हो तो सोने के आभूषण भी न होने चाहियें। धनी लोगों से सोना नहीं मिल रहा है। यदि उनसे सोना लेना है तो सरकार सोने को किसी भी रूप में रखना अवैध घोषित करे दे।

† श्रीमती रेणुका बड़कटकी (वारपेटा) : मैं राष्ट्रपति को उनके भाषण के लिए धन्यवाद देती हूँ और जोर देती हूँ कि आसाम, नेफा, नागालैण्ड, मणिपुर और त्रिपुरा को प्रतिरक्षा कार्यों को मजबूत अड्डा बनाया जाये। पिछले महानों की घटनाओं से आसाम में परिवहन तथा संचार की युद्ध के आधार पर व्यवस्था करने की आवश्यकता सिद्ध हो गई है। वहाँ रेलवे की छोटी लाइन से आवश्यकतापूर्ति नहीं होती। एक योजना आयोग के एक सदस्य श्री तर शोक चन्द ने कहा था कि सिलिगुड़ी से गौहाटी तक बड़ी लाइन बनाने में केवल ४० करोड़ रु० व्यय होंगे। प्रतिरक्षा की दृष्टि से सरकार को यह उठाना चाहिये।

आसाम में निर्वाह व्यय निरन्तर बढ़ रहा है, जबकि अन्य राज्यों में कम हो रहा है। इसका कारण यह है कि वहाँ को अर्थ व्यवस्था प्राकृतिक प्रकोपों के अतिरिक्त अन्य समस्याओं के कारण ठीक नहीं हो पाता। विद्युत् के बारे में महसूस होता है कि केन्द्र ने आसाम की उपेक्षा की है। यद्यपि जल विद्युत् बनाने की वहाँ महान् सम्भावनायें हैं जिनसे २ करोड़ किलोवाट बिजली बनाई जा सकती है लेकिन वहाँ कुल २६,३१८ किलोवाट बिजली बनाई जाती है। इसी प्रकार वहाँ इसका प्रयोग भी

देश में सबसे कम होता है। अब आसाम ने दो विद्युत् परियोजनाओं के लिए १४ करोड़ ६० मांगे हैं जिनके बिना राज्य का औद्योगिक विकास रुक जायेगा। इस प्रकार भारत सरकार के तेल नीति है। आसाम के लोग महसूस करते हैं कि उनका शान्तिकाल में ही नहीं अपितु युद्धकाल में भी उपेक्षा की जाती है। हाल में खान और ईंधन मन्त्र ने आसाम में निकलने वाले तेल के लिए राज्य को रायल्टी में एक या दो रुपये देने से मना कर दिया। केवल प्रधानमन्त्री जी के हस्तक्षेप करने पर आसाम को उचित राशि दिया गया। जो लोग हाल में आसाम गये हैं वे ही महसूस कर सकते हैं कि वहाँ के लोग कितनी परेशानों का सामना कर रहे हैं। हम आसाम लोग दुर्बल हैं। परन्तु इसके होते हुए भी कृपया वहाँ आइये और देखिये कि हम आसामी लोग ऐसी विपत्ति के होते हुए भी क्या कर रहे हैं। हजारों स्कूल व कालेज विद्यार्थियों ने नेफा पहलुड़ियों तथा तेजपुर के विस्थापितों को जगह देने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया। वहाँ से जाने वाले जवानों को चाय, नारंगियां, आदि दीं।

शेला और वोमडीला के अचानक अपने हाथ से निकल जाने पर विदित हुआ कि गुप्तचर विभाग का कार्य ठीक नहीं है। हमारे गुप्तचर व्यवस्था आवश्यकतानुसार सुव्यवस्थित होनी चाहिये क्योंकि सीमा क्षेत्रों में अनेक समाज-विरोध, व्यक्ति वाम कर रहे हैं जो केन्द्रीय अधिकारियों तथा राष्ट्रीय नेताओं में जनता के विश्वास को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः हमें सदैव सतर्क रहना चाहिये और गुप्तचर विभाग को सुव्यवस्थित करना चाहिये। वास्तव में आसाम राज्यफल के कर्मचारियों का रक्षा कर रहे हैं। परन्तु खेद है कि उन्हें वे सुविधायें नहीं हैं जो केन्द्रीय रक्षित पुलिस को हैं या सेना को हैं। उन्हें केवल ४७ ६० मिलते हैं और पन्द्रह वर्ष तक सेवा करने पर १० से १२ ६० तक मासिक पेंशन मिलता है। अतः मैं गृह मन्त्री से निवेदन करता हूँ कि वह देखें कि क्या उनकी सेवा की शर्तों में सुधार हो सकता है।

अब तक नेफा को शेष देश से अलग रखा गया था और नीति असफल रही है। मई-दिसम्बर मास में बेफा गई थी और देखा कि कोई भी भारतीय पास के बिना नेफा नहीं जा सकता जबकि चीन से मिली बेफा समा पर कोई रुकावट नहीं। इसके कारण साम्यवाद गुप्तचर नेफा के लोगों से मिल सकते हैं। सम्भव है कि असम्बन्धित आदिम जातियों के प्रचार में आकर उनसे मिल जाये। लोगों के सामाजिक विकास तथा कल्याण और मैदानों के लोगों का रुढ़भाव से नेफा के लोगों से मिलने से वहाँ के बलवान और सन्तुष्ट व्यक्तियों को हमारे समूची समा पर सैनिकों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस क्षेत्र की सड़कों और संचार व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिये। इसके अतिरिक्त वहाँ भारी सेना रखने का भी आवश्यकता है।

मैं इस पर जोर देता हूँ कि समस्त पूर्वी भारत को एक करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये लेकिन ऐसा करने में कबीले के लोगों के धार्मिक तथा सामाजिक प्रथाओं में परिवर्तन नहीं करना चाहिये। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि बाहर लोग उनका आर्थिक शोषण न करे। आसाम, नेफा, मनीपुर, त्रिपुरा और नागालैण्ड की सामाजिक तथा राजनैतिक एकता में जो समय लगेगा। परन्तु प्रतिरक्षा तथा आर्थिक एकता के लिए भारत सरकार तत्काल कार्यवाही कर सकती है। इस सारे क्षेत्र के लिए एक बड़ी सेना छावनी हो सकती है, सामान्य बैंकिंग व्यवस्था, शीर्ष ऋण संस्थायें, शीर्ष विपणन संस्था तथा अन्य आर्थिक संस्थायें हो सकती हैं। एक बार ऐसा होने पर, वहाँ सामाजिक तथा राजनैतिक एकता लाना कठिन न होगा।

आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मन्त्री, श्री तिमंत कृष्णमाचारी ने एक दिन आसाम में ठीक ही कहा था कि चीनी आक्रमण ने हमारे राष्ट्रीय आर्थिक आयोजन तथा सामरिक प्रयास की कमजोरी स्पष्ट कर दी है। आशा है कि कम से कम अब आगे आसाम को भारत सरकार और योजना आयोग हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का केन्द्र समझे।

†श्री राजाराम (कृष्णगिरि) : राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करने के लिये आपने मुझे जो यह अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रपति ने चीनी आक्रमण के संबंध में हमें अपनी प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने और आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने बनाने की सलाह दी है। चीन की ओर से खतरा अभी दूर नहीं हुआ है। हमें बिना शर्त के मिलने वाली समस्त विदेशी सहायता को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

खेद है कि अभिभाषण में आज की कुछ प्रमुख समस्याओं का उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार के स्वर्ण नियंत्रण आदेश से देश के लाखों सुनार बेरोजगार हो गये हैं। उन के सामने लाइसेंस की कठिनाई है। उनकी राज-सहायता दी जानी चाहिये। उन्होंने सरकार के सामने जो मांगें रखी हैं उनको ठुकराया नहीं जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ गहने ऐसे हैं जो शुद्ध सोने के ही बनाये जाते हैं। उनके लिए सरकार को छूट देनी चाहिए।

इसके बाद में हथकरघा बुनकरों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इस समय हथकरघा उद्योग बहुत संकट में है। दक्षिण की स्थिति विशेष रूप से खराब है जहां कि बहुत सा स्टॉक जमा हो गया है। हथकरघा वस्त्र की बिक्री पर छूट दिये जाने के बावजूद इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। सरकार को इस उद्योग की रक्षा करनी चाहिए। यदि सरकार का यह विचार है कि यह उद्योग पनप नहीं सकता है तो उसे इस उद्योग के लोगों को वैकल्पिक रोजगार देना चाहिए। दोनों में से कोई भी काम न करना बुद्धिमानी नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार हथकरघा वस्तुओं के लिए सुविधायें बढ़ायेगी और उनकी बिक्री बढ़ाने का प्रयत्न करेगी।

खेद है कि अभिभाषण में हमारे राज्य की बिजली की कमी का भी कोई उल्लेख नहीं है। इस समस्या के हल के लिए मद्रास के राज्य विद्युत बोर्ड ने सलेम जिले में होगर्हनाकल के पास कावेरी पर एक परियोजना के निर्माण का सुझाव दिया है। इस परियोजना में व्यय भी अधिक नहीं होगा। राज्य सरकार इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये तैयार है। इस परियोजना से हमें लगभग ८००,००० किलोवाट बिजली मिल सकेगी जिसे विभिन्न उद्योगों के काम में लगाया जा सकेगा। अतः मैं भारत सरकार से इस परियोजना के लिए आवश्यक धन आवण्टित करने का अनुरोध करूंगा।

†श्री महेश्वर नायक (मयूरभंज) : मैं अपने पूर्व वक्ताओं का समर्थन करता हूँ जिन्होंने राष्ट्रपति के प्रति आभार प्रकट किया है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण द्वारा हमारे अन्दर उत्साह का संचार किया है जिससे कि हम अपनी जिम्मेदारी को भली प्रकार निभा सकें। चीनी आक्रमण का उल्लेख करना सर्वथा स्वाभाविक ही है। राष्ट्रपति ने ठीक ही कहा है कि हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए चीन के साथ बातचीत करेंगे। हमारा सामना ऐसे दुश्मन से पड़ा है जो शांति के प्रदर्शन की आड़ में हमारा उत्तरी भूभाग हड़पता रहा है। चीन ने भारत को प्रतिक्रियावादी घोषित किया है और वह भारत को पूर्व अथवा एशिया का शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बनने देना चाहता है। हमने कोलम्बो राष्ट्रों के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है परन्तु चीन ने उन के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए उन के निर्वचन का अधिकार अपने हाथ में रखा है। मेरा विचार है कि हमारा चीन के साथ बातचीत करना व्यर्थ होगा क्योंकि चीन अपनी ही शर्तों पर अड़ा रहना चाहता है।

[श्री महेश्वर नायक]

परन्तु यदि यह बातचीत सफल भी रहे तब भी हमें अपनी प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ानी चाहिए। हमें प्रतिरक्षा उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिए गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र की भी सहायता ली जा सकती है। यह कहना ठीक नहीं है कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को प्रतिरक्षा उत्पादन का कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिये। यह कहना भी ठीक नहीं है कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रयत्नों में जनता के समस्त वर्गों को सम्बद्ध नहीं किया गया है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि संदिग्ध व्यक्तियों को यथासंभव दूर रखा जाये।

यह भी कहा गया है कि कांग्रेस दल आपत्ति की आड़ में राजनैतिक लाभ उठा रहा है। मेरे विचार से इस प्रकार की आलोचना प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रयत्नों को असफल बनाने की नीयत से की जाती है तथा ऐसे लोगों पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। कुछ लोगों ने उन मित्र देशों की आलोचना की है जिन्होंने इस समय हमारी सहायता की है। ऐसे लोग हमारे और उन के बीच मनमुटाव पैदा करना चाहते हैं ताकि हम कमजोर बने रहें। मेरा विचार है कि हमें अपनी रक्षा के लिये विदेशों से समस्त सहायता स्वीकार करनी चाहिये और ऐसे लोगों के प्रति सतर्क रहना चाहिये।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा (पटना) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ने अपने संक्षिप्त किन्तु महत्वपूर्ण और सारगर्भित भाषण के माध्यम से देश और लोक सभा के समस्त मुख्य मुख्य समस्याओं और जिम्मेवारियों का तजकिरा किया है। इसमें हमें सरकार की नीतियों और उस के ठोस इरादों की झलक मिलती है। यह कितना मौजू है कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के आरम्भ में ही लोकतंत्र के बुनियादी उद्देश्यों की तरफ इशारा किया है। मुझे और हमारे देश को आज इस बात का धमण्ड है कि दुनिया के तमाम देशों में हमारे यहां राजेन्द्र बाबू तथा डा० राधाकृष्णन सरीखे मनस्वी, फकीर, तपस्वी और दार्शनिक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करते रहे हैं मानो प्लाटो के फिलोसोफर किंग का स्वप्न चरितार्थ हो रहा है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आज भारतीय इतिहास की एक नाजुक घड़ी में हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आज हमें देश का नेतृत्व अधिकाधिक जिम्मेवारी तथा दूरदर्शिता के साथ करना है। यह सही है कि चीनी आक्रमण के कारण हमारे देश के आर्थिक ढांचे पर तनाव आ गया है क्योंकि आज हम आर्थिक और सामाजिक विकास को तरजीह दे कर के सैनिक तैयारियों से नजरअंदाज नहीं हो सकते हैं। आज हमें आधुनिक सतह पर अपनी सैनिक शक्ति को लाने के लिए मूलतः तृतीय पंचवर्षीय योजना को किसी भी तरह कार्यान्वित करना होगा। हमारा इस में विश्वास है कि सैनिक शक्ति को आधुनिक सतह पर लाने के लिए उसकी ऊंचाई कायम रखने के लिए हर क्षेत्र में हमें अपने उत्पादन को बढ़ाना होगा। इस दुहरी जिम्मेवारी को निभाने के लिए आज हमारे और सरकार के लिए इस बात की आवश्यकता हो जाती है कि प्राइस लाइन को हम पकड़ कर रखें। मनुष्य की आवश्यकता की जो चीजें हैं उस में कमी न की जाय और हर क्षेत्र में, हर फील्ड में इकोनोमी बरती जाय, फिजूलखर्ची को बन्द किया जाय। इस के साथ ही साथ कृषि और उद्योग के क्षेत्र में हर तरीके से उत्पादन को भी बढ़ाया जाना चाहिए। यहां पर कृषि मंत्री जी मौजूद हैं। मैं उन से कहना चाहती हूँ कि केवल सोशल एक्सपीरिमेंट के आधार पर ही नहीं बल्कि सिंचाई और खाद इत्यादि के आधार पर भी प्रति-एकड़ जमीन में पैदावार बढ़ाना आज हमारे लिए लाजिमी है।

इस मौके पर योजना के सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि देश की मैटीरियल प्रास्पेरिटी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए योजना का बहुत बड़ा महत्व है, इस से कोई इन्कार नहीं करता है। हमारे सामने आर्थिक ढाँचे की कमजोरी आज नहीं है, बल्कि योजनाओं का इम्प्लेमेंटेशन है। हम हर क्षेत्र में और खास कर कुछ विशेष क्षेत्रों में देखते हैं कि लाखों रुपये बरबाद हो जाते हैं हमारे योजना में। लेकिन क्षेत्र में जा कर के उनके टारगेट्स का कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। बहुत से टारगेट्स योजनाओं के ऐसे हैं जो क्षेत्र में न जा कर के केवल दिमागों में या फाइलों में ही मौजूद रह जाते हैं, उनका क्षेत्र में वजद नहीं हो पाता है।

मुझे एक बात याद आती है। हिटलर के बम-मारों ने जब लंदन के विशाल शहर को पिछले महायुद्ध के मौके पर ध्वस्त और त्रस्त करना शुरू किया था तो उस समय वहाँ पर वर्कर्स एजुकेशन के लिए कानून बनाया जा रहा था। मैं सरकार का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहती हूँ कि आज वर्कर्स एजुकेशन का कानून हमारे यहाँ भी है लेकिन जहाँ कुछ त्यागी, ईमानदार और तपस्वी समाज-सेवी और ट्रेड-यूनियनिस्ट इस स्कीम को कामयाबी के साथ बड़ी कठिनाइयों के आलम में भी चला रहे हैं वहाँ पर सरकारी नौकरों की टोलियाँ वर्कर्स एजुकेशन की स्कीम का सिर्फ कागजों पर वजद कर रही हैं और उस के टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं।

आज हमारे सामने विलेज होम गार्ड्स की तैयारियाँ चल रही हैं। चीनी आक्रमण के दौरान भारत में देशभक्ति का एक बहुत बड़ा सैलाब आया। इस मौके पर यह कहना मौजूं होता कि उस देशभक्ति के सैलाब में मजदूरों ने अपना बहुत बड़ा हिस्सा पूरा किया, हर तरीके से। मैं तो यह चाहती थी कि उस की चर्चा की जाती। विलेज होम गार्ड्स कृषि के उत्पादन में बहुत हद तक सफलीभूत हो सकेंगे, ऐसी उम्मीद है। आज हमारे देश के अन्दर जो सिविल डिफेन्स कमेटियाँ हैं उन में यूथ फ्रंट है, महिला फ्रंट है, लेकिन लेबर फ्रंट का वहाँ पर कहीं जिक्र नहीं है। लेबर हमारे आर्थिक ढाँचे की नींव है। उसी पर हमारी आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था निर्भर करती है। ऐसे मौके पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुछ इस प्रकार का तजकिरा होता तो कुछ अच्छा होता जिस से कि देश की आबादी के इतने बड़े भाग को एक ऐसा कार्यक्रम दिया जाता जो उस की बाकी एनर्जी को देश के लिये सही रास्ते में चैनेलाइज कर सकता। इस मौके पर मैं एक और उदाहरण रखना चाहती हूँ। पिछले महायुद्ध में अमरीका और बर्तानिया दोनों में एक नैशनल वार लेबर बोर्ड की स्थापना ई थी। उस में मालिक, मजदूरों और सरकार के नुमाइन्दे थे और उन लोगों ने बड़ी बड़ी उत्पादन की समस्याओं को हल किया था। हमारे यहाँ भी प्रोडक्शन कमेटियाँ हैं लेकिन उन के साथ साथ अगर इस तरह का कोई काम यहाँ किया जाता तो ठीक होता और आज संकट की स्थिति में हमारे देश का बड़ा कल्याण होता।

हमारे देश की वैदेशिक नीति शांति, अहिंसा, पंचशील और नानअलाइनमेंट की धुरियों पर आज तक चलती रही है लेकिन आज हमें आश्चर्य और दुःख होता है कि साम्राज्यवादी कहलाने वाले राष्ट्रों की ओर से नहीं बल्कि विश्व शांति के नाम पर कब्रूतर उड़ाने वाले चीनियों की तरफ से हमारे देश पर आक्रमण हुआ है। आज हमारे सामने नेफा और लद्दाख का प्रश्न नहीं है। हमारे सामने प्रश्न है एशिया में प्रजातन्त्र की मीनार को खड़ा करने का। मैं तो इस मौके पर यह कहना चाहूंगी कि आज भारत विश्व के रंगमंच पर जघन्य तानाशाही और बर्बर चंगेजी हुकूमत से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है।

मैं राष्ट्रपति जी को इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इसके लिये भी धन्यवाद का ज्ञापन किया है कि देश को आज सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की हुई है

कि भारतवर्ष को समयानुसूल अमरीका और ब्रतानिया से मदद मिल सकी है। आज सदन के समक्ष बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की थी कि हवाई कमिशन जो ब्रतानिया और अमरीका से भारत में आया है उस का तजकिरा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं किया गया। मैं समझती हूँ कि यह मौजू होता कि यह जो हवाई कमिशन हमारी हवाई रक्षा के सिलसिले में यहां पर पहुंचा है उस के सम्बन्ध में भी कुछ हमारी नीति स्पष्ट होती।

मैं इस मौके पर इसका भी जिक्र करना चाहती हूँ कि अभी हाल में क्यूबा में जब संकट आया था उस में रूस और अमरीका ने बड़ी समझदारी और दूरदर्शिता के साथ उस संकट को टाला था और युद्ध की काली घटाओं के अन्दर से एक विश्वास और शान्ति की रोशनी दुनिया के सामने आई थी। किन्तु पूर्व की हवाओं से बर्बर खूरेजी और चंगेजी तानाशाही की चुनौतियां पुकार रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के लोकतान्त्रिक नागरिक अपनी आजादी की रक्षा के लिये, अपने लोकतन्त्र की रक्षा के लिये और अपने कलंक को धोने के लिये अपने प्राणों की आहुति चढ़ा कर ही रहेंगे।

माननीय सदस्या श्रीमती गायत्री देवी ने यहां पर लीडरशिप बदलने की बात कही। लेकिन मैं तो यहां पर यह कहूंगी कि राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण के अन्त में देश का आह्वान किया है और कहा है कि "जागो, उठो"। इस मौके पर मैं यहां एक शब्द यह कहना चाहूंगी कि यहां पर लीडरशिप अथवा नेतृत्व को बदलने की बात कोई उठ नहीं सकती है। इस तरह का सुझाव बिल्कुल बेतुका है। जहां पर कृष्ण सरीखे योगीराज राधाकृष्णन हैं और अर्जुन सरीखे हमारे जवाहरलाल जी मौजूद हैं और देशवासी उनके पीछे हैं तो हमारी आजादी पर किसी तरह की उंगली नहीं उठ सकती है। हमारी अखंडता, हमारी राष्ट्रीयता और नानअलाइनमेंट की नीति की विजय हो कर रहेगी।

“यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्वरः ।

तत्र श्रीविजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

† श्री प्र० चं० बरुआ (श्री शिवसागर) : राष्ट्रपति ने वर्तमान संकटकालीन स्थिति की बहुत सुन्दर विवेचना की है और भावी कार्यक्रम हमारे सामने रखा है। चीनियों के छोटे मोटे आक्रमण तो कई वर्ष पूर्व प्रारंभ हो गये थे परन्तु बड़े पैमाने पर आक्रमण गत अक्टूबर में ही हुआ। वे नेफा में बहुत दूर तक घुस आये थे परन्तु फिर अचानक ही उन्होंने युद्धविराम की घोषणा कर दी। इस युद्धविराम को अंतिम नहीं माना जा सकता क्योंकि चीनियों का अभी तक का रवैया ऐसा रहा है कि उनकी किसी भी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। संभव है कि वे शीघ्र ही आसाम पर पुनः हमला करके वहां के तेल क्षेत्रों पर कब्जा कर लें क्योंकि चीन को तेल की बहुत जरूरत है। अतः हमें पूर्णतः सतर्क रहना चाहिये और अपनी सैनिक तथा आर्थिक शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि न केवल प्रतिरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है वरन् राजनैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रजातांत्रिक साधनों से उत्पादन बढ़ाकर भारत को एशिया तथा अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों को यह दिखाना है कि वे साम्यवादी साधनों से किसी भी प्रकार हीन नहीं हैं।

जहां तक कृषि का संबंध है, तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है और दूसरे वर्ष में भी लक्ष्य की प्राप्ति संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में तीसरी योजना के लिये निर्धारित ६ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकेगा ?

राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा की स्थिति खराब होने का उल्लेख भी किया है। एक ओर तो हमने अपने आयात बहुत कम कर दिये हैं और दूसरी ओर हमारे निर्यात में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। निर्यात समस्या के हल के लिये भरसक प्रयत्न किया जाता आवश्यक है।

मेरा निवेदन है कि सीमान्त क्षेत्रों के विकास और वहां की जनता को कठिनाइयों को दूर करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि विदेशी आक्रमण से सुरक्षा के लिये जनता को संतुष्टि परम आवश्यक है। इस संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुछ विशेष समस्याएं हैं। देश के विभाजन से वह भाग शेष देश से सर्वथा अलग हो गया है और चीन, पाकिस्तान तथा बर्मा जैसे राज्यों से घिर गया है। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में विघटन की प्रवृत्तियां पनप रही हैं जो कि राष्ट्रीय एकता के लिये घातक है। पाकिस्तानियों के अनधिकृत प्रवेश की समस्या भी बहुत गंभीर है। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में वर्षा बहुत होने से बाढ़ें भी बहुत आती हैं जिससे कि प्रतिरक्षा की कोई स्थायी व्यवस्था संभव नहीं है। यही नहीं, उस क्षेत्र में बिजली की बहुत कमी है जिसके कारण वहां की समस्त विकास परियोजनाएँ ठप्प पड़ी हुई हैं। इसी कारण आसाम की जनता यह समझती है कि उसके प्रति उभेक्षा बरती जा रही है। अतः सरकार को समस्त देश के संतुलित विकास का प्रयत्न करना चाहिये।

परिवहन की कठिनाइयों का उल्लेख सभा में अनेक बार किया जा चुका है। सिलीगुड़ी से जोगीघोषा तक बड़ी लाइन बनाने के प्रस्ताव का प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री श्री कृष्णमाचारी और योजना आयोग के सदस्य श्री तरलोकसिंह ने भी समर्थन किया था। फिर भी सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। ऐसी बातें हमें यह सोचने के लिये विवश करती हैं कि असाम के साथ शेष भारत से सर्वथा अलग व्यवहार किया जाता है।

अन्त में मैं राष्ट्रपति के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार २२ फरवरी, १९६३/३ फाल्गुन, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

[दैनिक संक्षेपिका]

[गुधवार, २१ फरवरी, १९६३]
[२ फाल्गुन १८८४ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२३९--६४
तारांकित प्रश्न संख्या		
५६	मशीनों से ईटें तैयार करने का कारखाना	२३९-४०
५७	सुनारों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र	२४०-४२
५८	क्षय रोग रुजालय	२४२-४५
५९	गण्डक परियोजना	२४५-४६
६०	प्रीमियम इनामी बांड	२४६-४७
६१	देश में चेचक	२४७-५०
६२	सिंचाई क्षमता का उपयोग	२५१-५२
६३	होशंगाबाद में नोट आदि का कागज तैयार करने का कारखाना .	२५३-५४
६४	राजस्थान नहर	२५४-५५
६५	कुष्ठ रोगियों की गृह चिकित्सा	२५५-५७
६६	स्वर्ण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन	२५७-५९
६७	स्वर्ण बांड	२५९-६१
६८	पश्चिमी पाकिस्तान की लिमिटेड कम्पनियों की आस्तियां .	२६१-६२
६९	इडुकी जल विद्युत् परियोजना	२६२-६३
७०	दामोदर घाटी निगम	२६३-६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर २६५-८५

तारांकित प्रश्न संख्या		
७१	तृतीय पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के लिए पश्चिम अर्मी की सहायता	२६५
७२	बड़े नगरों तथा कस्बों के लिये बृहद् योजना	२६५-६६
७३	महू में राज साहेब रामचन्द्र बैंक	२६६
७४	दुर्गापुर में विद्युत संभरण	२६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

सारांकित

प्रश्न संख्या

७५	सोने तथा अंशों (शेयर्स) पर बैंकों द्वारा पेशगी	२६७-६८
७६	सरकारी, कार्यालयों का बाहर ले जाया जाना	२६८-६९
७७	विदेशी सट्टा बाजारों में प्रतिरक्षा प्रमाण पत्रों की बिक्री	२६९
७८	विश्वविद्यालयों का चिकित्सा विज्ञान पाठ्यक्रम	२६९-७०
७९	दिल्ली में बिजली का संकट	२७०
८०	आसंचित सोना	२७१
८१	फरीदाबाद उपनगर	२७१
८२	गोदावरी तथा कृष्णा नदियां	२७१-७२

असारांकित

प्रश्न संख्या

९४	भारत की अमरीकी सहायता	२७२
९५	रामकृष्णपुरम् में दुकानें	२७२
९६	कोसी की पश्चिमी नहर	२७२
९७	बरोनी तापीय विद्युत स्टेशन	२७३
९८	दामोदर घाटी निगम	२७४
९९	दामोदर घाटी निगम	२७४
१००	सिंचाई परियोजना का रूपभेद	२७४
१०२	कोसी की पूर्वी नहर	२७५
१०३	सीमा शुल्क अधिनियम १९६२ के अन्तर्गत नियम तथा अधिसूचनायें	२७५
१०४	आयकर का निर्धारित करना तथा एकत्रित करना	२७५-७७
१०५	राज्य सरकारों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	२७७
१०६	तावा बहुप्रयोजनीय परियोजना	२७७
१०७	राज्यों में भूमि का अर्जन	२७७-७८
१०८	कुष्ठ	२७८
१०९	बन्धक अस्त निष्क्रांत भूमि की नीलामी	२७८
११०	पंजाब में निष्क्रान्त कृषि भूमि	२७९
१११	अंशों में वायदा व्यापार	२७९
११२	घड़ियों का तस्कर व्यापार	२७९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
११३.	तीसरी योजना के लिये अमरीका से परियोजना रहित ऋण	२८०
११४	हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्ट्री	२८०
११५	खून का प्लाज्मा जमा कर सुझाने वाले एकक	२८०-८१
११६	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा बांड	२८१-८२
११७	बम्बई में खाद्य पदार्थों में विषाक्तता	२८२
११८	व्यापारियों द्वारा सोने की घोषणा	२८२
११९	परिवार नियोजन	२८२-८३
१२०	बाल पक्षाघात का टीका	२८३
१२१	काशेनरी धूमवोसिस	२८३
१२२	स्थायी सिन्धु आयोग	२८४
१२३	नजफगढ़ नाला	२८४
१२४	पलाई सेंट्रल बैंक का परिसमापन	२८५-८७

अबिलम्बनीय लोक महत्व की विषय की ओर ध्यान दिलाना

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने भारत के 'हवाई संरक्षण' के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये अमरीका-राष्ट्रमंडल के संयुक्त वायुसेना के शिष्ट-मंडल के भारत में आगमन की ओर प्रवान मंत्री का ध्यान दिलाया

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) १९६२-६३ संबंधी विवरण उपस्थापित २८७

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वर्ष १९६२-६३ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) का एक विवरण उपस्थापित किया

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २८७

छठा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

याचिका उपस्थापित २८७

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी ने सोना नियंत्रण संबंधी भारत प्रतिरक्षा संशोधन नियम १९६३ के बारे में दस याचिकाकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित की

विधेयक पुरस्थापित

२८७

संघ राज्य क्षेत्रों का शासन विधेयक, १९६३

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

२८८-३१५

२० फरवरी, १९६३ को प्रस्तुत किये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और तत्संबंधी संशोधनों पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई

शुक्रवार, २२ फरवरी, १९६३ / ३ फाल्गुन, १८८४ (शक) के लिये कार्यवालि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तावों और तत्संबंधी संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार